डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय

करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय सूची पुनरीक्षित अध्यादेशों की सूची

स. क्र.	विशिष्टियां	अध्यादेश क्रमांक
1.	विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी.)	화. 15
2.	शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड)	क्र. 17
3.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड)	क्र. 18
4.	अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में स्नातक	क्र. 29
	(बी.ई. / बी.टेक)	
5.	अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर	क्र. 30
	(एम.ई. / एम.टेक)	
6.	मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम. फिल.)	क्र. 32

नवीन अध्यादेशों की सूची

5585555555555555555555555555555555

स. क्र.	विशिष्टियां	अध्यादेश क्रमांक
1.	अभियांत्रिकी में डिप्लोमा	क्र. 112
2.	अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.ई / बी.टेक) में पूर्व स्नातक पाठयकम सहित प्रौद्योगिकी प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमटीएम) (एकीकृत पाठ्यकम)	क्र. 113
3.	प्रबंधन में स्नातक (बीएम) अथवा अनुप्रयुक्त प्रबंधन में स्नातक (बीएएम) सहित अनुप्रयुक्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमएएम) (ड्यूल डिग्री पाठ्यक्रम)	क्र. 114
4.	विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.) ऑनर्स	क्र. 115
5.	वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.) ऑनर्स	화. 116
6.	कला में स्नातक (बी.ए.) ऑनर्स	화. 117
7.	राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेम वर्क (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा पाठयकम (पाठयकमों) तथा कौशल ज्ञान प्रदाता (एसकेपी)	क्र. 119
8,	विधि स्नातक (बी.बी.ए.एल.एल.बी. / बी.कॉम.एल.एल.बी. / बी.एस.सी.एल.एल.बी.)	क्र. 124
9.	फार्मेसी में स्नातक (बी.फार्मी)	화. 125
10.	फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्मेसी)	화. 126
11.	दो वर्षीय रनातकोत्तर फार्मेसी (एम.फार्मी)	화. 127

"बिजनंस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313]

22222222222222222222222222222222

रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 जुलाई 2020 - आषाढ 15, शक 1942

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3—1/2018/38—2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 585/पी.यू./एस.एण्ड ओ./2007/11437, दिनांक 26—12—2019 द्वारा डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 112 से 117, 119 तथा पुनरीक्षित अध्यादेश क्रमांक 15, 17, 18, 29, 30 एवं 32 तथा पत्र क्रमांक 585/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2007/11439, दिनांक 26—12—2019 द्वारा अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 124 से 127 तक का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

- राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलरमेलमंगई ही., सचिव.

डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 112 अभियांत्रिकी में पत्रोपाधि

डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.), अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी पर आधारित एवं अन्य अनुशासनों (संकायों) में प्रथम डिप्लोमा प्रदान करता है, जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए आई सी टी ई), नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित हो, तीन वर्षीय (छः सेमेस्टर) अवधि, जो इसमें इसके पश्चात् 3 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम के रूप में ज्ञात है, संबंधित अनुशासन में डिप्लोमा के रूप में अभिहित किया जायेगा।

1.0 तीन वर्षीय डिप्लोमा कार्यकमः

- 1.1 यह डिप्लोमा विश्वविद्यालय में विद्यमान समस्त शाखाओं को सम्मिलित करेगा।
- 1.2 इस डिप्लोमा कार्यकम का अध्ययन और परीक्षा, सेमेस्टर पद्धति पर आधारित होगा। 2.0 प्रवेश हेतु नियमः
 - 2.1 विश्वविद्यालय में विद्यमान समस्त शाखाओं में डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या (10+2) परीक्षा योजना के अधीन विज्ञान (भौतिकी और रसायन) सहित उच्चतर परीक्षा तथा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित मुख्य विषय के रूप में गणित अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा।
 - 2.2 अभ्यर्थी, जो मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा मण्डल / विश्वविद्यालय के गणित सिंहत अथवा व्यवसायिक / तकनीकी विषय सिंहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हुये हों, पार्श्व प्रविष्टि मोड पर अभियांत्रिकी में डिप्लोमा कार्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिये पात्र होंगे।
 - 2.3 अभ्यर्थी जो किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / एन.सी.व्ही.टी. / एस.सी.व्ही.टी. से 10वीं कक्षा एवं दो वर्षीय पाठ्यकम का आई.टी.आई. (समुचित तकनीकी व्यवसाय

- सहित) उत्तीर्ण किया हो, पार्श्व प्रविष्टि मोड पर अभियांत्रिकी कार्यक्रम में डिप्लोमा के तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिये भी पात्र होगा।
- 2.4 उपरोक्त खण्ड 2.1, 2.2 एवं 2.3 में यथा विनिर्दिष्ट पात्र अभ्यर्थी, अभियांत्रिकी में प्रवेश हेतु, सी.जी.—पी.ई.टी के मेरिट सूची में स्थान अर्जित करना चाहिए। सामान्यतः अभियांत्रिकी में डिप्लोमा पाठयकम में प्रवेश के लिये, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा संचालनालय या कोई अन्य समकक्ष प्राधिकारी द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा शासित होंगे। विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी पाठ्यकम में प्रवेश हेतु अपना प्रवेश परीक्षा भी आयोजित कर सकेगा।
- 2.5 सीटें: बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी स्थापित किये जा सकेंगे।
- 2.6 शुल्कः पाठ्यकम शुल्क, विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे (अथवा फीस निर्धारण समिति छत्तीसगढ़ शासन के (समय-समय पर) अनुशंसा अनुसार होंगे)।
- 2.7 माध्यमः शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम, हिन्दी या अंग्रेजी होगा। विषय, नियमित प्रणाली से पढ़ाये/सिखाये जायेंगे। नियमित सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पाठ्यकम संचालित किये जायेंगे जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 2.8 स्थानांतरित अभ्यर्थीः किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्था से स्थानांतरित अभ्यर्थी, डिप्लोमा पाठ्यकम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे परन्तु सम्बन्धित संकाय के अध्ययन मण्डल का अनुमोदन हो।

3.0 शिक्षण सन्नः

सामान्यतः एक, तीन, एवं पाँच (विषम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, प्रत्येक वर्ष जुलाई से दिसम्बर के दौरान समानांतर रूप से संचालित होंगी तथा दो, चार एवं छः (सम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, प्रत्येक वर्ष जनवरी से जून के दौरान समानांतर रूप से संचालित होंगी।

3.1 पाठयकम की अवधिः अभियांत्रिकी में डिप्लोमा पाठ्यकम की न्यूनतम/अधिकतम अवधि 3/5 वर्ष होगी।

- 3.2 शिक्षण योजनाः विभिन्न सेमेस्टर और पाठ्यक्रम के लिये शिक्षण एवं परीक्षा योजना का अनुपालन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के विभिन्न संकाय के लिये डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार किया जायेगा।
- 3.3 उपस्थितिः किसी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी से, अध्ययन पाठ्यकम के प्रत्येक विषय में पृथक—पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक एवं अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्य होगी, पाँच प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा संतोषपूर्ण कारण होने पर माफ किया जा सकेगा।
- 3.4 असाधारण लंबी अनुपस्थितीः यदि विद्यार्थी दो वर्ष से अनाधिक अविध हेतु इस विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी के संकाय के शैक्षिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है तो उसे न तो किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी न ही किसी सेमेस्टर में प्रवेश या पदोन्नत किया जायेगा तथा वह अभियांत्रिकी डिप्लोमा पाठ्यकम के साथ—साथ इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहेगा। यहा, शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थिति, नियमित विद्यार्थी के रूप में मुख्य या अनुपूरक परीक्षाओं में उपस्थिति। चिकित्सा आधार पर केंपस से अनुपस्थिति के लिये, तीन माह से अनाधिक के अंतराल में प्रस्तुत अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना आवश्यक है।

4.0 परीक्षायें:

- 4.1 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय की परीक्षा होगी।
- 4.2 ये परीक्षा, समस्त शाखाओं के लिये है, जो निम्नानुसार होंगे:-

(क) प्रथम वर्ष

- प्रथम सेमेस्टर डिप्लोमा परीक्षा (संकाय वार)
- द्वितीय सेमेस्टर डिप्लोमा परीक्षा (संकाय वार)

(ख) द्वितीय वर्ष

- तृतीय सेमेस्टर डिप्लोमा परीक्षा (संकाय वार)
- चतुर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा परीक्षा (संकाय वार)

(ग) तृतीय वर्ष

- पंचम सेमेस्टर डिप्लोमा परीक्षा (संकाय वार)
- -षष्ठम् सेमेस्टर डिप्लोमा परीक्षा (संकाय वार)
- 4.3 सेमेस्टर परीक्षा प्रत्येक वर्ष में सामान्यतः नवम्बर—दिसम्बर तथा अप्रैल—मई में होगी।
- 4.4 समस्त सेमेस्टर के सैद्धांतिक पेपर एवं प्रयोगशाला प्रायोगिक को मिलाकर प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा होगी।
- 4.5 डिप्लोमा कार्य के पाठ्यचर्या में परिवर्तन होने की दशा में, विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती पाठ्यचर्या में न्यूनतम दो परीक्षायें आयोजित करेगा तथा उसके पश्चात् (यदि जरूरत हो) विद्यार्थी नये एवं पुनरीक्षित पाठ्यचर्या के समतुल्य पाठ्यकम में उपस्थित होगा तथापि विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती पाठ्यचर्या के उन पाठ्यकमों में परीक्षा आयोजित करायेगा जिसमें पुनरीक्षित पाठ्यचर्या में समतुल्य परीक्षा नहीं होता है।

5.0 उच्च सेमेस्टर/कक्षाओं में उन्नयन

5.1 किसी भी अभ्यर्थी के अगले सेमेस्टर में जाने के लिए यह आवष्यक है कि उसे विगत सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित प्रदान की गयी हो।

6.0 उत्तीर्ण परीक्षा

- 6.1 अंको का आधार
- 6.1.1 प्रत्येक सैद्धांतिक पेपर के लिये कक्षा परीक्षा एवं सेमेस्टरांत परीक्षा तथा शिक्षक मूल्यांकन होगा तथा प्रत्येक प्रायोगिक के लिये ई.एस.ई एवं टी.ए,. वितरण और उत्तीर्ण मानक निम्नानुसार होगा।

industrial in a second	परीक्षा का नाम	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
1	सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (संस्थागत स्तर)	60:
2	कक्षा परीक्षा सैद्धांतिक (संस्थागत स्तर)	निरंक
3	सेमेस्टरांत परीक्षा	
	सैद्धांतिक (विश्वविद्यालय स्तर)	35 :
	प्रायोगिक (विश्वविद्यालय स्तर)	50 :
4	सेमेस्टर परीक्षा कक्षा परीक्षा एवं शिक्षक मूल्यांकन का सकल अंक	
	सैद्धांतिक	35 :
	प्रायोगिक	50 :
5	समग्र योग	50 :
1		

- 6.1.2 प्रायोगिक में सेमेस्टरांत परीक्षा के मूल्यांकन के लिये, एक बाह्य परीक्षा महाविद्यालय/संस्थान के बाहर से होगा एवं एक आंतरिक महाविद्यालय/संस्थान से होगा।
- 6.1.3 सेमेस्टर में प्रत्येंक सैद्धांतिक विषय में कम से कम दो कक्षा परीक्षा होगी। प्रत्येक सैद्धांतिक एवं/अथवा प्रयोगिक में शिक्षक मूल्यांकन गृह एसाइनमेंट क्वीज, लिये गये गृह परीक्षा, मौखिकी पर निर्भर होगी।
- 6.2 केंडिट का आधार
- 6.2.1 व्याख्यान (एल) में संपर्क का एक पीरियेड और ट्यूटोरियल (टी) या प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो पिरियेड एक केंडिट के समान होगा, इस प्रकार केंडिट = [एल+(टी+पी)/2] ।

6.2.2 कोई अभ्यर्थी केवल सेमेस्टर में आबंटित समस्त क्रेडिट को अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर में उत्तीर्ण होगा।

7.0 मेरिट सूचीः

- 7.1 अभ्यर्थी, जो प्रथम प्रयत्न में उत्तीर्ण हुये हों, के बीच से प्रत्येक संकाय में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में मेरिट के कम में 10 टॉप अभ्यर्थियों की मेरिट सूची की घोषणा की जायेगी।
- 7.2 संपूर्ण तीन वर्ष के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अभियांत्रिकी में पत्रोपाधि एवं अन्य संकाय के लिये केवल षष्ठम मुख्य परीक्षा एवं अंतिम सेमेस्टर के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा शाखावार अंतिम मेरिट सूची घोषित की जायेगी।

8.0 मूल्यांकन एवं ग्रेडिंगः

8.1 निर्घारण एवं मूल्यांकन की रीतिः

निरंतर मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन, तीनों घटकों जैसे कक्षा परीक्षा (सीटी), शिक्षक मूल्यांकन (टीए) एवं सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) के अनुसार किया जायेगा। टीए को और अधिक निष्पक्ष बनाने हेतु यह, उपस्थिति, गृह असाइनमेन्ट, गृह टेस्ट, बंद एवं खुले पुस्तिका टेस्ट, समुह असाइनमेन्ट, कक्षा में प्रदर्शन, मौखिकी, क्वीज आदि पर आधारित होगा। इसी तरह, प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक सैद्धांतिक विषय के कम से कम एक कक्षा परीक्षा होगा, जिसका परिणाम कक्षा में विद्यार्थी को परीक्षा उत्तरपुस्तिका सहित दिखाया जायेगा। तथापि, ईसीई, संबंद्ध विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालय/संस्थान द्वारा संचालित किया जायेगा। सीटी, टीए एवं ईसीई का अधिभार, परीक्षा योजना में दिये गये अनुसार होगा।

8.2 ग्रेडिंग प्रणालीः

पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का अनुपालन किया जायेगा प्रत्येक विषय में, अभ्यर्थी को सभी विषयों जैसे कि टीए, सीटी, एवं ईएसई के एक संयुक्त प्रदर्शन पर आधारित लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। ये ग्रेड, नीचे दी गई "ग्रेड पॉइंट" (जीपी) के रूप में ज्ञाता समकक्ष संख्या के माध्यम से अभ्यर्थी के प्रदर्शन के

गुणात्मक निर्धारण दर्शित करने वाले लेटर (अक्षर) द्वारा वर्णित होंगे। पाठ्यकम सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है अथवा केडिट, पाठ्यकम के लिये अर्जित किया जाता है तब लेटर ग्रेड सी या उससे अच्छा, पाठ्यकम में प्रदान किया जाता है।

विशिष्ट विषय में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको पर विचार करते हुए प्रत्येक विषय के लिये ग्रेड प्रदान किया जायेगा। यह, नीचे वर्णित किये गये पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर दिया जायेगा।

8.3 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणालीः

नीचे स्पष्ट किये गये पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार को सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय के लिये अंगीकृत किये जायेंगे-

ग्रेड		सैद्धांतिक		प्रायोगिक
A+	85	\leq Marks \leq 100%,	90	\leq Marks \leq 100%,
A	75	≤ Marks < 85%,	82	≤ Marks < 90%,
B+	65	≤ Marks < 75%,	74	≤ Marks < 82%,
В	55	≤ Marks < 65%	66	≤ Marks < 74%,
C+	45	≤ Marks < 55	58	≤ Marks < 66%,
С	35	≤ Marks < 45	50	≤ Marks < 58%,
F	0	≤ Marks < 35%,	0	≤ Marks < 50%,

अतएव लेटर ग्रेड A+, A, B+, B, C+, C ,व F तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रत्येक विषय हेतु उपलब्ध होंगे।

8.4 अनुत्तीर्ण ग्रेड "F"

इसके अतिरिक्त, F के और वर्गीकरण, निम्नानुसार है-

FF: F ग्रेड सैद्धांतिक / प्रायोगिक / दोनों में अनुत्तीर्ण ।

FI: बीमारी के कारण ईएलई एवं/या ईपीई में उपस्थित होने में अनुत्तीर्ण अथवा किन्तु अन्यथा संतोषजनक प्रदर्शन होने पर अतएव उस विषय में पुनः परीक्षा के लिये पात्र।

FS: सत्रीय अर्थात् इस प्रकार आवृत्ति सेमेस्टर TA में, अनुत्तीर्ण।

FX: उपस्थिति में कमी के कारण अनुत्तीर्ण इसलिये स्तर को दुबारा करना

WW: विभिन्न कारणों से राके गये परिणाम।

FA: कुल (समग्र) अंक जिसमें शैक्षिक भाग एवं कौशल भाग दोनों के अंक 50 प्रतिशत से कम अंक हो, के कारण अनुत्तीर्ण, इसलिए किसी विकल्प के एक या दो विषय (सैद्धांतिक / प्रायोगिक) में उपस्थित होने हेतु पात्रता।

8.5 न्यूनतम अर्हकारी अंकों की कमी

लेटर ग्रेड A+ से C अर्जित करने के लिये अभ्यर्थी को पात्र होना होगा-

- ई.एस.ई. में उपस्थित होने के लिये किसी अभ्यर्थी को प्रत्येक सैद्धांतिक एवं/अथवा
 प्रायोगिक में पृथक रूप से टी.ए. में न्यूनतम 60 प्रतिशत स्कोर करना होगा, इसमें अनुत्तीर्ण होने पर वह सेमेस्टर को दोहरायेगा।
- सिंडी, में न्यूनतम अंक आवश्यक / निर्धारित नहीं है।
- प्रत्येक सैद्धांतिक पेपर में न्यूनतम 35 प्रतिशत अर्जित करना होगा।
- प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्जित करना होगा।
- कुल अंक को मिलाकर 50 प्रतिशत अर्जित करना होगा।

8.6 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक (एस पी आई):

प्रथम (प) सेमेस्टर में विद्यार्थी का प्रदर्शन एस पी आई द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है जो सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है तथा जो निम्नलिखित द्वारा अभिव्यक्त है—

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots ...]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots ...]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

जहां इ एवं ळ कमशः केडिट और ग्रेड के लिए है, सीपीआई, पूर्णांक के बिना, अंक को दो स्थान तक संगणित किया जायेगा। सीपीआई तभी संगणित किया जायेगा जब विद्यार्थी, किसी विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में असफल हुए बिना, सेमेस्टर उत्तीर्ण करता है।

8.7 संचित प्रदर्शन सूचकांक (सी पी आई):

डिप्लोमा कार्यकम में उसके प्रवेश के समय सभी पाठ्यकम के लिए विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिमार औसत है, सेमेस्टर एक एवं दो का 50 प्रतिशत अधिमार, तथा शेष सेमेस्टर के लिए 100 प्रतिशत अधिमार सहित होगा। अतएव दो से अधिक "प्रथम (प)" सहित सेमेस्टर प्रथम (प) में सीपीआई, निम्नानुसार संगणित की जायेगी —

$$[CPI]_{i} = \frac{0.5(N_{1} + N_{2}) + \sum_{i=3}^{i \ge 3} N_{i}}{0.5(D_{1} + D_{2}) + \sum_{i=3}^{i \ge 3} D_{i}}$$

यदि विद्यार्थी पाठ्यकम को आवृत्ति करता है या किसी विषय में अनुत्तीर्ण घोषित होता है तो ही नवीनतम (आगामी) प्रयास में अभिप्राप्त ग्रेड पॉइन्ट, सीपीआई के निकटस्थ संगणित किया जायेग। सीपीआई, एसपी आई सहित प्रत्येक सेमेस्टर में संगणित किया

जायेगा ताकि विद्यार्थी को ज्ञात हो कि उसका सीपीआई कैसे परिवर्तित हो रहा है। तथापि, सीपीआई, 4 एवं 10 के बीच होगा।

8.8 कक्षा या डिवीजन प्रदान करना:

8.8.1 अभियांत्रिकी में डिप्लोमा एवं अन्य संकाय के साथ विद्यार्थी को प्रदान किया जाने वाला कक्षा / डिविजन, निम्न सारणी के अनुसार विद्यार्थी के वर्तमान सीपीआई से विनिश्चित की जायेगी—

विशिष्टता या आनर्स

₹ 75% ≤ Marks ≤100%

प्रथम श्रेणी

₹ 65% ≤ Marks < 75%

द्वितीय श्रेणी

₹ 50% ≤ Marks < 65%

8.8.2 सभी तीन वर्ष के लिए अभ्यर्थी के समेकित प्रदर्शन के आधार पर, अंतिम सेमेस्टर के पश्चात ही डिविजन प्रदान किया जायेगा।

9.0 अनुलिपीः

पाठ्यकम के पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को जारी अनुलिपी में विद्यार्थी द्वारा लिये गये सभी पाठ्यकमों के समेकित अभिलेख, अभिप्राप्त ग्रेड एवं अंतिम सी पी आई, अभिप्राप्त कक्षा या डिवीजन के साथ अंतर्विष्ट होंगे।

9.0 अग्रनयनः

उससे केवल उन विषयों में आगामी ईसीई उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जिसमें वह ँया थ्या थ्थ ग्रेड अवार्ड पाया था।

- 10.0 अंकों में कमी को माफ करने हेतु नियमः परीक्षा में मध्यम विशिष्ट प्रकरणों को ध्यान में रखते हुये, निम्नलिखित नियम देखे जायेंगेः
 - 10.1 अभ्यर्थी, जो एक अंक से प्रथम श्रेणी में अनुत्तीर्ण/विशिष्टता से चूक /विशिष्टता से वंचित हो रहे हों, डिप्लोमा परीक्षा में कुलपित की ओर से एक कृपोत्तीर्ण अंक दिये जायेंगे।

11.0 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना अंको के लिए नियम

11.1 कोई नियमित अभ्यर्थी, नियमित परीक्षा के परिणाम के घोषणा से 15 दिवस के भीतर विहित प्रपत्र में अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्याकंन के लिए कुलसचिव को आवेदन कर सकेगा । बैकलॉग पेपर के लिए उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्याकंन लागू नहीं होगा ।

किसी भी अभ्यर्थी को दो से अधिक पेपर में पुनर्मूल्याकंन करवाने की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी ।

परंतु यह भी कि प्रायोगिक आलेख, क्षेत्र कार्य, सत्रीय कार्य परीक्षा एवं परीक्षा में पेपर के बदले में शोध पत्र जमा करने की स्थिति में, पुनर्मूल्याकंन की अनुमति नहीं होगी ।

- 11.2 प्रत्येक पेपर के पुनर्मूल्याकंन एवं प्रत्येक पेपर के पुर्नगणना हेतु ऐसे समस्त आवेदनों को, विहित शुल्क भुगतान कर, जमा करना होगा ।
- 11.3 कोई अभ्यर्थी शुल्क वापसी का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि जांच के फलस्वरूप, उसके परीक्षा परिणाम को प्रभावित करने वाली चूक, सार्वजनिक नहीं होता है एवं पता नहीं चलता है । यदि अभ्यर्थी अधिक शुल्क जमा करता है तो उसे लौटाया नहीं जायेगा ।
- 11.4 अभ्यर्थी को एक परीक्षा में पुनर्मूल्यांकित दो से अधिक विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अनुमित नहीं दी जायेगी । यदि अभ्यर्थी अपने आवेदन में दो से अधिक विषय का उल्लेख करता है तो केवल प्रथम दो पाठ्यक्रम (विषय) का पुनर्मुल्यां किया जायेगा और शेष पाठ्यक्रमों (विषय) पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।
- 11.5 प्रायोगिक, शिक्षक मूल्यांकन कार्य एवं प्रगति परीक्षा की स्थिति में पुर्नमूल्याकंन की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- 11.6 यदि, पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन पर, परिणाम मूलतः प्रकाशित होने की त्रुटि होती है, पूरक सूची में आवश्यक सुधार कर प्रकाशित की जायेगी । अन्य समस्त

। यह, मामलों में पुनर्गणना के परिणाम, अधिकारी जिसने उसके आवेदन को अग्रेषित किया जाता है कि क्या वैयक्तिक प्रश्नों में प्राप्त अंको की गणना में कोई त्रुटि हुई है या किसी प्रश्न में प्राप्त अंको में से विलुप्ति हुई है 11.7 पुनर्गणना का कार्य पुनर्परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में सम्मिलित नहीं होता है किया है, के माध्यम से, यथासंभव शीघ्र, अभ्यर्थी को सूचित की जायेगी इस दृष्टि के साथ

टीप : इस अध्यादेश में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, किसी अनपेक्षित उद्भूत मामलों के लिए और अध्यादेश द्वारा आच्छादित न होने या निर्वचन में भिन्नता होने की स्थिति में, कुलपति निर्णय ले सकेगा और निर्णय, समस्त संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

00000

डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय

अध्यादेश कमांक 113 अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.ई / बी.टेक) में पूर्व स्नातक पाठयकम सहित प्रौद्योगिकी प्रबंधन में स्नातक (एमटीएम) (एकीकृत पाठ्यकम)

1.0 सामान्यः यह पाठ्यकम, अभियांत्रिकी (बीई) पाठ्यकम 4 वर्षीय (8 सेमेस्टर) के सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात प्रबंध (संबंधित संकाय में) में स्नातकोत्तर डिग्री को अग्रसरित करने वाली अभियांत्रिकी में साढ़े पांच वर्ष का एकीकृत पाठयकम है। प्रौद्योगिकी प्रबंधन स्नातक (एमटीएम), अभियांत्रिकी (संबंधित संकाय में) में स्नातक के पूरा होने पर प्रदान किया जायेगा।

2.0 प्रवेश अर्हता / पात्रताः

प्रवेश स्तरीय अर्हता, वही होगी जैसा कि विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री पाठयकम में प्रवेश के लिए विहित है।

- 3.0 सीटें / प्रवेशः दिये गये पाठ्यकम में पूर्व स्नातक पाठ्यकम के लिये कुल स्वीकृत संख्या से 60 विद्यार्थी चयनित किये जा सकेंगे। अभियांत्रिकी के लिये पाठ्यकम के तृतीय सेमेस्टर में वाणिज्य प्रबंधन में अतिरिक्त विषय के रूप में होगा। 60 सीटों के विभाग में, उस विशिष्ट वर्ष में संस्थान में विद्यमान प्रत्येक शाखा से विद्यार्थी की बराबर संख्या होगी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये एकीकृत पाठ्यकम के लिये विद्यार्थियों का चयन संबंधित संकाय के प्रथम वर्ष के परिणाम के शाखावार मेरिट आधारित तृतीय सेमेस्टर के पारंभ में किया जायेगा।
- 4.0 फीसः पाठ्यकम फीस, विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे (अथवा फीस निर्धारण समिति छत्तीसगढ़ शासन के समय—समय पर अनुशंसा अनुसार होंगे)।

5.0 पाठ्यक्म की अवधिः पाठ्यक्रम की कुल अवधि 5 वर्ष 6माह की होगी जिसमें 10 सेमेस्टर सहित एक औद्यौगिक इंटर्नशिप सेमेस्टर शामिल होगा।

6.0 पाठ्यचर्याः

- 6.1 पूर्व स्नातक डिग्री के केडिट के परे, विद्यार्थी को, तृतीय सेमेस्टर से आठवें सेमेस्टर के दौरान 24 केडिट के 6 अतिरिक्त विषय (1 प्रति सेमेस्टर) अध्ययन करना आवश्यक है।
- 6.2 इन केंडिट की पूर्ण करना एम.टी.एम. पाठ्यकम के लिये पांचवे वर्ष में प्रवेश के लिये आवश्यक है।
- 6.3 प्रत्येक नौवे एवं दसवे सेमेस्टर के लिये 32 केडिट आबंटित किया जायेगा, जिसमें शोध जो दसवे सेमेस्टर के पूरा होने के पश्चात् किया जायेगा, सम्मिलित है।
- 7.0 उपस्थितिः किसी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी से, अध्ययन पाठ्यकम के प्रत्येक विषय में पृथक—पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक एवं अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की अपेक्षा होगी, पाँच प्रतिशत तक की कमी को डाॅ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय के कुलपित के द्वारा संतोषपूर्ण कारण होने पर माफ किया जा सकेगा।
- 8.0 असाधारण लंबी अनुपस्थितीः यदि विद्यार्थी दो वर्ष से अनाधिक अविध हेतु इस विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के संकाय के शैक्षिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है तो उसे न तो किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमित दी जायेगी न ही किसी सेमेस्टर में प्रवेश या पदोन्नत किया जायेगा तथा वह बी.ई. /बी. टेक / एम.टी.एम. पाठ्यकम के साथ—साथ इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहेगा। यहा, शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थिति, नियमित विद्यार्थी के रूप में मुख्य या अनुपूरक परीक्षाओं में उपस्थिति। चिकित्सा आधार पर कैंपस से अनुपस्थिति के लिये, तीन माह से अनाधिक के अंतराल में प्रस्तुत नियमित अवकाश आवेदनों के अभिस्वीकृति पत्र द्वारा समर्थित होना आवश्यक है।

9.0 परीक्षाः

- सेमेस्टरांत (ईएसई) परीक्षा होगी। परीक्षा में, उस सेमेस्टर की परीक्षा योजना के अनुसार सामान्यतः प्रत्येक वर्ष नवम्बर-दिसम्बर एवं अप्रैल-मई के माह मे आयोजित सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, प्रायोगिक एवं मीखिकी सम्मिलित होगी। सेमेस्टर क्र सी.वी.आर.घू, द्वारा संचालित प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में 9.1
- सभी सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक सहित प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में पूर्ण परीक्षा होगी। 9.2
- परीक्षा कालावधि, 25 कार्य दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए। 9.3
- दुबारा विशिष्ट सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गये अभ्यर्थी, नियमित अभ्यथीं के रूप में उसी सेमेंस्टर, जो वर्ष के पश्चात् प्रारंभ होगा, को 9.4
- अन्यत्र उल्लिखित किसी बात के होते हुये भी, अभ्यर्थी को अधिकतम चार उपस्थित होने समानांतर सेमेस्टरांत परीक्षा (मुख्य/अनुपूरक) में दी जायेगी। 9.5
- सेमेस्टरांत परीक्षा का टाईम टेबल परीक्षा के प्रारंभ के 15 दिवस पूर्व घोषित किया जाना चाहिये। 9.6
- तैयारी अवकाशः प्रत्येक सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा में 10 दिन का ही तैयारी अवकाश, अग्रसरित होगा। 9.7

10.0 उत्तीर्ण परीक्षाः

- 10.1 अंको का आधारः
- परीक्षा प्रदर्शन, विषयवार मूल्यांकित किया जायेगा, सेमेस्टरांत (वं (मीटी) परीक्षा कक्षा सेमेस्टर में अभ्यर्थी का हेतु प्रश्नपत्र सैद्धांतिक 10.1.1 प्रत्येक प्रत्येक

(ईसीई) एवं शिक्षक मूल्यांकन (टीए) तथा प्रत्येक प्रायोगिक हेतु ईसीई एवं टीए, निम्नलिखित विभाजन एवं उत्तीर्ण मानक सहित होगा—

	परीक्षा का नाम	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
(एक)	सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के शिक्षक मूल्यांकन	60 प्रतिशत
	(ਟੀए)	
(दो)	कक्षा परीक्षा (सीटी)	निरंक
(तीन)	सेमेस्टरांत परीक्षा (ईसीई)	
	सैद्धांतिक	35 प्रतिशत(पूर्व स्नातक स्तर)
		40 प्रतिशत(पूर्व स्नातकोत्तर
		स्तर)
	प्रायोगिक	50 प्रतिशत
(चार)	ई सी ई, सी टी एवं टी ए का कुल योग	
	सैद्धांतिक	35 प्रतिशत (पूर्व स्नातक
		स्तर)
		40 प्रतिशत (पूर्व स्नातकोत्तर
		स्तर)
	प्रायोगिक	50 प्रतिशत
(पाँच)	सभी का कुल योग	50 प्रतिशत

सत्रीय चार्ट, प्राचार्य द्वारा पुनर्विलोकित एवं जांच की जायेगी तथा गोपनीय शाखा को अग्रेषित की जायेगी।

10.1.2 प्रायोगिक में सेमेस्टरांत परीक्षा के मूल्यांकन के लिये, एक बाह्य परीक्षा संस्थान/सी. वी. आर. यू. के बाहर से होगा एवं एक आंतरिक संस्थान/सी. वी. आर. यू. से होगा।

10.1.3 यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा पूर्णरूपेण उत्तीर्ण किया हो तो उसे डिवीजन/अंको में सुधार हेतु उसी परीक्षा में पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी।

11.0 केडिट का आधारः

- 11.1 केडिट =[L+(T+P)/2] जहां L= व्याख्यान प्रति सप्ताह, T= अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) प्रति सप्ताह, P= प्रायोगिक प्रति सप्ताह है। विषय में केडिट, पूर्णांक में होगा न कि भिन्नात्मक अंक में। यदि विषय में केडिट, भिन्नात्मक में परिवर्तित हो जाता है तो उसे आगामी पूर्णांक संख्या के रूप में लिया जायेगा।
- 11.2 अभ्यर्थी, सेमेस्टर में आबंटित सभी केंडिट तब ही अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर में उत्तीर्ण होता हो।

12.0 उच्च सेमेस्टर में पदोन्नयनः

12.1 अभ्यर्थी सेमेस्टर की परीक्षा, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के पूर्ण होने के पश्चात् उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा।

13.0 निर्घारण एवं ग्रेडिंगः

13.1 निर्घारण एवं मूल्यांकन की प्रणालीः

निरंतर मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन, तीनों घटकों जैसे कक्षा परीक्षा (सीटी), शिक्षक का निर्धारण (टीए) एवं सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) के अनुसार किया जायेगा। टीए को और अधिक निष्पक्ष बनाने हेतु यह, उपस्थिति, गृह असाइनमेन्ट, गृह टेस्ट, बंद एवं खुले पुस्तिका टेस्ट, समुह असाइनमेन्ट, कक्षा में प्रदर्शन, मौखिकी, क्वीज आदि पर आधारित होगा। इसी तरह, प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक सेद्धांतिक विषय के कम से कम एक कक्षा परीक्षा होगा, जिसका परिणाम कक्षा में विद्यार्थी को परीक्षा उत्तरपुस्तिका सहित दिखाया जायेगा।

13.2 ग्रेडिंग प्रणालीः

प्रतिशत के साथ—साथ पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का अनुपालन किया जायेगा प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में, अभ्यर्थी को सभी विषयों जैसे कि टीए, सीटी, एवं ईएसई के एक संयुक्त प्रदर्शन पर आधारित लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। ये ग्रेड, नीचे दी गई "ग्रेड पॉइंट" (जीपी) के रूप में ज्ञाता समकक्ष संख्या के माध्यम से अभ्यर्थी के प्रदर्शन के गुणात्मक निर्धारण दर्शित करने वाले लेटर (अक्षर) द्वारा वर्णित होंगे। पाठ्यकम सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है अथवा केडिट, पाठ्यकम के लिये अर्जित किया जाता है तब लेटर ग्रेड सी या उससे अच्छा, पाठ्यकम में प्रदान किया जाता है।

लेटर ग्रेड (एल जी): A+ A B+ B C+ C F ग्रेड पॉइंट (जी पी): 10 9 8 7 6 5 0

प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक एवं प्रायौगिक के लिये पृथक-पृथक ग्रेड प्रदान किया जायेगा। यह नीचे वर्णित अनुसार दिया जायेगा।

13.3 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणालीः

नीचे स्पष्ट किये गये पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार को सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय के लिये अंगीकृत किये जायेंगे—

ग्रेड		सैद्धांतिक	•	प्रायोगिक
A+	85	≤ Marks ≤ 100%,	90	≤ Marks ≤ 100%,
Α	75	≤ Marks < 85%,	82	≤ Marks < 90%,
B+	65	≤ Marks < 75%,	74	≤ Marks < 82%,
В	55	≤ Marks < 65%	66	≤ Marks < 74%,
C+	45	≤ Marks < 55	58	≤ Marks < 66%,

C 35≤ Marks < 45

50 ≤ Marks < 58%,

F 0 ≤ Marks < 35%, (पूर्व स्नातक स्तर)

 $0 \le Marks < 50\%$,

0 ≤ Marks < 40%,(स्नातकोत्तर स्तर)

अतएव लेटर ग्रेड A+, A,B+,B,C+,C एवं F तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रत्येक विषय हेतु उपलब्ध होंगे।

13.4 अनुत्तीर्ण ग्रेड "F"

इसके अतिरिक्त, F के और वर्गीकरण, निम्नानुसार है-

FF: किसी सैद्धांतिक / प्रायोगिक विषय में अनुत्तीर्ण।

FS: सत्रीय अर्थात् इस प्रकार आवृत्ति सेमेस्टर TA में, अनुत्तीर्ण।

WH: विभिन्न कारणों से राके गये परिणाम।

FA: कुल (एग्रीगेट) अंक जिसमें अंक 50 प्रतिशत से कम अंक हो, के कारण अनुत्तीर्ण, इसलिए किसी विकल्प के एक या दो विषय (सैद्धांतिक/प्रायोगिक) में उपस्थित होने हेतु पात्रता।

13.5 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक (एस पी आई):

किसी सेमेस्टर में विद्यार्थी का प्रदर्शन एस पी आई द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है जो सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है तथा जो निम्नलिखित द्वारा अभिव्यक्त है—

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots \dots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots \dots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

जहां C एवं G कमशः केंडिट और ग्रेड के लिए है, सीपीआई, पूर्णांक के बिना, अंक को दो स्थान तक संगणित किया जायेगा। सीपीआई तभी संगणित किया जायेगा जब विद्यार्थी, किसी विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में असफल हुए बिना, सेमेस्टर उत्तीर्ण करता है।

$$N_i$$
 is $[\sum CG]_i$ & D_i is $[\sum C]_i$

13.6 संचित प्रदर्शन सूचकांक (सी पी आई):

डिग्री कार्यकम में उसके प्रवेश के समय सभी पाठ्यकम के लिए विद्यार्थी द्वारा सभी पाठ्यकमों के लिए विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है, सेमेस्टर एक एवं दो का 10 प्रतिशत अधिभार, सेमेस्टर अंक तीन एवं चार का 20 प्रतिशत अधिभार, सेमेस्टर अंक पांच एवं छः का 30 प्रतिशत अधिभार एवं सेमेस्टर अंक सात, आठ, नव एवं दस का 100 प्रतिशत अधिभार सिहत होगा। अतएव दो से अधिक किसी सेमेस्टर में सीपीआई, निम्नानुसार संगणित की जायेगी जहां i दो से अधिक है—

$$[CPI]_{i} = \frac{0.1(N_{1} + N_{2}) + 0.2(N_{3} + N_{4}) + 0.3(N_{5} + N_{6}) + (N_{7} + N_{8}) + (N_{9} + N_{10}) + (N_{11})}{0.1(D_{1} + D_{2}) + 0.2(D_{3} + D_{4}) + 0.3(D_{5} + D_{6}) + (D_{7} + D_{8}) + (D_{9} + D_{10}) + (D_{11})}$$

यदि विद्यार्थी पाठ्यकम को आवृत्ति करता है या किसी विषय में अनुत्तीर्ण घोषित होता है तो ही नवीनतम (आगामी) प्रयास में अभिप्राप्त ग्रेड पॉइन्ट, सीपीआई के निकटस्थ संगणित किया जायेग। सीपीआई, एसपी आई सहित प्रत्येक सेमेस्टर में संगणित किया जायेगा ताकि विद्यार्थी को ज्ञात हो कि उसका सीपीआई कैसे परिवर्तित हो रहा है।

13.7 कक्षा या डिवीजन प्रदान करना:

13.7.1 बीई /बी टेक डिग्री के साथ विद्यार्थी को प्रदान किया जाने वाला कक्षा/डिविजन, निम्न सारणी के अनुसार विद्यार्थी के अंको के प्रतिशत से विनिश्चित की जायेगी—

प्रावीण्य या आनर्स

: 75% ≤ Marks ≤100%

प्रथम श्रेणी

: 65% ≤ Marks < 75%

द्वितीय श्रेणी

: 50% ≤ Marks < 65%

- 13.7.2 स्नातक डिग्री के लिये समस्त चार वर्ष के लिए एवं स्नातकोत्तर डिग्री के लिये पांच वर्ष के लिये अभ्यर्थी के समेकित प्रदर्शन के आधार पर, अंतिम सेमेस्टर के पश्चात ही डिविजन प्रदान किया जायेगा।
- 13.7.3 अभ्यर्थी को बीई अंतिम में उत्तीर्ण तब तक घोषित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने आठवे सेमेस्टर के सभी पूर्व परीक्षा पूरी तरह उत्तीर्ण न किया हो । उन अभ्यर्थियों, जिसने किसी पूर्व सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो, के आठवें एवं अंतिम सेमेस्टर का परिणाम , रोक दिया जायेगा। तथापि, उन्हें कमी के बारे में सूचित किया जायेगा। उसके द्वारा, वर्ष, जिसमें उसने सभी आठ सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करता हो, में अंतिम बीई परीक्षा उत्तीर्ण किय गया समझा जायेगा।
- 13.7.4 समेकित प्रदर्शन का मूल्यांकन, नीचे दिये गये अनुसार अभ्यर्थी के कुल स्कोर में जोड़े गये अधिमार अंकों के योजना के आधार पर किया जायेगा—

एक एवं दो सेमेस्टर एक वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर दो वर्ष पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर तीन वर्ष

10 प्रतिशत प्रथम वर्ष अंक. 20 प्रतिशत द्वितीय वर्ष अंक. 30 प्रतिशत तृतीय वर्ष अंक. सप्तम एवं अष्ठम सेमेस्टर चार वर्ष नवम एवं दशम सेमेस्टर पांच वर्ष ग्यारह सेमेस्टर (इंटर्नशीप) छः माह

100 प्रतिशत चतुर्थ वर्ष अंक. 100 प्रतिशत पांच वर्ष अंक. 100 प्रतिशत छः माह अंक.

13.8 अनुलिपीः

पाठ्यकम के पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को जारी अनुलिपी में विद्यार्थी द्वारा लिये गये सभी पाठ्यकमों के समेकित अभिलेख, अभिप्राप्त ग्रेड एवं अंतिम सी पी आई, अभिप्राप्त कक्षा या डिवीजन के साथ अंतर्विष्ट होंगे।

14.0 अंको की पुनर्गणना एवं पुनर्मुल्यांकनः

14.1 पुनर्गणनाः

- 14.1.1 कोई अभ्यर्थी, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, किसी एक या दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु अंको की पुनर्गणना के लिए सी वी रमन विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकेगा।
- 14.1.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सहित, संबंधित संस्थान जिसमें वह अध्ययनरत है, के प्राचार्य को परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।
- 14.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में प्रश्नपत्र की पुनः परीक्षा सम्मिलित नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जायेगा कि क्या विशिष्ट उत्तरों में दी गई अंकों की गणना में कोई त्रुटि या किसी उत्तर में दी गई अंको में कोई लोप की गई है।

- 14.2.1 अभ्यर्थी, अधिकतम दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के लिये ही मुख्य परीक्षा में अपने उत्तर पुरितका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते है।
- 14.2.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सहित, परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।
- 14.2.3 विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक, शिक्षक मूल्यांकन एवं कक्षा परीक्षा के मामले में पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- 14.3 विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक, शिक्षक मूल्यांकन एवं कक्षा परीक्षा की दशा में पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की अनुमित नहीं होगी।

15.0 मेरिट सूचीः

- 15.1 मेरिट के आदेश में प्रथम 10 अभ्यर्थी की मेरिट सूची, अभ्यर्थी, जिन्हे प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो, के बीच से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में घोषित की जायेगी।
- 15.2 शाखावार अंतिम मेरिट सूची, एमटीएम के लिए समस्त पांच वर्ष के समेकित प्रदर्शन के आधार पर, एमटीएम के दसवें सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा के पश्चात ही विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जायेगा। मेरिट सूची में कम से कम प्रथम डिविजन अर्जित करने वाले तथा एमटीएम के लिए समस्त दसवे सेमेस्टर में एकल प्रयास में सभी सेमेस्टर उत्तीर्ण करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।
- 15.3 मेरिट सूची, पुनर्मूल्यांकन परीणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के पश्चात घोषित किया जायेगा।
- 16.0 अभ्यर्थी के मामले में, विश्वविद्यालय के विद्या परिषद की अनुशंसा द्वारा अपना स्नातक डिग्री (बीई) पूर्ण करने के स्तर में एकीकृत पाठयकम एमटीएम से (विशेष परिस्थितियों में) निर्गत हो।

17.0 निर्वचन : इस अध्यादेश के निर्वचन के विषयों में कोई संदेह, विवाद या अस्पटता की दशा में, कुलपित का विनिश्चय, अंतिम होगा और विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों / संबंधित पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।

--00000-

डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय

अध्यादेश कमांक 114 प्रबंधन में स्नातक (बीएम) अथवा अनुप्रयुक्त प्रबंधन में स्नातक (बीएएम) सहित अनुप्रयुक्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमएएम)

(ड्यूल डिग्री पाठ्यकम)

1. सामान्यः यह पांच वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात प्रबंधन में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री (बीएम) या अनुप्रयुक्त प्रवंधन में चार वर्षीय स्नातक डिग्री (बीएएम) और अनुप्रयुक्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री (एमएएम) प्रदान करने हेतु अग्रसरित प्रबंधन में पांच वर्षीय ड्यूल डिग्री पाठ्यकम है।

2. प्रवेश / पात्रताः

- 2.1 इस पाठयकम में प्रवेश हेतु, विद्यार्थी, 12 कक्षा (या समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा सामान्य विद्यार्थी के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक (आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक) अभिप्राप्त करना चाहिए तथा इस प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) उत्तीर्ण होना चाहिए।
- 2.2 प्रथम वर्ष में लिया गया प्रवेश, पांच वर्षीय ड्यूल डिग्री पाठ्यकम में प्रवेश होगा तथा उससे पाठयकम के किसी भी प्रकम में पुनःप्रवेश लिया जाना तब तक अपेक्षित नहीं होगा जब तक कि वह तृतीय या चतुर्थ वर्ष के पश्चात पाठयकम अनिरंतर नहीं कर देता है।
- 2.3 पाठयकम संरचना कार्य निम्नानुसार अतिरिक्त प्रवेश बिन्दु उपबंधित करता है,
 अभ्यर्थी, जिसने बीएम डिग्री प्राप्त करने पर अपना अध्ययन अनिरंतर किया
 हो, एमएएम पूर्ण करने हेतु चौथे एवं पांचवे पाठयकम के लिए अंतिम तिथि में
 प्रवेश (ज्वाइन) कर सकता है। तथापि, ऐसे विद्यार्थी को चौथे वर्ष के अंत में

बीएएम डिग्री प्रदान नहीं किया जायेगा यदि वह चौथे वर्ष में भी अध्ययन को अनिरंतर करता हो।

अभ्यर्थी, जिसने बीएम डिग्री प्राप्त करने पर अपना अध्ययन अनिरंतर किया हो, एमएएम पूर्ण करने हेतु पांचवे पाठयकम के लिए अंतिम तिथि में प्रवेश (ज्वाइन) कर सकता है।

- 2.4 विज्ञान, वाणिज्य एवं कला के संकाय से विद्यार्थी, इस ड्यूल डिग्री पाठ्यकम में प्रवेश हेत् पात्र है।
- सीटें: बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी स्थापित किये जा सकेंगे।
- फीसः पाठ्यकम फीस, विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे (अथवा फीस निर्धारण समिति छत्तीसगढ़ शासन के (समय—समय पर) अनुशंसा अनुसार होंगे)।
- 5. पाठयकम की अविधः पाठयकम के लिए सेमेस्टर पैटर्न का अनुपालन किया जायेगा तथा सोलह सप्ताह का 10 सेमेस्टर होगा एवं पांचवें वर्ष में, जिसमें विषय सूची एवं प्रतिपादन में अन्तर आनुशासनिक दृष्टिकोण रखते हुए, उद्योग आधारित प्रोजेक्ट होगा।
- 6. उपस्थितिः किसी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी से, अध्ययन पाठ्यकम के प्रत्येक विषय में पृथक—पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक एवं अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की अपेक्षा होगी। पाँच प्रतिशत तक की कमी को डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय के क्लपति के द्वारा संतोषपूर्ण कारण होने पर माफ किया जा सकेगा।
- 7. असाधारण लंबी अनुपस्थितीः यदि विद्यार्थी दो वर्ष से अनाधिक अवधि हेतु इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन संकाय की शैक्षिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है तो उसे न तो किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमित दी जायेगी न ही किसी सेमेस्टर में प्रवेश या पदोन्नत किया जायेगा तथा वह बीएएम / एमएएम पाठ्यकम के साथ—साथ इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहेगा। यहां, शैक्षिक गतिविधि में भाग

लेने से अभिप्रेत है व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थिति, नियमित विद्यार्थी के रूप में मुख्य या अनुपूरक परीक्षाओं में उपस्थिति। चिकित्सा आधार पर कैंपस से अनुपरिथित के लिये, तीन माह से अनाधिक के अंतराल में प्रस्तुत नियमित अवकाश आवेदनों की अभिस्वीकृति पत्र द्वारा समर्थित होना आवश्यक है।

परीक्षाः

- 8.1 सी.वी.आर.यू. द्वारा संचालित प्रत्येक सेमेस्टर में सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) होगी। परीक्षा में, उस सेमेस्टर की परीक्षा योजना के अनुसार सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, प्रायोगिक एवं मौखिकी सम्मिलित होगी। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः प्रत्येक वर्ष नवम्बर—दिसम्बर एवं अप्रैल—मई के माह में आयोजित होगी।
- 8.2 सभी सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र सहित प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में पूर्ण परीक्षा होगी।
- 8.3 परीक्षा कालावधि, 25 कार्य दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 8.4 विशिष्ट सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गये अभ्यर्थी, नियमित अभ्यर्थी के रूप में, जो एक वर्ष के पश्चात प्रारंभ करेंगे, उसी सेमेस्टर को दुबारा करेंगे।
- 8.5 अन्यत्र उल्लिखित किसी बात के होते हुये भी, अभ्यर्थी को अधिकतम चार समानांतर सेमेस्टरांत परीक्षा (मुख्य/अनुपूरक) में उपस्थित होने के अनुमित दी जायेगी।
- 8.6 सेमेस्टरांत परीक्षा का टाईम टेबल परीक्षा के प्रारंभ के 15 दिवस पूर्व घोषित किया जाना चाहिये।
- 8.7 तैयारी अवकाशः प्रत्येक सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा में 10 दिन का ही तैयारी अवकाश, अग्रसरित होगा।

9. उत्तीर्ण परीक्षाः

9.1 अंको का आघारः

प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी का प्रदर्शन, विषयवार मूल्यांकित किया जायेगा, प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु आंतरिक असाइनमेंट एवं सेमेस्टरांत परीक्षा (ईसीई), निम्नलिखित विभाजन एवं उत्तीर्ण मानक सहित होगा—

परीक्षा का नाम (एक) सेमेस्टरांत परीक्षा (ईसीई) सैद्धांतिक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35 प्रतिशत (पूर्व स्नातक स्तर

हेतु)

40 प्रतिशत (पूर्व स्नातक स्तर

हेतु)

(दो) आंतरिक असाइनमेंट

35 प्रतिशत

10. यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा पूर्णरूपेण उत्तीर्ण किया हो तो उसे डिवीजन/अंको में सुधार हेतु उसी परीक्षा में पुनः उपस्थित होने की अनुमित नहीं होगी।

11. केडिट का आधारः

- 11.1 केडिट =[L+(T+P)/2] जहां L= व्याख्यान प्रति सप्ताह, T= अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) प्रति सप्ताह, P= प्रायोगिक प्रति सप्ताह है। विषय में केडिट, पूर्णांक में होगा न कि भिन्नात्मक अंक में। यदि विषय में केडिट, भिन्नात्मक में परिवर्तित हो जाता है तो उसे आगामी पूर्णांक संख्या के रूप में लिया जायेगा।
 - 11.2 अभ्यर्थी, सेमेस्टर में आबंटित सभी केंडिट तब ही अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर में उत्तीर्ण होता हो।

12. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नयनः

12.1 अभ्यर्थी सेमेस्टर की परीक्षा, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के पूर्ण होने के पश्चात् उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा।

13. निर्घारण एवं ग्रेडिंगः

13.1 निर्धारण एवं मूल्यांकन की रीतिः

निरंतर मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन, तीनों घटकों जैसे कक्षा परीक्षा, असाइनमेंटएवं सेमेस्टरांत परीक्षा के अनुसार किया जायेगा।

13.2 ग्रेडिंग प्रणालीः

प्रतिशत के साथ-साथ पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का अनुपालन किया जायेगा। प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक में, अभ्यर्थी को सभी विषयों के एक संयुक्त प्रदर्शन पर आधारित लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। ये ग्रेड, नीचे दी गई "ग्रेड पॉइंट" (जीपी) के रूप में ज्ञाता समकक्ष संख्या के माध्यम से अभ्यर्थी के प्रदर्शन के गुणात्मक निर्धारण दर्शित करने वाले लेटर (अक्षर) द्वारा वर्णित होंगे। पाठ्यकम सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है अथवा केडिट, पाठ्यकम के लिये अर्जित किया जाता है तब लेटर ग्रेड सी या उससे अच्छा, पाठ्यकम में प्रदान किया जाता है।

प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के लिये पृथक-पृथक ग्रेड प्रदान किया जायेगा। यह नीचे वर्णित अनुसार दिया जायेगा।

13.3 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणालीः

नीचे स्पष्ट किये गये पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार को सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय के लिये अंगीकृत किये जायेंगे—

ग्रेड सैद्धांतिक प्रायोगिक A+ 85 ≤ Marks ≤ 100%, 90 ≤ Marks ≤ 100%, A 75 ≤ Marks < 85%, 82 ≤ Marks < 90%,

```
65
B+
           ≤ Marks < 75%,
                             74
                                   ≤ Marks < 82%,
      55
\mathbf{B}
           ≤ Marks < 65%
                             66
                                   ≤ Marks < 74%,
C+
      45
           ≤ Marks < 55%
                             58
                                   ≤ Marks < 66%,
C
      35≤ Marks < 45%
                             50
                                   ≤ Marks < 58%,
      0 \le Marks < 35\%
      (स्नातक स्तर हेतु)
F
                             0 \leq Marks < 50\%
      0 \le Marks < 40\%
      (रनातकोत्तर स्तर हेतू)
```

अतएव लेटर ग्रेड A+, A, B+, B, C+, C एवं F तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रत्येक विषय हेतु उपलब्ध होंगे।

13.4 अनुत्तीर्ण ग्रेड "F"

इसके अतिरिक्त, F के और वर्गीकरण, निम्नानुसार है-

FF: किसी सैद्धांतिक / प्रायोगिक विषय में अनुत्तीर्ण।

FS: सत्रीय अर्थात् इस प्रकार आवृत्ति सेमेस्टर टीए में, अनुत्तीर्ण।

WH: विभिन्न कारणों से राके गये परिणाम।

FA: कुल (एग्रीगेट) अंक जिसमें अंक 50 प्रतिशत से कम अंक हो, के कारण अनुत्तीर्ण, इसलिए किसी विकल्प के एक या दो विषय (सैद्धांतिक/प्रायोगिक) में उपस्थित होने हेतु पात्रता। 13.5 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक (एस पी आई):

प्रथम (i) सेमेस्टर में विद्यार्थी का प्रदर्शन सी पी आई द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है जो सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है तथा जो निम्नलिखित द्वारा अभिव्यक्त है—

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots ...]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots ...]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

जहां C एवं G कमशः केडिट और ग्रेड के लिए है, सीपीआई, पूर्णांक के बिना, अंक को दो स्थान तक संगणित किया जायेगा। सीपीआई तभी संगणित किया जायेगा जब विद्यार्थी, किसी विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में असफल हुए बिना, सेमेस्टर उत्तीर्ण करता है।

$$N_i$$
 is $[\sum CG]_i$ & D_i is $[\sum C]_i$

13.6 संचित प्रदर्शन सूचकांक (सी पी आई):

डिग्री कार्यक्रम में उसके प्रवेश के समय सभी पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी द्वारा सभी पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है, सेमेस्टर एक एवं दो का 10 प्रतिशत अधिभार, सेमेस्टर अंक तीन एवं चार का 20 प्रतिशत अधिभार, सेमेस्टर अंक पांच एवं छः का 30 प्रतिशत अधिभार एवं सेमेस्टर अंक सात, आठ, नौ एवं दस का 100 प्रतिशत अधिभार सहित होगा। अतएव दो से अधिक 'प्रथम (i)' सहित सेमेस्टर प्रथम (i) में सीपीआई, निम्नानुसार संगणित की जायेगी —

$$[CPI]_{i} = \frac{0.1(N_{1} + N_{2}) + 0.2(N_{3} + N_{4}) + 0.3(N_{5} + N_{6}) + (N_{7} + N_{8}) + (N_{9} + N_{10})}{0.1(D_{1} + D_{2}) + 0.2(D_{3} + D_{4}) + 0.3(D_{5} + D_{6}) + (D_{7} + D_{8}) + (D_{9} + D_{10})}$$

यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम को आवृत्ति करता है या किसी विषय में अनुत्तीर्ण घोषित होता है तो ही नवीनतम (आगामी) प्रयास में अभिप्राप्त ग्रेड पॉइन्ट, सीपीआई के निकटस्थ संगणित किया जायेग। सीपीआई, एसपी आई सिहत प्रत्येक सेमेस्टर में संगणित किया जायेगा ताकि विद्यार्थी को ज्ञात हो कि उसका सीपीआई कैसे परिवर्तित हो रहा है।

13.7 कक्षा या डिवीजन प्रदान करना :

13.7.1 बीएम/बीएएम/एमएएम डिग्री के साथ विद्यार्थी को प्रदान किया जाने वाला कक्षा/डिविजन, निम्न सारणी के अनुसार विद्यार्थी के अंको के प्रतिशत से विनिश्चित की जायेगी—

प्रावीण्य या आनर्स

: 75% ≤ Marks ≤100%

> प्रथम श्रेणी

: 60% ≤ Marks < 75%

> द्वितीय श्रेणी

 $: 45\% \le Marks < 60\%$

तृतीय श्रेणी

: 35% ≤ Marks < 45% केवल स्नातक स्तर

- 13.7.2 सभी पांच वर्ष के लिए अभ्यर्थी के समेकित प्रदर्शन के आधार पर, अंतिम सेमेस्टर के पश्चात ही डिविजन प्रदान किया जायेगा।
- 13.7.3 अभ्यर्थी को एमएएम अंतिम में उत्तीर्ण तब तक घोषित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने दसवें सेमेस्टर के सभी पूर्व परीक्षा पूरी तरह उत्तीर्ण न किया हों।
- 13.7.4 समेकित प्रदर्शन का मूल्यांकन, नीचे दिये गये अनुसार अभ्यर्थी के कुल स्कोर में जोड़े गये अधिमार अंकों के योजना के आधार पर किया जायेगा—

एक एवं दो सेमेस्टर एक वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर दो वर्ष पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर तीन वर्ष

10 प्रतिशत प्रथम वर्ष अंक. 20 प्रतिशत द्वितीय वर्ष अंक. 30 प्रतिशत तृतीय वर्ष अंक. सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर चार वर्ष नवम एवं दशम सेमेस्टर पांच वर्ष

100 प्रतिशत चतुर्थ वर्ष अंक. 100 प्रतिशत पांच वर्ष अंक.

13.8 अनुलिपीः

पाठ्यकम के पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को जारी अनुलिपी में विद्यार्थी द्वारा लिये गये सभी पाठ्यकमों के समेकित अभिलेख, अभिप्राप्त ग्रेड एवं अंतिम सी पी आई, अभिप्राप्त कक्षा या डिवीजन के साथ अंतर्विष्ट होंगे।

14. अंको की पुनर्गणना एवं पुनर्मुल्यांकनः

14.1 पुनर्गणनाः

- 14.1.1 कोई अभ्यर्थी, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, किसी एक या दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु अंको की पुनर्गणना के लिए सी वी रमन विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकेगा।
- 14.1.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सहित, संबंधित संस्थान जिसमें वह अध्ययनरत है, के प्राचार्य को परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।
- 14.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में प्रश्नपत्र की पुनः परीक्षा सम्मिलित नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जायेगा कि क्या विशिष्ट उत्तरों में दी गई अंकों की गणना में कोई त्रुटि या किसी उत्तर में दी गई अंको में कोई लोप की गई है।

14.2 पुनर्मूल्यांकन

14.2.1 अभ्यर्थी, अधिकतम दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के लिये ही मुख्य परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते है।

- 14.2.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सहित, परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।
- 14.2.3 यदि, मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में पुनर्मूल्यांकन में कोई त्रुटि पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार अधिसूचित किया जायेगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम की संसूचना अभ्यर्थी को दी जायेगी।

15. मेरिट सूचीः

- 15.1 मेरिट के आदेश में प्रथम 10 अभ्यर्थी की मेरिट सूची, अभ्यर्थी, जिन्हे प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो, के बीच से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में घोषित की जायेगी।
- 15.2 मेरिट सूची, पुनर्मूल्यांकन परीणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के पश्चात घोषित किया जायेगा।
- 16. निर्वचन : इस अध्यादेश के निर्वचन के विषयों में कोई संदेह, विवाद या अस्पटता की दशा में, कुलपित का विनिश्चय, अंतिम होगा और विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों/संबंधित पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।

डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 115 विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.) ऑनर्स

यह अध्यादेश, विज्ञान में स्नातक अग्रसरित कार्यक्रम के लिए लागू होगा ।

1.0 सामान्य:

यह त्रिवर्षीय (छःसेमेस्टर) डिग्री पाठ्यक्रम है । प्रत्येक सेमेस्टर लगभग छः माह की अविध का होगा जिसमें (अवकाश, उपक्रमात्मक अवकाश, परीक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि) सिम्मिलित है ।

2.0 प्रवेश:

विश्वविद्यालय केवल ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमित एवं बी.एससी. (ऑनर्स) की डिग्री प्रदान करेगा जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हो । बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा विहित नियमों के अनुसार दिया जायेगा ।

3.0 प्रवेश हेतु पात्रता :

विज्ञान संकाय में सामान्य हेतु 45 प्रतिशत (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. हेतु 40 प्रतिशत) अंकों के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण ।

4.0 कार्यक्रम विषय वस्तु एवं अवधि :

- (क) स्नातक (ऑनर्स) डिग्री कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा संबंधित कार्यक्रम के पाठ्य्क्रम में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं / या अन्य विषयवस्तु की संख्या समाविष्ट होंगे, जैसा कि विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित हो ।
- (ख) कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अविध में शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं संबंधित कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम में यथा विनिर्दिष्ट कार्यक्रम अविध होंगे।
- (ग) कार्यक्रम, जिसके लिए विहित कार्यक्रम अवधि एन सेमेस्टर है, को पूरा करने के लिए अधिकतम अनुज्ञेय अवधि (एन+4) सेमेस्टर होगी । समस्त कार्यक्रम को

(एन+4) सेमेस्टर में पूर्ण करना आवश्यक होगा। अत्यधिक विशेष परिस्थितियों के अधीन कुलपति के अनुमोदन के साथ सकल कालावधि की अवधि में 2 सेमेस्टर और बढाया जा सकेगा।

(घ) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम 6 सेमेस्टर में विभक्त होगा और व्याख्यान, ट्यूटोरिल, सेमिनार एवं प्रोजेक्ट आदि सम्मिलित होंगे, जैसा की समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित हो ।

5.0 सेमेस्टर अवधि :

- (क) शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में होंगे, प्रत्येक सेमेस्टर 20 सप्ताह की होगी । उसे शीतकालीन सेमेस्टर के पश्चात् 3 से 5 सप्ताह एवं ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर के पश्चात् 6 से 10 सप्ताह का अंतराल दिया जायेगा।
- (ख) सेमेस्टर का शैक्षणिक अंतराल नीचे दिये अनुसार होगा-
 - सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाएं (कला परीक्षा सम्मिलित) 16-18 सप्ताह।
 - सेमेस्टरांत परीक्षा 2-4 सप्ताह की प्रायोगिक सहित।

6.0 प्रयोज्य शुल्क :

- (क) समस्त ऐसे शुल्क, जिसमें पाठ्यक्रम एवं परीक्षा शुल्क सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें, प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में विद्यार्थियों द्वारा भुगतान किया जायेगा, ।
- (ख) एक बार जमा किया गया शुल्क, अवधान राशि को छोड़कर किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी ।
- (ग) समस्त विद्यार्थियों को कक्षायें प्रारंभ होने के पूर्व विहित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। वास्तवितक कठिनाई की कतिपय दशाओं में, कुलपित अपने विशेषाधिकार से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि में विस्तार कर सकेंगे।
- (घ) किसी भी विद्यार्थियों को सेमेस्टरांत परीक्षा में तब तक उपस्थित होने की अनुमित नहीं दी जायेगी जब तक वह विश्वविद्यालय के समस्त देयकों का भुगतान न कर दें।

7.0 उपस्थित : समस्त विद्यार्थियों से प्रत्येक विषय (व्याख्यान, ट्युटोरियल एवं प्रायोगिक) में सामान्य तौर पर 100 प्रतिशत उपस्थिति की अपेक्षा होगी । वास्तविक कारणों के लिए 25 प्रतिशत तक उपस्थिति माफ की जा सकती है । तथापि किसी भी परिस्थिति में, विद्यार्थी को विषय में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के साथ विषय के सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमित नहीं होगी । परंतु यह कि किसी पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में अंतिम तिथि के बाद प्रवेश लिए विद्यार्थीयों को, उनके प्रवेश की तिथि से कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति (चिकित्सा एवं अन्य कारणों सिहत) रखना होगा। यदि विद्यार्थी जिसे संस्थान द्वारा वास्तव में निरुद्ध किया गया है, व्यतिक्रम द्वारा परीक्षा में उपस्थित होता है तो उसका परिणाम बातिल और शून्य माना जायेगा। ।

8.0 मूल्यांकन :

सेमेस्टर में विद्यार्थी का प्रदर्शन सतत कक्षा मूल्यांकन एवं सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकित किया जायेगा ।

- (क) मूल्यांकन के विविध घटकों के लिए वितरण को अधिभार दिया जायेगा जैसा कि शिक्षण एवं परीक्षा योजना में परिभाषित है ।
- (ख) सेमेस्टरांत सैद्धांतिक पेपर, प्रायोगिक परीक्षा (यदि लागू हो) एवं सन्त्रीय कार्य में आबंटित अंको को मिलाकर विषय में अंक प्राप्त होंगे ।
- (ग) प्रत्येक विषय (सैद्धांतिक एवं सत्रीय कार्य) में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक शिक्षण एवं परीक्षा योजना में विहित होगा ।
- (घ) अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के क्रम में विशेष सेमेस्टर में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा ।

9.0 प्रोन्नति :

खण्ड 9 के अधीन समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर अभ्यर्थी को अध्ययन के अगते शैक्षणिक वर्ष में प्रोन्नत किया जायेगा ।

(क) अभ्यर्थी अध्ययन के अगले शैक्षणिक वर्ष में अनंतिम प्रोन्नित हेतु पात्र होगा यहि वह वर्ष में (दो सेमेस्टर के अंत में) 6 विषयों (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक वो सम्मिलित करते हुए) से अधिक में अनुत्तीर्ण न हों । (ख) अभ्यर्थी जो समस्त विषयों में प्राप्त अंक को मिलाकर अनुत्तीर्ण है, अग्रनयन (कैरीओव्हर) के साथ अनितम प्रोन्नित हेतु पात्र होगा वह उस विशेष शैक्षणिक सेमेस्टर के अधिकतम कोई दो सैद्धांतिक पेपर तक विकल्प ले सकेगा तथा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित तथा सकल अंकों की कमी की पूर्ति कर सकेगा।

10.0 श्रेणी या डिवीजन का अवार्डः

बी.एस.सी. (ऑनर्स) डिग्री विद्यार्थी को क्लास/डिवीजन अवार्ड करने का विनिश्चय विद्यार्थियों के अंको के प्रतिशत द्वारा नीचे दिये गये सारणी के अनुसार किया जावेगा :

 प्रथम श्रेणी (प्रावीण्य)
 75% ≤ अंक < 100%</td>

 प्रथम श्रेणी (फस्ट डिवीजन)
 60 % ≤ अंक < 75%</td>

 द्वितीय श्रेणी (सेकेंड डिवीजन)
 50 % ≤ अंक 60%

 सकल अंको में अनुत्तीर्ण
 < 50 %</td>

संपूर्ण तीन वर्षों के लिए अभ्यर्थी के एकीकृत प्रदर्शन पर आधारित केवल छठवें एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के पश्चात् डिवीजन अवार्ड किया जायेगा ।

11.0 विद्यार्थी शिकायत समिति :

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम समन्वयक एवं निदेशक के विशिष्ट अनुशंसा के साथ प्रश्न पत्र समन्वयन के संबंध में परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् सात दिवस के भीतर विद्यार्थियों से कोई लिखित अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त होने की दशा में, कुलपित द्वारा गठित विद्यार्थी शिकायत समिति द्वारा विचार किया जावेगा।

12.0 जांच एवं पुनर्मुल्यांकन :

विद्यार्थी, शैक्षणिक परिषद द्वारा समय—समय पर नियत किये गए शुल्क का भुगतान करने पर सेमेस्टरांत परीक्षा में प्राप्त अंको की जांच हेतु परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा। वह शैक्षणिक परिषद द्वारा समय—समय पर नियत किये गये शुल्क का भुगतान करने पर अपने उत्तर पुस्तिका के पुर्नमुल्यांकन के लिए भी आवेदन कर सकेगा।

13.0 डिग्री का अवार्ड :

किसी विद्यार्थी को डिग्री अवार्ड किया जायेगा यदि-

- (क) अध्ययन के पाठ्यक्रम के साथ वह स्वयं को पंजीकृत करता है/करती है, निर्धारित समय के भीतर उसके/उसकी कार्यक्रम की पाठ्यचर्चा में विनिर्दिष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट/शोधप्रबंध को पूर्ण करता है और संबंधित डिग्री के अवार्ड हेतु विहित न्यूनतम केडिट अर्जित करता है।
- (ख) विश्वविद्यालय के संस्था में उसका / उसकी नाम से कोई बकाया देय राशि नहीं है।
- (ग) उसका / उसकी विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है ।
- 14.0 अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अध्यधीन होते हुए, ऐसे प्रशासकीय मुद्दों जैसे परीक्षा में नियम विरूद्ध संचालन, अन्य कदाचार, परीक्षा प्रपत्र के जमा करने की तिथि, बुप्लीकेट डिग्री का जारी किया जाना, परीक्षकों, अधीक्षकों, पर्यवक्षकों को निर्देश, उनके परिश्रमिक एवं परीक्षा संचालन के साथ जुड़े कोई अन्य मामले को शैक्षणिक परिषद द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार निराकृत किया जायेगा ।
- 15.0 इस अध्यादेश में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, या निर्वचन में भिन्नता होने की स्थिति में, किसी या सभी विभागों के प्रमुख से गठित समिति के मत/सलाह, यदि आवश्यक हो, प्राप्त होने के पश्चात् कुलपित निर्णय ले सकेगा । कुलपित का निर्णय अंतिम होगा ।

-0000-----

डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 116 वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.) ऑनर्स

यह अध्यादेश, वाणिज्य में स्नातक अग्रसरित कार्यक्रम के लिए लागू होगा ।

1.0 सामान्य:

यह त्रिवर्षीय (छःसेमेस्टर) डिग्री पाठ्यक्रम है । प्रत्येक सेमेस्टर लगभग छः माह की अविध का होगा जिसमें (अवकाश, उपकमात्मक अवकाश, परीक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि) सिम्मिलित है ।

2.0 प्रवेश:

विश्वविद्यालय केवल ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमित एवं बी.कॉम. (ऑनर्स) की डिग्री प्रदान करेगा जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हो। बी कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा विहित नियमों के अनुसार दिया जायेगा।

3.0 प्रवेश हेतु पात्रता :

वाणिज्य संकाय में सामान्य हेतु 45 प्रतिशत (एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. हेतु 40 प्रतिशत) अंकों के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण ।

- 4.0 कार्यक्रम विषय वस्तु एवं अवधि :
 - (क) स्नातक (ऑनर्स) डिग्री कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा संबंधित कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं / या अन्य विषयवस्तु की संख्या समाविष्ट होंगे, जैसा कि विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित हो ।
 - (ख) कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवधि में शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं संबंधित कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम में यथा विनिर्दिष्ट कार्यक्रम अवधि होंगे।
 - (ग) कार्यक्रम, जिसके लिए विहित कार्यक्रम अवधि एन सेमेस्टर है, को पूरा करने के लिए अधिकतम अनुज्ञेय अवधि (एन+4) सेमेस्टर होगी । समस्त कार्यक्रम को

(एन+4) सेमेस्टर में पूर्ण करना आवश्यक होगा। अत्यधिक विशेष परिस्थितियों के अधीन कुलपित के अनुमोदन के साथ सकल कालाविध की अविध में 2 सेमेस्टर और बढाया जा सकेगा।

(घ) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम 6 सेमेस्टर में विभक्त होगा और व्याख्यान, ट्यूटोरिल, सेमिनार एवं प्रोजेक्ट आदि सम्मिलित होंगे, जैसा की समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित हो ।

5.0 सेमेस्टर अवधि :

- (क) शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में होंगे, प्रत्येक सेमेस्टर 20 सप्ताह की होगी । उसे शीतकालीन सेमेस्टर के पश्चात् 3 से 5 सप्ताह एवं ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर के पश्चात् 6 से 10 सप्ताह का अंतराल दिया जायेगा।
- (ख) सेमेस्टर का शैक्षणिक अंतराल नीचे दिये अनुसार होगा-
 - सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाएं (कला परीक्षा सम्मिलित) 16-18 सप्ताह।
 - सेमेस्टरांत परीक्षा 2-4 सप्ताह की प्रायोगिक सहित।

6.0 प्रयोज्य शुल्क :

- (क) समस्त ऐसे शुल्क, जिसमें पाठ्यक्रम एवं परीक्षा शुल्क सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें, प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में विद्यार्थियों द्वारा भुगतान किया जायेगा, ।
- (ख) एक बार जमा किया गया शुल्क, अवधान राशि को छोड़कर किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी ।
- (ग) समस्त विद्यार्थियों को कक्षायें प्रारंभ होने के पूर्व विहित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। वास्तवितक कठिनाई की कतिपय दशाओं में, कुलपित अपने विशेषाधिकार से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि में विस्तार कर सकेंगे।
- (घ) किसी भी विद्यार्थियों को सेमेस्टरांत परीक्षा में तब तक उपस्थित होने की अनुमित नहीं दी जायेगी जब तक वह विश्वविद्यालय के समस्त देयकों का भुगतान न कर दें।

7.0 उपस्थित : समस्त विद्यार्थियों से प्रत्येक विषय (व्याख्यान, ट्युटोरियल एवं प्रायोगिक) में सामान्य तौर पर 100 प्रतिशत उपस्थिति की अपेक्षा होगी । वास्तविक कारणों के लिए 25 प्रतिशत तक उपस्थिति माफ की जा सकती है । तथापि किसी भी परिस्थिति में, विद्यार्थी को विषय में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के साथ विषय के सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमित नहीं होगी । परंतु यह कि किसी पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में अंतिम तिथि के बाद प्रवेश लिए विद्यार्थीयों को, उनके प्रवेश की तिथि से कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति (चिकित्सा एवं अन्य कारणों सिहत) रखना होगा। यदि विद्यार्थी जिसे संस्थान द्वारा वास्तव में निरुद्ध किया गया है, व्यतिकम द्वारा परीक्षा में उपस्थित होता है तो उसका परिणाम बातिल और शून्य माना जायेगा। ।

8.0 मूल्यांकन :

सेमेस्टर में विद्यार्थी का प्रदर्शन सतत कक्षा मूल्यांकन एवं सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकित किया जायेगा ।

- (क) मूल्यांकन के विविध घटकों के लिए वितरण को अधिभार दिया जायेगा जैसा कि शिक्षण एवं परीक्षा योजना में परिभाषित है ।
- (ख) सेमेस्टरांत सैद्धांतिक पेपर, प्रायोगिक परीक्षा (यदि लागू हो) एवं सन्त्रीय कार्य में आबंटित अंको को मिलाकर विषय में अंक प्राप्त होंगे ।
- (ग) प्रत्येक विषय (सैद्धांतिक एवं सन्नीय कार्य) में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक शिक्षण एवं परीक्षा योजना में विहित होगा ।
- (घ) अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के क्रम में विशेष सेमेस्टर में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा ।

9.0 प्रोन्नति :

खण्ड 9 के अधीन समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर अभ्यर्थी को अध्ययन के अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रोन्नत किया जायेगा ।

(क) अभ्यर्थी अध्ययन के अगले शैक्षणिक वर्ष में अनंतिम प्रोन्नित हेतु पात्र होगा यदि वह वर्ष में (दो सेमेस्टर के अंत में) 6 विषयों (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक को सम्मिलित करते हुए) से अधिक में अनुत्तीर्ण न हों । (ख) अभ्यर्थी जो समस्त विषयों में प्राप्त अंक को मिलाकर अनुत्तीर्ण है, अग्रनयन (कैरीओव्हर) के साथ अंनतिम प्रोन्नित हेतु पात्र होगा वह उस विशेष शैक्षणिक सेमेस्टर के अधिकतम कोई दो सैद्धांतिक पेपर तक विकल्प ले सकेगा तथा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित तथा सकल अंकों की कमी की पूर्ति कर सकेगा।

10.0 श्रेणी या डिवीजन का अवार्डः

बी.कॉम. (ऑनर्स) डिग्री विद्यार्थी को क्लास/डिवीजन अवार्ड करने का विनिश्चय विद्यार्थियों के अंको के प्रतिशत द्वारा नीचे दिये गये सारणी के अनुसार किया जावेगा :

 प्रथम श्रेणी (प्रावीण्य)
 75% ≤ अंक ≤ 100%

 प्रथम श्रेणी (फस्ट डिवीजन)
 60 % ≤ अंक < 75%</td>

 द्वितीय श्रेणी (सेकेंड डिवीजन)
 50 % ≤ अंक 60%

 सकल अंको में अनुत्तीर्ण
 < 50 %</td>

संपूर्ण तीन वर्षों के लिए अभ्यर्थी के एकीकृत प्रदर्शन पर आधारित केवल छठवें एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के पश्चात् डिवीजन अवार्ड किया जायेगा ।

11.0 विद्यार्थी शिकायत समिति :

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम समन्वयक एवं निदेशक के विशिष्ट अनुशंसा के साथ प्रश्न पत्र समन्वयन के संबंध में परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् सात दिवस के भीतर विद्यार्थियों से कोई लिखित अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त होने की दशा में, कुलपित द्वारा गठित विद्यार्थी शिकायत समिति द्वारा विचार किया जावेगा।

12.0 जांच एवं पुनर्मुल्यांकन :

विद्यार्थी, शैक्षणिक परिषद द्वारा समय—समय पर नियत किये गए शुल्क का भुगतान करने पर सेमेस्टरांत परीक्षा में प्राप्त अंको की जांच हेतु परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा। वह शैक्षणिक परिषद द्वारा समय—समय पर नियत किये गये शुल्क का भुगतान करने पर अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मुल्यांकन के लिए भी आवेदन कर सकेगा।

13.0 डिग्री का अवार्ड :

किसी विद्यार्थी को डिग्री अवार्ड किया जायेगा यदि-

- (क) अध्ययन के पाठ्यक्रम के साथ वह स्वयं को पंजीकृत करता है/करती है, निर्धारित समय के भीतर उसके/उसकी कार्यक्रम की पाठ्यचर्चा में विनिर्दिष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट/शोधप्रबंध को पूर्ण करता है और संबंधित डिग्री के अवार्ड हेतु विहित न्यूनतम केडिट अर्जित करता है।
- (ख) विश्वविद्यालय के संस्था में उसका / उसकी नाम से कोई बकाया देय राशि नहीं है।
- (ग) उसका / उसकी विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है ।
- 14.0 अधिनियम, पिरिनियम एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अध्यधीन होते हुए, ऐसे प्रशासकीय मुद्दों जैसे परीक्षा में नियम विरुद्ध संचालन, अन्य कदाचार, परीक्षा प्रपत्र के जमा करने की तिथि, बुप्लीकेट डिग्री का जारी किया जाना, परीक्षकों, अधीक्षकों, पर्यवक्षकों को निर्देश, उनके पिरश्रमिक एवं परीक्षा संचालन के साथ जुड़े कोई अन्य मामले को शैक्षणिक परिषद द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार निराकृत किया जायेगा ।
- 15.0 इस अध्यादेश में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, या निर्वचन में भिन्नता होने की स्थिति में, किसी या सभी विभागों के प्रमुख से गठित समिति के मत/सलाह, यदि आवश्यक हो, प्राप्त होने के पश्चात् कुलपित निर्णय ले सकेगा । कुलपित का निर्णय अंतिम होगा ।

-----0000-----

डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 117 कला में स्नातक (बी.ए.) ऑनर्स

यह अध्यादेश, कला में स्नातक अग्रसरित कार्यक्रम के लिए लागू होगा ।

1.0 सामान्य :

यह त्रिवर्षीय (छःसेमेस्टर) डिग्री पाठ्यक्रम है । प्रत्येक सेमेस्टर लगभग छः माह की अविध का होगा जिसमें (अवकाश, उपक्रमात्मक अवकाश, परीक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि) सिमलित है ।

2.0 प्रवेश :

विश्वविद्यालय केवल ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमित एवं बी.ए. (ऑनर्स) की डिग्री प्रदान करेगा जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हो। बीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा विहित नियमों के अनुसार दिया जायेगा ।

3.0 प्रवेश हेतु पात्रता :

कला संकाय में सामान्य हेतु 45 प्रतिशत (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. हेतु 40 प्रतिशत) अंकों के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण ।

4.0 कार्यक्रम विषय वस्तु एवं अवधि :

- (क) स्नातक (ऑनर्स) डिग्री कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा संबंधित कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं / या अन्य विषयवस्तु की संख्या समाविष्ट होंगे, जैसा कि विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित हो ।
- (ख) कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अविध में शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं संबंधित कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम में यथा विनिर्दिष्ट कार्यक्रम अविध होंगे।

2000000000000000000

(ग) कार्यक्रम, जिसके लिए विहित कार्यक्रम अविध एन सेमेस्टर है, को पूरा करने के लिए अधिकतम अनुज्ञेय अविध (एन+4) सेमेस्टर होगी । समस्त कार्यक्रम को (एन+4) सेमेस्टर में पूर्ण करना आवश्यक होगा। अत्यधिक विशेष परिस्थितियों के अधीन कुलपित के अनुमोदन के साथ सकल कालाविध की अविध में 2 सेमेस्टर और बढाया जा सकेगा।

(घ) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम 6 सेमेस्टर में विभक्त होगा और व्याख्यान, ट्यूटोरिल, सेमिनार एवं प्रोजेक्ट आदि सम्मिलित होंगे, जैसा की समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित हो ।

5.0 सेमेस्टर अवधि :

- (क) शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में होंगे, प्रत्येक सेमेस्टर 20 सप्ताह की होगी । उसे शीतकालीन सेमेस्टर के पश्चात् 3 से 5 सप्ताह एवं ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर के पश्चात् 6 से 10 सप्ताह का अंतराल दिया जायेगा।
- (ख) सेमेस्टर का शैक्षणिक अंतराल नीचे दिये अनुसार होगा-
 - सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाएं (कला परीक्षा सम्मिलित) 16-18 सप्ताह।
 - सेमेस्टरांत परीक्षा 2-4 सप्ताह की प्रायोगिक सहित।

6.0 प्रयोज्य शुल्क :

- (क) समस्त ऐसे शुल्क, जिसमें पाठ्यक्रम एवं परीक्षा शुल्क सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें, प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में विद्यार्थियों द्वारा भुगतान किया जायेगा, ।
- (ख) एक बार जमा किया गया शुल्क, अवधान राशि को छोड़कर किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी ।
- (ग) समस्त विद्यार्थियों को कक्षायें प्रारंभ होने के पूर्व विहित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। वास्तवितक कठिनाई की कतिपय दशाओं में, कुलपित अपने विशेषाधिकार से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि में विस्तार कर सकेंगे।
- (घ) किसी भी विद्यार्थियों को सेमेस्टरांत परीक्षा में तब तक उपस्थित होने की अनुमित नहीं दी जायेगी जब तक वह विश्वविद्यालय के समस्त देयकों का भुगतान न कर दें।

7.0 उपस्थित : समस्त विद्यार्थियों से प्रत्येक विषय (व्याख्यान, ट्युटोरियल एवं प्रायोगिक) में सामान्य तौर पर 100 प्रतिशत उपस्थिति की अपेक्षा होगी । वास्तविक कारणों के लिए 25 प्रतिशत तक उपस्थिति माफ की जा सकती है । तथापि किसी भी परिस्थिति में, विद्यार्थी को विषय में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के साथ विषय के सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमित नहीं होगी । परंतु यह कि किसी पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में अंतिम तिथि के बाद प्रवेश लिए विद्यार्थीयों को, उनके प्रवेश की तिथि से कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति (चिकित्सा एवं अन्य कारणों सिहत) रखना होगा। यदि विद्यार्थी जिसे संस्थान द्वारा वास्तव में निरुद्ध किया गया है, व्यतिक्रम द्वारा परीक्षा में उपस्थित होता है तो उसका परिणाम बातिल और शून्य माना जायेगा।।

8.0 मूल्यांकन :

सेमेस्टर में विद्यार्थी का प्रदर्शन सतत कक्षा मूल्यांकन एवं सेमेस्टरांत परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकित किया जायेगा ।

- (क) मूल्यांकन के विविध घटकों के लिए वितरण को अधिमार दिया जायेगा जैसा कि शिक्षण एवं परीक्षा योजना में परिभाषित है ।
- (ख) सेमेस्टरांत सैद्धांतिक पेपर, प्रायोगिक परीक्षा (यदि लागू हो) एवं सन्त्रीय कार्य में आबंटित अंको को मिलाकर विषय में अंक प्राप्त होंगे ।
- (ग) प्रत्येक विषय (सैद्धांतिक एवं सत्रीय कार्य) में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक शिक्षण एवं परीक्षा योजना में विहित होगा ।
- (घ) अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के क्रम में विशेष सेमेस्टर में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा ।

9.0 प्रोन्नति :

खण्ड 9 के अधीन समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर अभ्यर्थी को अध्ययन के अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रोन्नत किया जायेगा ।

(क) अभ्यर्थी अध्ययन के अगले शैक्षणिक वर्ष में अनंतिम प्रोन्नित हेतु पात्र होगा यदि वह वर्ष में (दो सेमेस्टर के अंत में) 6 विषयों (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक को सम्मिलित करते हुए) से अधिक में अनुत्तीर्ण न हों। (ख) अभ्यर्थी जो समस्त विषयों में प्राप्त अंक को मिलाकर अनुत्तीर्ण है, कैरीओव्हर के साथ अनितम प्रोन्नित हेतु पात्र होगा वह उस विशेष शैक्षणिक सेमेस्टर के अधिकतम कोई दो सैद्धांतिक पेपर तक विकल्प ले सकेगा तथा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित तथा सकल अंकों की कमी की पूर्ति कर सकेगा।

10.0 श्रेणी या डिवीजन का अवार्डः

बी.ए. (ऑनर्स) डिग्री विद्यार्थी को क्लास/डिवीजन अवार्ड करने का विनिश्चय विद्यार्थियों के अंको के प्रतिशत द्वारा नीचे दिये गये सारणी के अनुसार किया जावेगा :

 प्रथम श्रेणी (प्रावीण्य)
 75% ≤ अंक ≤ 100%

 प्रथम श्रेणी (फस्ट डिवीजन)
 60 % ≤ अंक < 75%</td>

 द्वितीय श्रेणी (सेकेंड डिवीजन)
 50 % ≤ अंक 60%

 सकल अंको में अनुत्तीर्ण
 < 50 %</td>

संपूर्ण तीन वर्षों के लिए अभ्यर्थी के एकीकृत प्रदर्शन पर आधारित केवल छठवें एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के पश्चात् डिवीजन अवार्ड किया जायेगा ।

11.0 विद्यार्थी शिकायत समिति :

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम समन्वयक एवं निदेशक के विशिष्ट अनुशंसा के साथ प्रश्न पत्र समन्वयन के संबंध में परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् सात दिवस के भीतर विद्यार्थियों से कोई लिखित अभ्यावेदन / शिकायत प्राप्त होने की दशा में, कुलपित द्वारा गठित विद्यार्थी शिकायत समिति द्वारा विचार किया जावेगा।

12.0 जांच एवं पुनर्मुल्यांकन :

विद्यार्थी, शैक्षणिक परिषद द्वारा समय—समय पर नियत किये गए शुल्क का भुगतान करने पर सेमेस्टरांत परीक्षा में प्राप्त अंको की जांच हेतु परीक्षा नियंत्रक को आवेदन कर सकेगा। वह शैक्षणिक परिषद द्वारा समय—समय पर नियत किये गये शुल्क का भुगतान करने पर अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मुल्यांकन के लिए भी आवेदन कर सकेगा।

13.0 डिग्री का अवार्ड :

किसी विद्यार्थी को डिग्री अवार्ड किया जायेगा यदि-

- (क) अध्ययन के पाठ्यक्रम के साथ वह स्वयं को पंजीकृत करता है/करती है, निर्धारित समय के भीतर उसके/उसकी कार्यक्रम की पाठ्यचर्चा में विनिर्दिष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट/शोधप्रबंध को पूर्ण करता है और संबंधित डिग्री के अवार्ड हेतु विहित न्यूनतम केडिट अर्जित करता है।
- (ख) विश्वविद्यालय के संस्था में उसका / उसकी नाम से कोई बकाया देय राशि नहीं है।
- (ग) उसका / उसकी विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है ।
- 14.0 अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अध्यधीन होते हुए, ऐसे प्रशासकीय मुद्दों जैसे परीक्षा में नियम विरूद्ध संचालन, अन्य कदाचार, परीक्षा प्रपन्न के जमा करने की तिथि, डुप्लीकेट डिग्री का जारी किया जाना, परीक्षकों, अधीक्षकों, पर्यवक्षकों को निर्देश, उनके परिश्रमिक एवं परीक्षा संचालन के साथ जुड़े कोई अन्य मामले को शैक्षणिक परिषद द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार निराकृत किया जायेगा ।
- 15.0 इस अध्यादेश में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, या निर्वचन में भिन्नता होने की स्थिति में, किसी या सभी विभागों के प्रमुख से गठित समिति के मत/सलाह, यदि आवश्यक हो, प्राप्त होने के पश्चात् कुलपित निर्णय ले सकेगा । कुलपित का निर्णय अंतिम होगा ।

----00000-----

डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 119

राष्ट्रीय कौशल अर्हता फेम वर्क (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा पाठयकम (पाठयकमों) तथा कौशल ज्ञान प्रदाता (एसकेपी)

डा. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा बिलासपुर (छ.ग.), तृतीय से सप्तम तक व्यावसायिक प्रमाणपत्र स्तर, व्यावसायिक शिक्षा कार्यकम के विशिष्ट विशेषज्ञता क्षेत्र पर आधारित संकाय पर डिप्लोमा (व्यावसायिक), एडवांस डिप्लोमा (व्यावसायिक) या व्यावसायिक डिग्री प्रदान करता है।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यंकमः

- 1.1 विशिष्ट विशेषज्ञता क्षेत्र पर आधारित संकाय पर प्रमाणपत्र स्तर, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या व्यावसायिक डिग्री आधारित होगी।
- 1.2 प्रत्येक प्रमाणपत्र स्तर में प्रतिवर्ष 1000 घंटे शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना अपेक्षित है डिग्री या डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा अग्रसित व्यावसायिक संकाय हेतु, इसके घंटे में दो घटक होंगे— व्यावसायिक (कौशल) एवं व्यावसायिक। व्यावसायिक घटक को प्रमाणपत्र संवर्धन स्तर के रूप में संवर्धित किया जायेगा।
- 1.3 प्रमाणपत्र स्तर पर कौशल माड्यूलर या व्यावसायिक विषय सूची, विहित घंटों के एकल कौशल या कौशल समूह हो संकेंगे।

प्रवेशः

- 2.1 सामान्य संकाय से व्यावसायिक संकाय में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी, कितपय स्तर पर प्रवेश कर सकता है परंतु उस स्तर में अपेक्षित कौशल, पंजीकृत एसकेपी से अर्जित होने चाहिए ।
- 2.2 विद्यार्थी जिसने कार्य अनुभव के द्वारा कौशल अर्जित किया है, समुचित स्तर में व्यवसायिक संकाय में भी प्रवेश कर सकता है परन्तु वह पंजीकृत एसकेपी से अर्जित कौशल हेतु निर्धारित होने चाहिए ।

- 2.3 विद्यार्थी, विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र स्तर पूर्व में ही अर्जित किया हो तथा कार्य स्वरूप जिसके लिये वह पूर्व में प्रमाणित था के साथ उसी ट्रेड में बी.वोक. डिग्री पाठ्यकम में प्रवेश का चुनाव किया हो ।
- 2.4 विद्यार्थी, स्नातक स्तर में जाने हेतु व्यवसायिक संकाय या परंपरागत संक्राय का चुनाव करने हेतु स्वतन्त्र होगा । इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी को विभिन्न प्रकम में वर्तमान औपचारिक्र उच्च शिक्षा संकाय या विपरीत (वाईस वरसा) हेतु व्यसायिक संकाय से हटने हेतु स्वतन्त्र होगा ।
- 2.5 अर्हता संरचना कार्य निम्नानुसार दर्शित है :- 2.5.1 राष्टीय कौशल अर्हता संरचना कार्य (एनएसक्यूएफ) अवधि एवं प्रवेश स्तरीय अर्हताऍ --

स. क.	प्रमाण पत्र स्तर	समकक्ष सामान्य अर्हता	व्यवसायिक अर्हता	प्रमाणित निकाय
1	3	हायर सेकेण्डरी स्कूल ग्रेड ग्यारह	डिप्लोमा	
2	4	हायर सेकेण्डरी स्कूल ग्रेड बारह	(व्यावसायिक)	विश्वविद्यालय
3	5	प्रथम वर्ष स्नातक		
4	6	द्वितीय वर्ष स्नातक	एडवांस डिप्लोमा (व्यावसायिक)	विश्वविद्यालय
5	7	तृतीय वर्ष स्नातक	डिग्री (व्यावसायिक)	विश्वविद्यालय

2.6 उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी, व्यवसायिक पाठ्यकम में प्रवेश, डॉ सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर छ.ग. द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होंगे।

3 परीक्षाः

3.1 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालयीन परीक्षा होगी ।

- 3.2 व्यवसायिक पाठ्यकम के शैक्षिणिक भाग हेतु कक्षा परीक्षा (सीटी), अध्यापक का निर्धारण (टीए) तथा सेमेस्टरान्त परीक्षा (ईएसई) एवं सेमेस्टरान्त प्रायोगिक परीक्षा (ईपीई) होगी ।
- 3.3 व्यवसायिक पाठ्यक्रम के कौशल भाग हेतु अध्यापक का निर्धारण (टीए) तथा सेमेस्टरान्त प्रायोगिक परीक्षा (ईपीई) होगी ।
- 3.4 शैक्षिक भाग के प्रत्येक घटक हेतु तथा कौशल भाग के प्रत्येक घटक हेतु प्रतिशत में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार होंगे ।

(एक) संस्थान में शैक्षिक भाग

परीक्षा का नाम	प्रतिशत में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
कक्षा परीक्षा (सीटी)	निरंक
अध्यापक का निर्धारण (टीए)	60 प्रतिशत
सेमेस्टरान्त परीक्षा (ईएसई)	35 प्रतिशत
सभी घटक (साथ-साथ)	35 प्रतिशत

(दो) संस्थान में एसकेपी में कौशल भाग एवं शैक्षिक भाग के प्रायोगिक विषय

परीक्षा का नाम	प्रतिशत में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
अध्यापक का निर्धारण (टीए)	60 प्रतिशत
स्तरान्त प्रायोगिक परीक्षा (ईपीई)	50 प्रतिशत
सभी घटक (साथ-साथ)	50 प्रतिशत

3.5 कौशल भाग में स्तरान्त प्रायोगिक परीक्षा के मूलयांकन हेतु, एक बाह्य परीक्षक, सदैव एसकेपी (कौशल ज्ञान प्रदाता) के बाहर से होगा तथा एक आंतरिक परीक्षक एसकेपी से होगा । इसी तरह शैक्षिक भाग में विषयों के प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु, एक आंतरिक परीक्षक संस्था से तथा एक बाह्य परीक्षक संस्था के बाहर से नियुक्त किया जायेगा ।

3.6 व्यवसायिक पाठ्यकम के शैक्षिक भाग के प्रत्येक विषय में कम से कम दो कक्षा परीक्षा होगा । शैक्षिक भाग के सैद्धांतिक और /या प्रायोगिक के प्रत्येक विषय में शिक्षक मूल्यांकन, सौंपे गये गृह कार्य, क्वीज, गृह टेस्ट लेकर तथा मौखिकी आदि पर आधारित होगा । यतः व्यवसायिक कौशल परीक्षा, वास्तविक जॉब कार्य एवं कौशल प्रदर्शन पर किया जायेगा ।

4. केडिट संगणना का आधार

- 4.1 केंडिट घंटों में समय के रूपान्तरण के लिये निम्नलिखित फार्मूला उपयोग किया जाता है
 - 4.1.1 एक केंडिट से अभिप्राय होगा प्रत्येक 60 मिनट का अर्थात् सैद्धांतिक, कार्यशाला / प्रयोगशाला एवं अनुशिक्षण का 15 समतुल्य पीरिएड;
 - 4.1.2 समतुल्य घंटों के लिये केंडिट अधिभार इंटर्नशीप /क्षेत्रीय कार्य हेतु, व्याख्यान /कार्यशाला के लिये उसका 50 प्रतिशत होगा; (7.5 घंटे-1 केंडिट)
 - 4.1.3 ई—सामग्री आधारित स्व-शिक्षण हेतु या अन्यथा, अध्ययन के समतुल्य घंटों के लिये केडिट अधिभार आयु, व्याख्यान /कार्यशाला के लिये उसका 50 प्रतिशत होगा; (7.5 घंटे—1 केडिट)
- 4.2 प्रत्येक वर्ष के लिये सुझाये गये केंडिट निम्नानुसार होगें -

		-				
स्तर	प्रवेश	कौशल	सामान्य	सामान्य	निकास	प्रमाणित
	अर्हता	घटक	शिक्षा	कैलेण्डर	बिन्दु / अवार्ड	निकाय
		केडिट	केडिट	अवधि		
तृतीय	ग्यारह	36	24	एक वर्ष		
चतुर्थ	बारह	36	24	एक वर्ष		
पंचम	1 वर्ष	36	24	एक वर्ष	डिप्लोमा (व्यवसायिक)	सीव्हीआरयू
षष्टम	2 वर्ष	36	24	एक वर्ष	एडवांस	सीव्हीआरयू

000000

		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	PERSONAL PROPERTY AND	er errord yang dan geregen versende errord errord er	डिप्लोमा	The second secon
					(व्यवसायिक)	
सप्तम	3 वर्ष	36	24	एक वर्ष	बी.वोक. डिग्री	सीव्हीआरयू

4.3 प्रवेश हेतु पात्रताः

विश्वविद्यालय स्तर में व्यवसायिक कार्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्रता शर्ते, निम्नानुसार होगा:—

4.3.1 अभ्यर्थी, जिसके व्यवसायिक / शैक्षिक संकाय में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण किया हो।

4.3.2 अभ्यर्थी, जिसने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल) के माध्यम से उदाहरण के लिये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एन आई ओ एस) राज्य मुक्त विद्यालय (एस ओ एस) से हायर सेकेण्डरी में या समकक्ष में व्यवसायिक कार्यकम उत्तीर्ण किया हो।

4.3.3 हायर सेकेण्डरी के समकक्ष अर्हता के लिये पॉलीटेक्निक के लिये अर्हित अभ्यर्थी।

टीप:- कौशल स्तर एक, दो तीन एवं चार का ज्ञान, डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक है तथा एक एवं दो स्तर, डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए आवश्यक है।

4.4 फीस:- पाठ्यकम फीस, सीजीपीयूआरसी के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

5. उच्च प्रमाण-पत्र स्तर (मात्र प्रमाणपत्र स्तर तीन से सात को लागू) में प्रोन्नित हेतु नियम। आगामी उच्च प्रमाण पत्र स्तर से प्रोन्नित होने के पूर्व अभ्यर्थी से, पूर्ववर्ती प्रमाण पत्र स्तर में अपेक्षित केडिट अर्जित करना आवश्यक है। तथापि, बहु-स्तरीय प्रवेश एवं विकास प्रणाली किसी भी स्तर के पश्चात् नियोजन चाहने हेतु अभ्यर्थी को अनुज्ञात करेगा एवं

जब एवं जैसा संभव हो, अर्हता के उन्नयन/कौशल सक्षमता हेतु शिक्षा को पुनः ग्रहण करेगा।

- 6. उपस्थितिः किसी स्तर परीक्षा के लिये उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी से, व्यवसायिक पाठयकम के शैक्षिक भाग एवं कौशल भाग के विषय में पृथक—पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति की अपेक्षा होगी, 10 प्रतिशत और अधिक तक की कमी को विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष एवं कुलपित के द्वारा संतोषपूर्ण कारण होने पर माफ किया जा सकेगा।
- 7. यदि अभ्यर्थी ने स्तर परीक्षा डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा पूर्णरूपेण उत्तीर्ण किया हो तो उसे डिविजन / अंक सुधार के लिए या किसी अन्य प्रयोजन हेतु परीक्षा में पुनः उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 8. प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा तथा डिग्री आधारित प्रदर्शन।
 व्यवसायिक शिक्षा कार्यकम

स.क.	अवार्ड का नाम	आघार
एक	प्रमाणपत्र स्तर 3	1000 शिक्षण घंटे
दो	प्रमाणपत्र स्तर 4	1000 शिक्षण घंटे
तीन	प्रमाणपत्र स्तर 5	1000 शिक्षण घंटे
चार	प्रमाणपत्र स्तर 6	1000 शिक्षण घंटे
पांच	प्रमाणपत्र स्तर 7	1000 शिक्षण घंटे
B :	डिप्लोमा (व्यवसायिक)	स्तर 3,4 एवं 5 का संचयी
•		प्रदर्शन
सात	एडवांस डिप्लोमा (व्यवसायिक)	स्तर 6 एवं 7 का संचयी
		प्रदर्शन
आठ	डिग्री (व्यवसायिक)	स्तर 5,6 एवं 7 का संचयी
		प्रदर्शन

निर्घारण एवं ग्रेडिंगः

9.1 ग्रेडिंग प्रणालीः

पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का अनुपालन किया जायेगा । शैक्षिक भाग के प्रत्येक विषय में, अभ्यर्थी को सभी विषयों जैसे कि टीए, सीटी, एवं ईएलई के एक संयुक्त प्रदर्शन पर आधारित लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। इसी तरह व्यवसायिक पाठयकम के शैक्षिक भाग के प्रत्येक प्रायोगिक विषय में, अभ्यर्थी को सभी घटक अर्थात् टी.ए. एवं ई.पी.ई. के एक संयुक्त प्रदर्शन पर लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। ये ग्रेड, नीचे दी गई "ग्रेड पॉइंट" (जीपी) के रूप में ज्ञाता समकक्ष संख्या के माध्यम से अभ्यर्थी के प्रदर्शन के गुणात्मक निर्धारण दर्शित करने वाले लेटर (अक्षर) द्वारा वर्णित होंगे। पाठ्यकम सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है अथवा केडिट, पाठ्यकम के लिये अर्जित किया जाता है तब लेटर ग्रेड सी या उससे अच्छा, पाठ्यकम में प्रदान किया जाता है।

9.2 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणालीः

विशिष्ट विषय में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों पर विचार करते हुए प्रत्येक विषय के लिये ग्रेड अवार्ड किया जायेगा। यह पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर होगा। यथा अंगीकृत पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली नीचे स्पष्ट किये गये अनुसार है—

ग्रेड		सैद्धांतिक		प्रायोगिक
A+	85	≤ Marks ≤ 100%,	90	≤ Marks ≤ 100%,
Α	75	≤ Marks < 85%,	82	≤ Marks < 90%,
B+	65	≤ Marks < 75%,	74	≤ Marks < 82%,
В	55	≤ Marks < 65%	66	≤ Marks < 74%,
C+	45	≤ Marks < 55	58	≤ Marks < 66%,

C 35≤ Marks < 45 50 ≤ Marks < 58%,

F $0 \le Marks < 35\%$, $0 \le Marks < 50\%$,

9.3 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक (एस पी आई):

प्रथम (i) सेमेस्टर (जहाँ प्रथम (i) विशिष्ट सेमेस्टर की संख्या उपदर्शित करता है) में विद्यार्थी का प्रदर्शन सी पी आई द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है जो सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है तथा जो निम्नलिखित द्वारा अभिव्यक्त है—

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

जहां C एवं G कमशः केंडिट और ग्रेड के लिए है, सीपीआई, पूर्णांक के बिना, अंक को दो स्थान तक संगणित किया जायेगा। सीपीआई तभी संगणित किया जायेगा जब विद्यार्थी, किसी विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में असफल हुए बिना, सेमेस्टर उत्तीर्ण करता है।

9.4 संचित प्रदर्शन सूचकांक (सी पी आई):

100 प्रतिशत अधिभार सिहत डिग्री कार्यकम में उसके प्रवेश के समय सभी पाठ्यकम के लिए विद्यार्थी द्वारा सभी पाठ्यकमों के लिए विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉईन्ट का अधिभार औसत है, सेमेस्टर प्रथम (i) में सीपीआई, निम्नानुसार संगणित की जायेगी

$$[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{l\geq 1} N_i}{\sum_{i=1}^{l\geq 1} D_i}$$

यदि विद्यार्थी पाठ्यकम को आवृत्ति करता है या किसी विषय में अनुत्तीर्ण घोषित होता है तो ही नवीनतम (आगामी) प्रयास में अभिप्राप्त ग्रेड पॉइन्ट, सीपीआई के निकटस्थ संगणित किया जायेग। सीपीआई, एसपी आई सहित प्रत्येक सेमेस्टर में

संगणित किया जायेगा ताकि विद्यार्थी को ज्ञात हो कि उसका सीपीआई कैसे परिवर्तित हो रहा है।

9.5 अनुत्तीर्ण ग्रेड "F"

इसके अतिरिक्त, F के और वर्गीकरण, निम्नानुसार है-

FI: बीमारी के कारण ईएलई एवं/या ईपीई में उपस्थित होने में अनुत्तीर्ण अथवा किन्तु अन्यथा संतोषजनक प्रदर्शन होने पर अतएव उस विषय में पुनः परीक्षा के लिये पात्र।

FS: सत्रीय अर्थात् इस प्रकार आवृत्ति सेमेस्टर TA में, अनुत्तीर्ण।

FS: उपस्थिति में कमी के कारण अनुत्तीर्ण इसलिये स्तर को दुबारा करना

WW: विभिन्न कारणों से राके गये परिणाम।

FA: कुल (एग्रीगेट) अंक जिसमें शैक्षिक भाग एवं कौशल भाग दोनों के अंक 50 प्रतिशत से कम अंक हो, के कारण अनुत्तीर्ण, इसलिए किसी विकल्प के एक या दो शैक्षिक भाग के विषय में उपस्थित होने हेतु पात्रता।

9.6 कक्षा या डिवीजन प्रदान करना :

विद्यार्थी को प्रदान किया जाने वाला कक्षा / डिवीजन निम्नानुसार है:-

प्रावीण्य या आनर्स

: 75% ≤ Marks ≤100%

प्रथम श्रेणी

: 65% < Marks < 75%

ट्वितीय श्रेणी

: 50% ≤ Marks < 65%

10. अभ्यर्थी, जो न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति अर्जित करने में विफल रहता है, स्तर परीक्षा देने से, यथास्थिति, कुलपित या विभागाध्यक्ष / प्राचार्य के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा रोके जाने (उपरोक्त खण्ड 5 में दर्शित रियायत सिहत) का दायी होगा तथा जब कभी

भी पाठ्यकम का स्तर प्रारंभ हो उसी स्तर पाठ्यकम में पुनः प्रवेश लेने हेतु अपेक्षित किया जायेगा।

- 11. अंकों में कमी की माफी: परीक्षा में मध्यम कठिन प्रकरणों को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित नियम देखे जायेंगे:
 - 11.1 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये अभ्यर्थी को सर्वश्रेष्ठ लाभ 5 अंकों तक की कमी को माफ करके की जा सकेगी, परंतु यह कि अभ्यर्थी, अधिकतम दो सैद्धांतिक पेपर या एक सैद्धांतिक एवं एक प्रायोगिक या दो प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण रहता हो। यह सुविधा, केवल उन अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगी जो पूर्ण रूप से विशिष्ट रत्तर के परीक्षा को पास किये हों (अर्थात् सैद्धांतिक प्रायोगिक और सत्रीय के लिये 5 कुपोत्तीर्ण अंक उपलब्ध)।
 - 11.2 जब अभ्यर्थी का परिणाम घोषित हो रहा हो, उपर्युक्त कमी की माफी हेतु कुल अंक से अंक न ही जोड़े जायेंगे और न घटाये जायेंगे। तथापि कमी की माफी पश्चात् खण्ड 12.1 के माध्यम से पाठ्यकम (विषय) को वह उत्तीर्ण करेगा। अभ्यर्थी के परिणाम को डिवीजन में घोषित किया जायेगा जिसके लिये वह कुल अंक प्राप्त करने का अधिकारी है।
 - 11.3 अभ्यर्थी, जो एक अंक से प्रथम श्रेणी में अनुत्तीर्ण/विशिष्टता के लक्ष्य /विशिष्टता से वंचित हो रहे हों, कुलपित की ओर से एक कृपोत्तीर्ण अंक दिये जायेंगे। तथापि यह सुविधा खण्ड 12.1 के अधीन लाभ प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होगी।
- 12. अंको की पुनर्गणना एवं पुनर्मुल्यांकनः

12.1 पुनर्गणनाः

- 12.1.1 कोई अभ्यर्थी, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, किसी एक या दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु अंको की पुनर्गणना के लिए सी वी रमन विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकेगा।
- 12.1.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सहित, संबंधित संस्थान जिसमें वह अध्ययनरत है, के प्राचार्य को परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।

12.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में प्रश्नपत्र की पुनः परीक्षा सम्मिलित नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जायेगा कि क्या विशिष्ट उत्तरों में दी गई अंकों की गणना में कोई त्रुटि या किसी उत्तर में दी गई अंको में कोई लोप की गई है।

12.2 पुनर्मूल्यांकनः

- 12.2.1 अभ्यर्थी, नियमित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 15 दिवस के भीतर विहित प्ररूप में अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिये कुल सचिव को आवेदन कर सकेगा। परंतु अभ्यर्थी को दो से अधिक प्रश्न पत्र में पुनर्मूल्यांकन की सुविधा हेतु अनुमित नहीं होगी। परंतु यह भी की पुनर्मूल्यांकन, प्रायोगिक आलेख, फील्ड/कौशल कार्य/सत्रीय कार्य परीक्षा एवं परीक्षा में प्रश्न पत्र के बदले में प्रस्तुत थीसिस के मामले में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- 12.2.2 यदि, मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में पुनर्मूल्यांकन में कोई त्रुटि पाया जाता है

 तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार अधिसूचित किया जायेगा। अन्य सभी

 मामलों में, परिणाम की संसूचना संबंधित संस्थान के माध्यम से यथाशीघ्र संभव
 अभ्यर्थी को दी जायेगी।
- 12.2.3 पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोगिक, कौशल परीक्षा, शिक्षक मूल्यांकन एवं कक्षा परीक्षा की स्थिति में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

13. स्थाननः

13.1 डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय औद्योगिक एवं अन्य सेवा प्रदाताओं से समुचित सहबद्धता स्थापित करेगा ताकि उनके परिणाम, उनके समुचित स्थानन के लिये स्वीकार किया जा सके।

13.2 विश्वविद्यालय विभाग, उनके व्यवसायिक / कौशल उत्तीर्णकर्ताओं के लिये भारत सरकार के प्रशिक्षु कार्य के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिये प्रयास करेगा।

......0000000.....

डॉ. सी.वी.रामन विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 15 (पुनरीक्षित) विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी.)

- 1.0 सामान्यः यह डॉ सी.वी.रमन विश्वविद्यालय के विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एस.सी) उपाधि प्रदान करने को शासित करने वाला अध्यादेश है । यह अध्यादेश विज्ञान संकाय के भीतर समस्त विषयों के लिए लागू होंगे।
- 2.0 पाठ्यक्रम : पाठ्यक्रम जिस पर अध्यादेश लागू होंगे वे है भौतिक, रसायन, गणित, औद्योगिक रसायन, बॉटनी, जूलॉजी, पर्यावरण रसायन, सूक्ष्मजीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी या कोई अन्य विषय/पाठ्यक्रम, जैसा कि नये विभागों की स्थापना के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के अध्ययन मण्डल/ शैक्षणिक परिषद द्वारा निश्चित किया जाये ।
- 3.0 पाठ्यक्रम संरचना : प्रत्येक विभाग की पाठ्यक्रम संरचना, संबंधित अध्ययन मण्डल एवं विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार होगी तथा संबंधित विषयों में संबंधित क्षेत्रों में हुये वर्तमान विकास के आधार पर संशोधन अथवा उपांतरण करने की होगी नम्यता होगी।
- 4.0 पाठ्यक्रम अविध : विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम, दो शैक्षणिक वर्षो अर्थात चार सेमेस्टर में परिव्याप्त होगी । अभ्यर्थी के अवार्ड प्राप्त करने हेतु अयोग्य होने पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अधिकतम अविध चार वर्ष होगी ।
- 5.0 सेमेस्टर : शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों से मिलकर बनेगी, प्रत्येक में कम से कम 90 कार्य दिवस होंगे । सेमेस्टर की अविध निम्नानुसार होगी:-

विषम सेमेस्टर : जुलाई /अगस्त से अक्टूबर / नवंबर।

सम सेमेस्टर : दिसंबर / जनवरी से अप्रैल मई तक ।

6.0 अर्हता एवं प्रवेश : किसी विद्यार्थी को किसी ऐसे विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश दी जा सकेगी परंतु वह न्यूनतम अर्हता रखता / रखती है । विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य अर्हता शर्ते, यू.जी.सी. विनियमन के अनुसार

होगा । कोई विद्यार्थी, किसी विभाग में स्नातकोत्तर उपाधि के किसी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (यूजीसी से) या विदेश के विश्वविद्यालय से संबंधित / संबद्ध संकाय में स्नातक उपाधि कार्यक्रम अथवा समकक्ष पूर्ण न किया हो, जो कुल मिलाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 45 प्रतिशत एवं सामान्य संवर्ग के लिये 50 प्रतिशत से कम अर्जित न करता हो ।

- 7.0 पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या : विज्ञान में प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सीटों की संख्या तीस (30) अथवा विष्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल / संवैधानिक निकायों द्वारा अनुमोदित अनुसार होगी ।
- 8.0 शुल्क : विद्यार्थी द्वारा भुगतान योग्य शुल्क ऐसी होगी, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन /यू.जी.सी. के इस संबंध में जारी किसी निर्देश के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर नियत किया जाये ।
- 9.0 उपस्थित : अभ्यर्थी, जिसकी उपस्थित 75 प्रतिशत से कम है, पाठ्यक्रम के सेमेस्टरांत परीक्षा, जिसमें कमी विद्यमान है, में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, तथापि वैद्य कारणों से विहित 75 प्रतिशत उपस्थिति में न्यूनतम 10 प्रतिशत कमी को कुलपित माफ करने हेतु स्वतंत्र होगा ।

10.0 परीक्षा एवं मूल्यांकनः

10.1 किसी विद्यार्थी का, पाठ्यक्रम में उसके / उसकी शैक्षणिक प्रदर्शन हेतु दूयूटोरियल, प्रायोगिक, सौंपे गये कार्य, सेमीनार एवं सेमेस्टरांत परीक्षा, जैसा कि संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा योजना मे विहित है, के माध्यम से सतत् मूल्यांकन किया जायेगा।

10.2 कार्य प्रशिक्षण /परियोजना शोध प्रबंध (जहां कही लागू हो) का मूल्यांकन सामान्यतः किये गये कार्य, प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मौखिकी /सेमिनार प्रस्तुतिकरण के माध्यम से किया जायेगा ।

10.3 शोध कार्य का मूल्यांकन कुलपित द्वारा गठित सिमिति द्वारा तथा विभाग प्रमुख की अध्यक्षता में एवं अनुमादित पैनल से बाहर के संबंधित विषय /पाठ्यक्रम में एक बाह्य विशेषज्ञ द्वारा द्वारा किया जायेगा ।

10.4 सेमेस्टरांत परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी को कम से कम निम्नानुसार अंक अर्जित करना होगा :

- (क) प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, प्रायोगिक, परियोजना कार्य, शोध प्रबंध एवं सौपे गये कार्य में 36 प्रतिशत अंक
- (ख) प्रत्येक विषय में कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक होगा ।
- 11.0 श्रेणी अथवा डिवीजन का अवार्ड : समस्त सेमेस्टर परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के एकीकृत प्रदर्शन पर आधारित अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में श्रेणी अथवा डिवीजन निम्नलिखित रीति से अवार्ड की जायेगी :
 - (क) प्रथम श्रेणी (फस्ट डिवीजन) ऑनर्स सहित अंक ≥ 75%
 - (ख) प्रथम श्रेणी (फस्ट डिवीजन) 60% ≤ अंक > 75%
 - (ग) द्वितीय श्रेणी (सेकेन्ड डिवीजन) 45 % ≤ अंक > 60%
 - (घ) तृतीय श्रेणी (थर्ड डिवीजन) 45 % ≤ अंक > 45%

12.0 पुनर्मूल्यांकन एवं कृपोतीर्ण अंकों का अवार्ड :

12.1 अभ्यर्थी नियमित परीक्षा के परिणाम के घोषणा से 15 दिवस के भीतर विहित प्रपत्र में अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु कुलसचिव को आवेदन कर सकेगा । बैकलॉग पेपर के लिए उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन लागू नहीं होगा। परंतु यह कि अभ्यर्थी को दो से अधिक प्रश्नपत्र में पुनर्मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमित नहीं दी जायेगी । परंतु यह भी कि प्रायोगिक आलेख, क्षेत्र कार्य, सत्रीय कार्य परीक्षा एवं परीक्षा पेपर के बदले में प्रस्तुत किये गये शोध पत्र जमा करने की दशा में पुनर्मूल्यांकन की अनुमित नहीं दी जायेगी ।

कुलपति, ऐसे अभ्यथी को एक कृपोत्तीर्ण अंक अवार्ड करेगा जो एक अंक से डिविजन हेतु असफल या चूक गया हो। तथापि, यह अन्यत्र जोड़ा नहीं जायेगा। 12.2

मामलों के लिए और अध्यादेश द्वारा आच्छादित न होने या निर्वचन में भिन्नता होने की स्थिति में, कुलपति निर्णय ले सकेगा और निर्णय, समस्त संबंधितों पर टीप : इस अध्यादेश में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, किसी अनपेक्षित उद्भूत बाध्यकारी होगा ।

-----000

डॉ. सी.वी.रामन विश्वविद्यालय करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) अध्यादेश क्रमांक 17 (पुनरीक्षित) शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.)

- 1.0 सामान्य : शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में दो वर्षीय व्यवसायिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शिक्षक शिक्षा विशारद एवं अन्य शिक्षा व्यवसायियों, जिसमें पाठ्यचर्चा विकिसत करने वाले, शैक्षिक नीतियों के विश्लेषक, योजनाकार, प्रशासक, निरीक्षकों विद्यालय प्राचार्यो तथा शोधकर्ताओं सम्मिलित है, को तैयार करना है । शिक्षा मे स्नातकोत्तर (बी.एड.) कार्यक्रम विद्यार्थियों को उनके ज्ञान की गहराई के साथ—साथ विस्तार के लिए और शिक्षा की समझ, चयनित क्षेत्रों में विशेषज्ञता एवं क्रियात्मक शोध क्षमता का विकास करना भी है । कार्यक्रम का उद्देश्य मानव आत्म एवं व्यक्तित्व का संपूर्ण एकीकृत समझ, ज्ञान के पुनर्निर्माण हेतु लोगों के बीच भाई—चारे की रचनात्मक विचार, संवाद कौशल का विकास तथा क्रियात्मक शोध एवं नवोन्मेषी अभ्यास के लिए उन्हें सक्षम बनाना है।
- 2.0 शीर्षक :शिक्षा में स्नातक (एम.एड.)
- 3.0 संकाय : शिक्षा संकाय
- 4.0 अवधि, कार्य दिवस एवं उपस्थिति :
 - 4.1 अवधि : एम.एड. पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर सहित दो शैक्षणिक वर्ष का होगा जिसमें प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह के लिए एवं पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह के लिए विद्यालयीन इटर्नशीप सम्मिलित है। विद्यार्थियों को प्रवेश की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष की कालाविध सहित 2 वर्ष में, समय—समय पर एन. सी.टी.ई के मानदण्ड के अनुसार, पाठ्यक्रम अपेक्षाओं को पूर्ण करने की अनुमित दी जायेगी।

- 4.2 कार्य दिवस : प्रवेश की कालाविध को छोड़कर एवं कक्षा संव्यवहार (गतिविधियों), प्रायोगिक, क्षेत्र अध्ययन और परीक्षा संचालन को सम्मिलित करते हुए, कम से कम दो सौ कार्य दिवस होंगे ।
- 4.3 उपस्थित : किसी सेमेस्टरांत परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों से, सैद्धांतिक प्रश्नपन्न हेतु न्यूनतम 80 प्रतिशत एवं प्रायोगिक हेतु अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथकतः 90 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित होगी। 5 प्रतिशत तक की कमी को डॉ सी.वी.रमन विश्वविद्यालय के कुलपित द्वारा संतुष्टजनक कारण होने पर माफ किया जा सकेगा।

5.0 प्रवेश, अर्हता, चयन प्रक्रिया एवं शुल्कः

5.1 प्रवेशः पाठयकम के लिए बुनियादी इकाई 50 का होगा । इस इकाई के एकाधिक इकाई भी स्थापित किये जा सकेंगे।

5.2 पात्रताः

- एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों को, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बी ईआई ईएड में या एन.सी.टी.ई. द्वारा समय –समय पर निर्णित अर्हता मानदण्ड अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने या समकक्ष होने चाहिए ।
- अभ्यर्थी, जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है वो भी आवेदन कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय मार्कशीट/डिग्री प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा ।
- परंतु यह और कि चल रहे एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए शासन द्वारा प्रायोजित विद्यालय में नियोजित शिक्षक, विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक हो सकेंगे ।

- एस.सी. /एस.टी./ओ.बी.सी./पी.डब्लू.डी एवं अन्य योग्य श्रेणी हेतु आरक्षण एवं छूट हेतु केन्द्र /राज्य शासन जो भी लागू हो, के नियमों के अनुसार होंगे ।
- 5.3 प्रवेश प्रक्रिया : अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट पर, और राज्य शासन/केन्द्र शासन /विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार कोई अन्य चयन प्रक्रिया पर प्रवेश परीक्षा में, प्रवेश दिया जायेगा ।
- 5.4 शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क, विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल या छत्तीसगढ़ सरकार की शुल्क विनियामक समिति द्वारा समय — समय पर की जाने वाली अनुशंसा के अनुसार विनिश्चित किया जायेगा ।
- 6.0 माध्यम : शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम, या तो हिन्दी या अंग्रेजी होगा ।
- 7.0 शिक्षण सत्र: सामान्यतः प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, समानान्तर रूप से जुलाई से दिसंबर की कालाविध तक संचालित होगा और द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर प्रत्येक वर्ष जनवरी से जून की कालाविध में संचालित होगा ।
- 8.0 शिक्षण एवं परीक्षा की योजना : पाठ्यक्रम सहित विभिन्न सेमेस्टरों के लिए शिक्षण एवं परीक्षा योजना शिक्षा के लिए स्नातकोत्ती (एम.एड.) हेतु डॉ सी.वी.रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार पालन किया जायेगा ।
- 9.0 परीक्षा एवं मूल्याकंन
 - 9.1 सी.वी.आर.यू द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) संचालित किया जायेगा। सेमेस्टर की परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा में सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, प्रायोगिक एवं मौखिकी होंगे।
 - 9.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण सेमेस्टरों के सैद्धांतिक एवं प्रयोगशाला प्रायोगिक को मिलाकर पूर्ण परीक्षा होगी ।
 - 9.3 परीक्षा की अवधि 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगी ।
 - 9.4 विशेष सेमेस्टर में कम उपस्थिति के कारण रोके गए किसी अभ्यर्थी को नियमिता अभ्यर्थी के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा ।

- 9.5 अन्यत्र उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी अभ्यर्थी को समवर्ती सेमेस्टरांत परीक्षा (मुख्य/पूरक) में अधिकतम चार बार लगातार, उपस्थित होने की अनुमित दी जायेगी।
- 9.6 सेमेस्टरांत परीक्षा की समय सारणी, परीक्षा के प्रारंभ होने के 15 दिवस के पूर्व घोषित की जायेगी ।
- 9.7 तैयारी अवकाश : केवल लगभग 10 दिवस की तैयारी अवकाश, प्रत्येक सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा हेतु अग्रसरित होगी ।
- 9.8 अग्रनयन : किसी अभ्यर्थी को उच्च सेमेस्टर में संपूर्ण विषयों अर्थात सेमेस्टर के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के अग्रनयन करने की अनुमित दी जायेगी, किन्तु उससे, उन विषयों (सैद्धांतिक /प्रायोगिक) जिसमें उसे डब्लू एच या एफ एफ ग्रेड अवार्ड दिया गया है, अगले ई एस ई को उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा।

10 पाठ्यकम, केडिट, निर्धारण एवं ग्रेडिंग

- 10.1 पाठ्यक्रमः कार्यक्रम में पाठ्यक्रम का समावेश है। कोई 'पाठ्यक्रम' कार्यक्रम का घटक (एक प्रश्नपत्र) है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रम को यूनिक कोर्स कोड द्वारा पहचानी जाती है। पाठ्यक्रम को, व्याख्यान/द्यूटोरियल्स/प्रयोगशाला कार्य/सेमिनार/परियोजना कार्य/प्रायोगिक प्रशिक्षण/रिपोर्ट लेखन/मौखिकी आदि को सम्मिलित करने हेतु अथवा इनके संयोजन से शिक्षण एवं अधिगम की जरूरत को प्रभावी ढग से पूरा करने हेतु, रूपांकित किया जा सकेंगा तथा केंडिट को उचित रूप से दिये जा सकेंगे।
- 10.2 क्रेडिट:— क्रेडिट, पाठ्यकम के लिये विषय वस्तु के भाग / विहित पाठ्यकम परिभाषित करता है तथा प्रति सप्ताह अपेक्षित अनुदेश के घंटों की संख्या का निर्धारण करता है।
 - 1 केंडिट = प्रति सप्ताह व्याख्यान के 1 घंटे (1 केंडिट पाठ्यकम = प्रति सेमेस्टर व्याख्यान के 15 घंटे)

3 केडिट = प्रति सप्ताह व्याख्यान के 3 घंटे (3 केडिट पाठ्यकम = प्रति संभेस्टर व्याख्यान के 45 घंटे) संस्थान व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगशाला कार्य/फील्ड वर्क या अन्य के रूप में पाठ्यकम कर सकता है। प्रयोगशाला/फील्डवर्क सम्मिलित पाठ्यकम के लिये अपेक्षित किये गये, संस्थान के घंटे की संख्या निर्धारित करते हुए, प्रयोगशाला/फील्डवर्क के 2 घंटे सामान्यतः व्याख्यान के 1 घंटे के समतुल्य समझा जाता है।

10.3 निर्धारण एवं मूल्यांकन :

निरंतर मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन, दोनों घटकों जैसे आंतरिक असाइनमेंट (आईए) एवं सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) के अनुसार किया जायेगा।

ग्रेडिंग प्रणालीः

प्रतिशत के साथ-साथ पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का अनुपालन किया जायेगा प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में, अभ्यर्थी को सभी विषयों जैसे कि आईए एवं ईएसई के एक संयुक्त प्रदर्शन पर आधारित लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। ये ग्रेड, नीचे दी गई "ग्रेड पॉइंट" (जीपी) के रूप में ज्ञात समकक्ष संख्या के माध्यम से अभ्यर्थी के प्रदर्शन के गुणात्मक निर्धारण दर्शित करने वाले लेटर (अक्षर) द्वारा वर्णित होंगे। पाठ्यकम सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है अथवा केडिट, पाठ्यकम के लिये अर्जित किया जाता है तब लेटर ग्रेड सी या उससे अच्छा, पाठ्यकम में प्रदान किया जाता है।

लेटर ग्रेड (एल जी): A+ A B+ B C+ C F ग्रेड पॉइंट (जी पी): 10 9 8 7 6 5 0

प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के लिये पृथक-पृथक ग्रेड प्रदान किया जायेगा।

10.4 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणालीः

नीचे स्पष्ट किये गये पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार को सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय के लिये अंगीकृत किये जायेंगे—

ग्रेड		सैद्धांतिक		प्रायोगिक
A+	85	≤Marks ≤ 100%,	90	≤ Marks ≤ 100%,
Α	75	≤ Marks < 85%,	82	≤ Marks < 90%,
B+	65	≤ Marks < 75%,	74	≤ Marks < 82%,
В	55	≤ Marks < 65%	66	≤ Marks < 74%,
C+	45	≤ Marks < 55%	58	≤ Marks < 66%,
С	40	≤ Marks < 45%	50	≤ Marks < 58%,
F	0	≤ Marks < 40%,	0	≤ Marks < 50%,

अतएव लेटर ग्रेड A+, A,B+,B,C+,C एवं F तत्स्थानी ग्रेड पॉईंट परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रत्येक विषय हेतु उपलब्ध होंगे।

10.5 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक (एस पी आई):

प्रथम (i) सेमेस्टर (जहां (i) विशेष सेमेस्टर की संख्या दर्शित करता है) में विद्यार्थी का प्रदर्शन सी पी आई द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है जो सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है तथा जो निम्नलिखित द्वारा अभिव्यक्त है—

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots \dots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots \dots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

जहां C एवं G कमशः केडिट और ग्रेड के लिए है, सीपीआई, पूर्णांक के बिना, अंक को दो स्थान तक संगणित किया जायेगा। सीपीआई तभी संगणित किया जायेगा जब विद्यार्थी, किसी विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में असफल हुए बिना, सेमेस्टर उत्तीर्ण करता है।

संचित प्रदर्शन सूचकांक (सी पी आई):

100 प्रतिशत अधिभार सिहत डिग्री कार्यकम में उसके प्रवेश के समय सभी पाठ्यकम के लिए विद्यार्थी द्वारा सभी पाठ्यकमों के लिए विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉईन्ट का अधिभार औसत है, सेमेस्टर प्रथम (i) मे सीपीआई, निम्नानुसार संगणित की जायेगी $[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{i=1} N_i}{\sum_{i=1}^{i=1} D_i}$

यदि विद्यार्थी पाठ्यकम को आवृत्ति करता है या किसी विषय में अनुत्तीर्ण घोषित होता है तो ही नवीनतम (आगामी) प्रयास में अभिप्राप्त ग्रेड पॉइन्ट, सीपीआई के निकटस्थ संगणित किया जायेग। सीपीआई, एसपी आई सहित प्रत्येक सेमेस्टर में संगणित किया जायेगा ताकि विद्यार्थी को ज्ञात हो कि उसका सीपीआई कैसे परिवर्तित हो रहा है।

11.0 डिवीजन प्रदान करना:

ं डिविजन का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा-

प्रथम् श्रेणी - 60 प्रतिशत एवं अधिक

द्वितीय श्रेणी . - 40 प्रतिशत एवं अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम

40 प्रतिशत से कम, अनुत्तीर्ण होगा।

प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र और प्रायोगिक / प्रशिक्षण में, अभ्यर्थी द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अंक कमशः अभिप्राप्त करना चाहिए।

12.0 पुनर्गणनाः

- 12.1 कोई अभ्यर्थी, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, किसी एक या दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु अंको की पुनर्गणना के लिए सी वी रमन विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकेगा।
- 12.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सहित, संबंधित संस्थान जिसमें वह अध्ययनरत है, के प्राचार्य को परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।
- 12.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में प्रश्नपत्र की पुनः परीक्षा सम्मिलित नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जायेगा कि क्या विशिष्ट उत्तरों में दी गईं अंकों की गणना में कोई त्रुटि या किसी उत्तर में दी गईं अंकों में कोई लोप की गई है।

13.0 पुनर्मूल्यांकनः

- 13.1 अभ्यर्थी, अधिकतम दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के लिये ही मुख्य परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते है।
- 13.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सहित, परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।
- 13.3 यदि, मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में पुनर्मूल्यांकन में कोई त्रुटि पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार अधिसूचित किया जायेगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम की संसूचना अभ्यर्थी को दी जायेगी।
- 13.4 पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन, प्रायोगिक की दशा में अनुज्ञात नही किया जायेगा।
- 14.0 शोध कार्य के लिये मार्गदर्शनः विद्यार्थी से तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में अपना शोध कार्य पूर्ण करना अपेक्षित है। इस सेमेस्टर के दौरान अभ्यर्थी स्वयं को संस्था/विश्वविद्यालय में

संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा सौंपे गये एवं चयनित पाठ्यकम से सुसंगत शिक्षा के किसी पक्ष से जुड़े शोध कार्य के लिये समर्पित करेगा। चतुर्थ समेस्टर के अंत में अभ्यर्थी, उसके द्वारा लिखित शोध प्रबंध की तीन टंकित या मुद्रित प्रति संस्था के निदेशक/प्राचार्य के माध्यम से, सुपरवाइजर से इस आशय के प्रमाण पत्र सिहत कि यह अभ्यर्थी द्वारा किया गया मौलिक कार्य एवं किसी अन्य उपाधि के अवार्ड के लिये आंशिक या पूर्ण रूप से इस कार्य को पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है, विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा। शोध कार्य संचालन के लिये, संकाय विद्यार्थियों का अनुपात, मार्गदर्शन एवं सलाह हेतु 1 अनुपात 5 (1:5) होगा।

15.0 निर्वचन : इस अध्यादेश के निर्वचन के विषयों में कोई संदेह, विवाद या अस्पटता की दशा में, कुलपित का विनिश्चय, अंतिम होगा और विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों / संबंधित पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।

विवाद की स्थिति में, मामले का विनिश्चय जिला न्यायालय, बिलासपुर छ.ग. की क्षेत्राधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

डॉ. सी.वी.रामन विश्वविद्यालय करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) अध्यादेश क्रमांक 18 (पुनरीक्षित) शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)

1.0 सामान्य:

शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम को सामान्यतः बी.एड. के रूप में जाना जाता है । शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में दो वर्षीय व्यवसायिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर, सेकेण्डरी स्तर एवं सीनियर सेकण्डरी स्तर के लिए शिक्षक तैयार करना है शिक्षा मे स्नातक (बी.एड.) कार्यक्रम विद्यार्थियों को उनके ज्ञान की गहराई के साथ—साथ विस्तार के लिए और शिक्षा की समझ, चयनित क्षेत्रों मे विशेषज्ञता एवं क्रियात्मक शोध क्षमता का विकास करना भी है । कार्यक्रम का उद्देश्य मानव आत्म एवं व्यक्तित्व का संपूर्ण एकीकृत समझ, ज्ञान के पुनर्निर्माण हेतु लोगों के बीच भाई—चारे की रचनात्मक विचार, संवाद कौशल का विकास तथा क्रियात्मक शोध एवं नवोन्मेषी अभ्यास के लिए उन्हें सक्षम बनाना है। ।

- 2.0 शीर्षक :शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)
- 3.0 संकाय : शिक्षा संकाय
- 4.0 अवधि, कार्य दिवस एवं उपस्थिति :
 - 4.1 अवधि: बी.एड. पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर सहित दो शैक्षणिक वर्ष का होगा जिसमें प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह के लिए एवं पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह के लिए विद्यालयीन इटर्नशीप सम्मिलित है। विद्यार्थियों को प्रवेश की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष की कालाविध सहित 2 वर्ष में, समय—समय पर एन.सी.टी.ई के मानदण्ड के अनुसार, पाठ्यक्रम अपेक्षाओं को पूर्ण करने की अनुमित दी जायेगी

- 4.2 कार्य दिवस : प्रवेश की कालाविध को छोड़कर एवं कक्षा संव्यवहार (गतिविधियों), प्रायोगिक, क्षेत्र अध्ययन और परीक्षा संचालन को सम्मिलित करते हुए, कम से कम दो सौ कार्य दिवस होंगे ।
- 4.3 उपस्थित : किसी सेमेस्टरांत परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों से, सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु न्यूनतम 80 प्रतिशत एवं प्रायोगिक हेतु अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथकतः 90 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित होगी। 5 प्रतिशत तक की कमी को डॉ सी.वी.रमन विश्वविद्यालय के कुलपित द्वारा संतुष्टजनक कारण होने पर माफ किया जा सकेगा।
- 5.0 प्रवेश अर्हता चयन प्रक्रिया एवं शुल्कः
 - 5.1 प्रवेशः पाठयकम के लिए बुनियादी इकाई 50 का होगा । इस इकाई के एकाधिक इकाई भी स्थापित किये जा सकेंगे।
 - 5.2 पात्रताः
 - ▶ बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों को, स्नातक डिग्री में और/या विज्ञान/समाज विज्ञान/मानविकी /वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त होने चाहिए, विज्ञान और गणित सहित अंभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में 55 प्रतिशत अंक या उससे संबंधित समकक्ष कोई अन्य योग्यता होने चाहिए, वह, कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र है या एन.सी.टी.ई. द्वारा समय —समय पर निर्णित अर्हता मानदण्ड अनुसार पात्र है।
 - अभ्यर्थी, जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है वो भी आवेदन कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय मार्कशीट/डिग्री प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा ।

- परंतु यह और कि चल रहे बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए शासन द्वारा प्रायोजित विद्यालय में नियोजित शिक्षक, विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक हो सकेंगे ।
- एस.सी. /एस.टी./ओ.बी.सी./पी.डब्लू.डी एवं अन्य योग्य श्रेणी हेतु आरक्षण एवं छूट हेतु केन्द्र /राज्य शासन जो भी लागू हो, के नियमों के अनुसार होंगे ।
- 5.3 प्रवेश प्रक्रिया : अईकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट पर, और राज्य शासन / केन्द्र शासन / विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार कोई अन्य चयन प्रक्रिया पर प्रवेश परीक्षा में, प्रवेश दिया जायेगा ।
- 5.4 शुल्क : पाठ्यक्रम शुल्क, विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल या छत्तीसगढ़ सरकार की शुल्क विनियामक समिति द्वारा समय —समय पर की जाने वाली अनुशंसा के अनुसार विनिश्चित किया जायेगा ।
- 6.0 माध्यम : शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम, या तो हिन्दी या अंग्रेजी होगा ।
- 7.0 शिक्षण सत्र : सामान्यतः प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, समानान्तर रूप से जुलाई से दिसंबर की कालाविध तक संचालित होगा और द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर प्रत्येक वर्ष जनवरी से जून की कालाविध में संचालित होगा ।
- 8.0 शिक्षण एवं परीक्षा की योजना : पाठ्यक्रम सिहत विभिन्न सेमेस्टरों के लिए शिक्षण एवं परीक्षा योजना शिक्षा के लिए स्नातक (बी.एड.) हेतु डॉ सी.वी.रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार पालन किया जायेगा ।

परीक्षा एवं मूल्याकंन

- 9.1 सी.वी.आर.यू द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) संचालित किया जायेगा। सेमेस्टर की परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा में सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, प्रायोगिक एवं मौखिकी होंगे।
- 9.2 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण सेमेस्टरों के सैद्धांतिक एवं प्रयोगशाला प्रायोगिक को मिलाकर पूर्ण परीक्षा होगी ।

- 9.3 परीक्षा की अवधि 25 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगी ।
- 9.4 विशेष सेमेस्टर में कम उपस्थिति के कारण रोके गए किसी अभ्यर्थी को नियमित अभ्यर्थी के रूप में उसी सेमेस्टर को दुबारा करना होगा ।
- 9.5 अन्यत्र उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी अभ्यर्थी को समवर्ती सेमेस्टरांत परीक्षा (मुख्य /पूरक) में अधिकतम चार बार लगातार, उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी ।
- 9.6 सेमेस्टरांत परीक्षा की समय सारणी, परीक्षा के प्रारंभ होने के 15 दिवस के पूर्व घोषित की जायेगी ।
- 9.7 तैयारी अवकाश : केवल लगभग 10 दिवस की तैयारी अवकाश, प्रत्येक सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा हेतु अग्रसरित होगी ।
- 9.8 अग्रनयन : किसी अभ्यर्थी को उच्च सेमेस्टर में संपूर्ण विषयों अर्थात सेमेस्टर के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के अग्रनयन करने की अनुमित दी जायेगी, किन्तु उससे, उन विषयों (सैद्धांतिक /प्रायोगिक) जिसमें उसे डब्लू एच या एफ एफ ग्रेड अवार्ड दिया गया है, अगले ईएसई को उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा।

10 पाठ्यकम, केडिट, निर्घारण एवं ग्रेडिंग

- 10.1 पाठ्यक्रमः कार्यक्रम में पाठ्यक्रम का समावेश है। कोई 'पाठ्यक्रम' कार्यक्रम का घटक (एक प्रश्नपत्र) है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रम को यूनिक कोर्स कोड द्वारा पहचानी जाती है। पाठ्यक्रम को, व्याख्यान/ट्यूटोरियल्स/प्रयोगशाला कार्य/सेमिनार/परियोजना कार्य/प्रायोगिक प्रशिक्षण/रिपोर्ट लेखन/मौखिकी आदि को सम्मिलित करने हेतु अथवा इनके संयोजन से शिक्षण एवं अधिगम की जरूरत को प्रभावी ढ़ग से पूरा करने हेतु, रूपांकित किया जा सकेगा तथा केडिट को उचित रूप से दिये जा सकेंगे।
- 10.2 क्रेडिट:- क्रेडिट, पाठ्यकम के लिये विषय वस्तु के भाग / विहित पाठ्यकम परिभाषित करता है तथा प्रति सप्ताह अपेक्षित अनुदेश के घंटों की संख्या का निर्धारण करता है।

- 1 केंडिट = प्रति सप्ताह व्याख्यान के 1 घंटे (1 केंडिट पाठ्यकम = प्रति सेमेस्टर व्याख्यान के 15 घंटे)
- 3 केडिट = प्रति सप्ताह व्याख्यान के 3 घंटे (3 केडिट पाठ्यकम = प्रति सेमेस्टर व्याख्यान के 45 घंटे) संस्थान व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगशाला कार्य/फील्ड वर्क या अन्य के रूप में पाठ्यकम कर सकता है। प्रयोगशाला/फील्डवर्क सम्मिलित पाठ्यकम के लिये अपेक्षित अनुसार संस्थान के घंटे की संख्या निर्धारित करते हुए, प्रयोगशाला/फील्डवर्क के 2 घंटे सामान्यतः व्याख्यान के 1 घंटे के समतुल्य समझा जाता है।

10.3निर्घारण एवं मूल्यांकन :

निरंतर मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन, दोनों घटकों जैसे आंतरिक असाइनमेंट (आईए) एवं सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) के अनुसार किया जायेगा।

ग्रेडिंग प्रणालीः

प्रतिशत के साथ—साथ पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का अनुपालन किया जायेगा प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में, अभ्यर्थी को सभी विषयों जैसे कि आईए एवं ईएसई के एक संयुक्त प्रदर्शन पर आधारित लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। ये ग्रेड, नीचे दी गई "ग्रेड पॉइंट" (जीपी) के रूप में ज्ञात समकक्ष संख्या के माध्यम से अभ्यर्थी के प्रदर्शन के गुणात्मक निर्धारण दर्शित करने वाले लेटर (अक्षर) द्वारा वर्णित होंगे। पाठ्यकम सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है अथवा केडिट, पाठ्यकम के लिये अर्जित किया जाता है तब लेटर ग्रेड सी या उससे अच्छा, पाठ्यकम में प्रदान किया जाता है।

लेटर ग्रेड (एल जी): A+ A B+ B C+ C F ग्रेड पॉइंट (जी पी): 10 9 8 7 6 5 0 प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के लिये पृथक-पृथक ग्रेड प्रदान किया जायेगा।

10.4 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणालीः

ن ن ن ن ن

नीचे स्पष्ट किये गये पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार को सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय के लिये अंगीकृत किये जायेंगे—

ग्रेड		सैद्धांतिक		प्रायोगिक
A+	85	≤Marks ≤ 100%,	90	\leq Marks \leq 100%,
Α	75	≤ Marks < 85%,	82	≤ Marks < 90%,
B+	65	≤ Marks < 75%,	74	≤ Marks < 82%,
В	55	≤ Marks < 65%	66	≤ Marks < 74%,
C+	45	≤ Marks < 55	58	≤ Marks < 66%,
C	35≤	Marks < 45	50	≤ Marks < 58%,
F	$0 \le Marks < 35\%$,		$0 \le Marks < 50\%$,	

अतएव लेटर ग्रेड A+, A,B+,B,C+,C एवं F तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रत्येक विषय हेतु उपलब्ध होंगे।

10.5 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक (एस पी आई):

प्रथम (i) सेमेस्टर (जहां (i) विशेष सेमेस्टर की संख्या दर्शित करता है) में विद्यार्थी का प्रदर्शन सी पी आई द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है जो सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है तथा जो निम्नलिखित द्वारा अभिव्यक्त है—

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots \dots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots \dots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

जहां C एवं G कमशः केडिट और ग्रेड के लिए है, सीपीआई, पूर्णांक के बिना, अंक को दो स्थान तक संगणित किया जायेगा। सीपीआई तभी संगणित किया जायेगा जब विद्यार्थी, किसी विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में असफल हुए बिना, सेमेस्टर उत्तीर्ण करता है।

संचित प्रदर्शन सूचकांक (सी पी आई):

100 प्रतिशत अधिभार सिंहत डिग्री कार्यक्रम में उसके प्रवेश के समय सभी पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी द्वारा सभी पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है, सेमेस्टर प्रथम (i) मे सीपीआई, निम्नानुसार संगणित की जायेगी $[CPI]_{\hat{t}} = \frac{\sum_{i=1}^{t\geq 1} N_i}{\sum_{i=1}^{t\geq 1} D_i}$

यदि विद्यार्थी पाठ्यकम को आवृत्ति करता है या किसी विषय में अनुत्तीर्ण घोषित होता है तो ही नवीनतम (आगामी) प्रयास में अभिप्राप्त ग्रेड पॉइन्ट, सीपीआई के निकटस्थ संगणित किया जायेग। सीपीआई, एसपी आई सहित प्रत्येक सेमेस्टर में संगणित किया जायेगा ताकि विद्यार्थी को ज्ञात हो कि उसका सीपीआई कैसे परिवर्तित हो रहा है।

11.0 डिवीजन प्रदान करना :

डिविजन का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा-

प्रथम् श्रेणी — 60 प्रतिशत एवं अधिक

द्वितीय श्रेणी — 40 प्रतिशत एवं अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम

तृतीय श्रेणी — 35 प्रतिशत एवं अधिक किन्तु 45 प्रतिशत से कम

35 प्रतिशत से कम, अनुत्तीर्ण होगा।

प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र और प्रायोगिक/प्रशिक्षण में, अभ्यर्थी द्वारा कम से कम 35 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत अंक कमशः अभिप्राप्त करना चाहिए।

12.0 पुनर्गणनाः

- 12.1 कोई अभ्यर्थी, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, किसी एक या दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु अंको की पुनर्गणना के लिए सी वी रमन विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकेगा।
- 12.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सहित, संबंधित संस्थान जिसमें वह अध्ययनरत है, के प्राचार्य को परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।
- 7.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में प्रश्नपत्र की पुनः परीक्षा सम्मिलित नहीं है। यह, यह देखने के लिए किया जायेगा कि क्या विशिष्ट उत्तरों में दी गई अंकों की गणना में कोई त्रुटि या किसी उत्तर में दी गई अंकों में कोई लोप की गई है।

13.0 पुनर्मूल्यांकनः

- 13.1 अभ्यर्थी, अधिकतम दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के लिये ही मुख्य परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते है।
- 13.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सिहत, परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।
- 13.3 यदि, मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में पुनर्मूल्यांकन में कोई त्रुटि पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार अधिसूचित किया जायेगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम की संसूचना अभ्यर्थी को दी जायेगी।
- 13.4 पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन, प्रायोगिक की दशा में अनुज्ञात नही किया जायेगा।

एवं सप्ताह के लिये न्यूनतम अवधि 20 सप्ताह का होगा। इसमें अभ्यास शिक्षण की तुलना में, प्रारंभिक शिक्षक संवेदन शीलता एवं कौशल के विस्तृत विकास करने के लिये रूपांकित किया इसके द्वारा जुड़ाव" के विस्तृत पाठ्यचर्या क्षेत्र का अंग होगा और परिप्रेक्ष्यों के प्रदर्शन, व्यावसायिक क्षमताओं., जायेगा। बी.एड. की पाठ्यचर्या, सीखने वाले एवं विद्यालय (अधिगम से निरंतर एवं बोध वर्ष भर प्रतिवेश में विद्यालय के साथ तालमेल सृजित करेंगे। विद्यार्थी-शिक्षक, विद्यालय में सीखने वाले की विविध जरूरतों को पूरा करने आनंद की सामग्री उपलब्ध करायेंगे। लिये सिक्रेय रूप से जोड़ा जायेगा। विद्यार्थियों में इंटर्निशिप दो वर्षीय पाठ्यकम चरण में नियमित के साथ नियमित कक्षा, कक्ष अवलोकन के लिये एक सप्ताह सहकर्मी अवलोकन, शिक्षक अवलोकन विद्यार्थियों को पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह एवं अंतिम वर्ष में 16 14.0 विद्यालय इंटर्नशीप के लिये मार्गदर्शनः विद्यालय इंटर्नशिप "क्षेत्र के साथ संबंधी मूल्यांकन में जुड़ाव को सम्मिलित करते हुये) अनवरत जुड़ाव हेतु सम्मिलित होगा तथा अभ्यास सबक के संकाय अवलोकन भी सम्मिलित होंगे।

विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों / संबंधित 15.0 निर्वचन : इस अध्यादेश के निर्वचन के विषयों में कोई संदेह, विवाद या अस्पटता की छ.म बिलासपुर न्यायालय, 新 विवाद की स्थिति में, मामले का विनिश्चय जिला होगा आंतम किया जायेगा। विनिश्चय, पक्षकारों पर बंधनकारी होगा। क्षेत्राधिकारिता के अधीन 0 कुलपति 本 दशा

00000

डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय अध्यादेश कमांक 29 (पुनरीक्षित) अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.ई / बी.टेक)

- 1.0 सामान्यः चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) पाठ्यकम के अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में प्रथम डिग्री, जो इसमें इसके पश्चात् चार वर्षीय डिग्री पाठ्यकम कहा जाएगा, सम्बन्धित संकाय में 'अभियांत्रिकी में स्नातक / प्रौद्योगिकी में स्नातक' के रूप में अभिहित होगा। इस बी.ई / बी.टेक डिग्री में सी.वी.रमन विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रचलित अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी का संकाय सम्मिलित होगा। बी.ई / बी.टेक पाठ्यकम का परीक्षा परिणाम, प्रतिशत और केडिट प्रणाली के आधार पर होगा।
- 2.0 प्रवेशः
 - 2.1 बी.ई/बी.टेक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2) प्रणाली, भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय सिंहत उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या विश्वविद्यालय से कोई अन्य समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा।
 - 2.2 अभ्यर्थी, जिसने मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा मण्डल / विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी के संबंधित संकाय में डिप्लोमा पाठ्यकम उत्तीर्ण किया हो, बी.ई. पाठ्यकम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र होंगे परन्तु वे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों।
 - 2.3 अभ्यर्थी, जिसने अभियांत्रिकी के समुचित संकाय में तकनीकी शिक्षा मण्डल/
 विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंको के साथ डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण किया हो,
 पार्श्व प्रवेश रीति पर तृतीय सेमेस्टर (4—वाई डी सी का द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।

- 2.4 अभ्यर्थी, जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संयुक्त रूप से, एक मुख्य विषय गणित हो एवं 50 प्रतिशत अंको के साथ बी.एस.सी.(विज्ञान में स्नातक) उत्तीर्ण किया हो, पार्श्व प्रवेश रीति पर तृतीय सेमेस्टर (वाई डी सी का द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।
- 2.5 अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई) अभ्यर्थी, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार बी.ई में प्रवेश हेतु पात्र होंगे परन्तु वे उपरोक्त खण्ड 2.1 के मानदण्ड को पूरा करते हो।
- 2.6 उपरोक्त खण्ड 2.1 एवं 2.2 में यथा विनिर्दिष्ट पात्र अभ्यर्थी, बी.ई/बी.टेक में प्रवेश हेतु, सी.जी.—पी.ई.टी/ए.आई.ई.ई.ई के मेरिट सूची में स्थान अर्जित करना चाहिए। सामान्यतः बी.ई/बी.टेक में प्रवेश के लिये, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा संचालनालय या कोई अन्य समकक्ष प्राधिकारी द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा शासित होंगे। विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी पाठ्यकम में प्रवेश हेतु अपना प्रवेश परीक्षा भी आयोजित कर सकेगा।
- 2.7 सीटें: बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी स्थापित किये जा सकेंगे।
- 2.8 फीसः पाठ्यकम फीस, विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे (अथवा फीस निर्धारण समिति छत्तीसगढ़ शासन के (समय—समय पर) अनुशंसा अनुसार होंगे)।
- 2.9 माध्यमः शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम, हिन्दी या अंग्रेजी होगा। विषय, नियमित रीति से पढ़ाये/सिखाये जायेंगे। नियमित सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पाठ्यकम संचालित किये जायेंगे जिसमें 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 2.10 स्थानांतरित अभ्यर्थीः किसी अन्स विश्वविद्यालय/संस्था से स्थानांतरित अभ्यर्थी, बी.ई. पाठ्यकम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे परन्तु सम्बन्धित संकाय के अध्ययन मण्डल का अनुमोदन हो।
- 3.0 शिक्षण सत्रः

सामान्यतः एक, तीन, पाँच या सात (विषम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, प्रत्येक वर्ष जुलाई से दिसम्बर के दौरान समानांतर रूप से संचालित होंगी तथा दो, चार, छः एवं आठ (सम) सेमेस्टर का शिक्षण सत्र, प्रत्येक वर्ष जनवरी से जून के दौरान समानांतर रूप से संचालित होंगी।

- 3.1 मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ाया जायेगा।
- 3.2 अभ्यर्थी, सेमेस्टर की परीक्षा जिसमें वह उपस्थित हुआ था, की समाप्ति के पश्चात् उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रखेगा। तथापि, उसके पात्रता का मूल्यांकन खण्ड 4.5 के अनुसार सेमेस्टर के परिणाम जिसमें वह उपस्थित हुआ था उसके परिणाम घोषित किये जान के पश्चात् ही किया जायेगा।
- 3.3 अविधः बी.ई./बी.टेक. पाठ्यकम की न्यूनतम/अधिकतम अविध 4/7 वर्ष होगी।
- 3.4 शिक्षण की इकाई प्रणालीः प्रत्येक विषय का सिलंबस, पाँच इकाई में विभक्त रहेगा। सैद्धांतिक परीक्षा प्रश्नपत्र में प्रत्येक इकाई से प्रश्न अंतर्विष्ट होंगे।
- 3.5 **मानदण्ड इकाई**: सभी शिक्षण एवं प्रश्नपत्र की सेटिंग एस.आई इकाई (अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली) में किये जायेंगे।
- 3.6 व्यवसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षणः प्रत्येक विद्यार्थी के लिये आवश्यक होगा कि व्यवसाय के समय न्यूनतम चार सप्ताह की अविध (न्यूनतम 2 हिस्सों) की व्यवसायिक प्रायोगिक प्रशिक्षण पूर्ण करें।
- 3.7 शिक्षण योजनाः विभिन्न सेमेस्टर और सिलेबस के लिये शिक्षण एवं परीक्षा योजना का अनुपालन अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी के विभिन्न संकाय के लिये डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अनुसार किया जायेगा।
- 3.8 उपस्थितिः किसी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी से, अध्ययन पाठ्यकम के प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक एवं अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) कक्षा में न्यूनतम

75% उपस्थिति की अपेक्षा होगी, पाँच प्रतिशत तक की कमी को डाॅ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय के कुलपित के द्वारा संतोषपूर्ण कारण होने पर माफ किया जा सकेगा।

3.9 असाधारण लंबी अनुपस्थितीः यदि विद्यार्थी दो वर्ष से अनाधिक अवधि हेतु इस विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के संकाय के शैक्षिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है तो उसे न तो किसी पश्चात्वर्ती परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमित दी जायेगी न ही किसी सेमेस्टर में प्रवेश या पदोन्नत किया जायेगा तथा वह बी.ई./बी.टेक डिग्री पाठ्यकम के साथ—साथ इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहेगा। यहा, शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने से अभिप्रेत है व्याख्यान, अनुशिक्षण, प्रायोगिक में उपस्थिति, नियमित विद्यार्थी के रूप में मुख्य या अनुपूरक परीक्षाओं में उपस्थिति। चिकित्सा आधार पर कैंपस से अनुपस्थिति के लिये, तीन माह से अनाधिक के अंतराल में प्रस्तुत अवकाश आवेदनों के साथ समर्थित होना आवश्यक है।

4.0 परीक्षाः

- 4.1 सी.वी.आर.यू, द्वारा संचालित प्रत्येक सेमेस्टर में सेमेस्टरांत परीक्षा होगी। परीक्षा में, उस सेमेस्टर की परीक्षा योजना के अनुसार सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, प्रायोगिक एवं मौखिकी सम्मिलित होगी। सेमेस्टर परीक्षा सामान्यतः प्रत्येक वर्ष नवम्बर-दिसम्बर एवं अप्रैल-मई के माह मे आयोजित होगी।
- 4.2 सभी सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक सहित प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में पूर्ण परीक्षा होगी।
- 4.3 परीक्षा कालावधि, 25 कार्य दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4.4 विशिष्ट सेमेस्टर में उपस्थिति की कमी के कारण रोके गये अभ्यर्थी, नियमित अभ्यर्थी के रूप में उसी सेमेंस्टर को दुबारा करेंगे।

- 4.5 अन्यत्र उल्लिखित किसी बात के होते हुये भी, अभ्यर्थी को अधिकतम चार समानांतर सेमेस्टरांत परीक्षा (मुख्य/अनुपूरक) में उपस्थित होने के अनुमित दी जायेगी।
- 4.6 सेमेस्टरांत परीक्षा का टाईम टेबल परीक्षा के प्रारंभ के 15 दिवस पूर्व घोषित किया जाना चाहिये।
- 4.7 तैयारी अवकाशः प्रत्येक सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा में 10 दिन का ही तैयारी अवकाश, अग्रसरित होगा।
- 4.8 अग्रनयनः अभ्यर्थी को उच्च सेमेस्टर में सभी विषयो अर्थात् सेमेस्टर के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक हेतु अग्रनयन अनुज्ञात किया जायेगा, उससे, उन विषयों (सैद्धांतिक/प्रायोगिक), जिसमें उसे WH या FF ग्रेड प्राप्त हुआ था, में ही आगामी ईएसई को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।
- 4.9 यदि अभ्यर्थी किसी एक या अधिक टीए (अध्यापक का निर्धारण) में असफल होता है तो वह ईएसई (सेमेस्टरांत परीक्षा) में उपस्थित होने हेतु पाञ्च नहीं होगा अतएव सेमेस्टर दुबारा करना होगा।

5.0 उत्तीर्ण परीक्षाः

- 5.1 अंको का आधारः
- 5.1.1 प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी का प्रदर्शन, विषयवार मूल्यांकित किया जायेगा, प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु कक्षा परीक्षा (सीटी) एवं सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं अध्यापक का निर्धारण (टीए) तथा प्रत्येक प्रायोगिक हेतु ईएसई एवं टीए, निम्नलिखित विभाजन एवं उत्तीर्ण मानक अर्थात् सैद्धांतिक एवं सत्रीय सहित होगा—

परीक्षा का नाम

न्यूनतम उत्तीर्ण अंक

(एक) सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के अध्यापक 60 प्रतिशत

	निर्धारण (टीए)	
(दो)	कक्षा परीक्षा (सीटी) सैद्धांतिक	निरंक
(तीन)	सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई)	
	सैद्धांतिक	35 प्रतिशत
	प्रायोगिक	50 प्रतिशत
(चार)	ई एस ई, सी टी एवं टी ए का कुल योग	
	सैद्धांतिक	35 प्रतिशत
	प्रायोगिक	50 प्रतिशत
(पाँच)	समग्र योग	50 प्रतिशत

सत्रीय चार्ट, प्राचार्य द्वारा पुनर्विलोकित एवं जांच की जायेगी तथा गोपनीय शाखा को अग्रेषित की जायेगी।

- 5.1.2 प्रायोगिक में सेमेस्टरांत परीक्षा के मूल्यांकन के लिये, एक बाह्य परीक्षक परीक्षा संस्थान/सी. वी. आर. यू. के बाहर से होगा एवं एक आंतरिक परीक्षक संस्थान/सी. वी. आर. यू. से होगा।
- 5.1.3 यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा पूर्णरूपेण उत्तीर्ण किया हो तो उसे डिवीजन/अंको में सुधार हेतु उसी परीक्षा में पुनः उपस्थित होने की अनुमित नहीं होगी।

5.2 केडिट का आधारः

5.2.1 केडिट =[L+(T+P)/2] जहां L= व्याख्यान प्रति सप्ताह, T= अनुशिक्षण (ट्यूटोरियल) प्रति सप्ताह, P= प्रायोगिक प्रति सप्ताह है। विषय में केडिट, पूर्णांक में होगा न कि भिन्नात्मक अंक में। यदि विषय में केडिट, भिन्नात्मक में परिवर्तित हो जाता है तो उसे आगामी पूर्णांक संख्या के रूप में लिया जायेगा।

- 5.2.2 अभ्यर्थी, सेमेस्टर में आबंटित सभी क्रेडिट तब ही अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर में उत्तीर्ण होता हो।
- 5.3 उच्च सेमेस्टर में पदोन्नयनः अभ्यर्थी सेमेस्टर की परीक्षा, जिसमें वह उपस्थित हुआ था, के पूर्ण होने के पश्चात् उच्च सेमेस्टर कक्षा में अपना अध्ययन अनंतिम रूप से जारी रख सकेगा।

6.0 निर्धारण एवं ग्रेडिंगः

6.1 निर्घारण एवं मूल्यांकन की रीतिः

निरंतर मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन, तीनों घटकों जैसे कक्षा परीक्षा (सीटी), शिक्षक का निर्धारण (टीए) एवं सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) के अनुसार किया जायेगा। टीए को और अधिक निष्पक्ष बनाने हेतु यह, उपस्थिति, गृह असाइनमेन्ट, गृह टेस्ट, बंद एवं खुले पुस्तिका टेस्ट, समुह असाइनमेन्ट, कक्षा में प्रदर्शन, मौखिकी, क्वीज आदि पर आधारित होगा। इसी तरह, प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक सैद्धांतिक विषय के कम से कम एक कक्षा परीक्षा होगा, जिसका परिणाम कक्षा में विद्यार्थी को परीक्षा उत्तरपुरितका सहित दिखाया जायेगा।

6.2 ग्रेडिंग प्रणालीः

प्रतिशत के साथ—साथ पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का अनुपालन किया जायेगा प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में, अभ्यर्थी को सभी विषयों जैसे कि टीए, सीटी, एवं ईएसई के एक संयुक्त प्रदर्शन पर आधारित लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। ये ग्रेड, नीचे दी गई "ग्रेड पॉइंट" (जीपी) के रूप में ज्ञाता समकक्ष संख्या के माध्यम से अभ्यर्थी के प्रदर्शन के गुणात्मक निर्धारण दर्शित करने वाले लेटर (अक्षर) द्वारा वर्णित होंगे। पाठ्यकम सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है अथवा केडिट, पाठ्यकम के लिये अर्जित किया जाता है तब लेटर ग्रेड सी या उससे अच्छा, पाठ्यकम में प्रदान किया जाता है।

लेटर ग्रेड (एल जी): A+ A B+ B C+ C F

ग्रेड पॉइंट (जी पी): 10 9 8 7 6 5 0

प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के लिये पृथक-पृथक ग्रेड प्रदान किया जायेगा। यह नीचे वर्णित अनुसार दिया जायेगा।

6.3 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणालीः

नीचे स्पष्ट किये गये पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार को सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय के लिये अंगीकृत किये जायेंगे—

ग्रेड		सैद्धांतिक		प्रायोगिक
A+	85	≤ Marks ≤ 100%,	90	≤ Marks ≤ 100%,
Α	75	≤ Marks < 85%,	82	≤ Marks < 90%,
B+	65	≤ Marks < 75%,	74	≤ Marks < 82%,
В	55	≤ Marks < 65%	66	≤ Marks < 74%,
C+	45	≤ Marks < 55	58	≤ Marks < 66%,
C	35	≤ Marks < 45	50	≤ Marks < 58%,
F	0	≤ Marks < 35%,	0	≤ Marks < 50%,

अतएव लेटर ग्रेड A+, A,B+,B,C+,C एवं F तत्स्थानी ग्रेड पॉइंट परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रत्येक विषय हेतु उपलब्ध होंगे।

6.4 अनुत्तीर्ण ग्रेड "F"

इसके अतिरिक्त, F के और वर्गीकरण, निम्नानुसार है-

FF: किसी सैद्धांतिक / प्रायोगिक विषय में अनुत्तीर्ण!

FS: सत्रीय अर्थात् इस प्रकार आवृत्ति सेमेस्टर TA में, अनुत्तीर्ण।

WH: विभिन्न कारणों से राके गये परिणाम।

FA: कुल (एग्रीगेट) अंक जिसमें अंक 50 प्रतिशत से कम अंक हो, के कारण अनुत्तीर्ण, होने पर, किसी विकल्प के एक या दो विषय (सैद्धांतिक/प्रायोगिक) में उपस्थित होने हेतु पात्रता।

6.5 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक (एस पी आई):

00000

प्रथम (i) सेमेस्टर में विद्यार्थी का प्रदर्शन एस पी आई द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है जो सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है तथा जो निम्नलिखित द्वारा अभिव्यक्त है—

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots \dots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots \dots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

जहां C एवं G कमशः केंडिट और ग्रेड के लिए है, एसपीआई, पूर्णांक के बिना, अंक को दो स्थान तक संगणित किया जायेगा। एसपीआई तभी संगणित किया जायेगा जब विद्यार्थी, किसी विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में असफल हुए बिना, सेमेस्टर उत्तीर्ण करता है।

$$N_i$$
 is $[\Sigma CG]_i$ & D_i is $[\Sigma C]_i$

6.6 संचित प्रदर्शन सूचकांक (सी पी आई):

डिग्री कार्यकम में उसके प्रवेश के समय सभी पाठ्यकम के लिए विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिभार औसत है, सेमेस्टर एक एवं दो का 10 प्रतिशत अधिभार, सेमेस्टर अंक तीन एवं चार का 20 प्रतिशत अधिभार, सेमेस्टर अंक पांच एवं छः का 30 प्रतिशत अधिभार एवं सेमेस्टर अंक सात एवं आठ का 100 प्रतिशत अधिभार सिहत होगा। अतएव दो से अधिक "प्रथम (i)" सिहत सेमेस्टर प्रथम (i) मे सीपीआई, निम्नानुसार संगणित की जायेगी —

$$[GPI]_{i} = \frac{0.1(N_{1} + N_{2}) + 0.2(N_{3} + N_{4}) - 0.3(N_{5} + N_{6}) + (N_{7} + N_{8})}{0.1(D_{1} + D_{2}) + 0.2(D_{3} + D_{4}) - 0.3(D_{5} + D_{6}) + (D_{7} + D_{8})}$$

यदि विद्यार्थी पाठ्यकम को आवृत्ति करता है या किसी विषय में अनुत्तीर्ण घोषित होता है तो ही नवीनतम (आगामी) प्रयास में अभिप्राप्त ग्रेड पॉइन्ट, सीपीआई के निकटस्थ संगणित किया जायेग। सीपीआई, एसपी आई सहित प्रत्येक सेमेस्टर में संगणित किया जायेगा ताकि विद्यार्थी को ज्ञात हो कि उसका सीपीआई कैसे परिवर्तित हो रहा है।

6.7 कक्षा या डिवीजन प्रदान करना :

6.7.1 बीई /बी टेक डिग्री के साथ विद्यार्थी को प्रदान किया जाने वाला श्रेणी/डिविजन, निम्न सारणी के अनुसार विद्यार्थी के अंको के प्रतिशत से विनिश्चित की जायेगी—

विशिष्टता या आनर्स

: 75% ≤ Marks ≤100%

> प्रथम श्रेणी

: 65% ≤ Marks < 75%

द्वितीय श्रेणी

: 50% ≤ Marks < 65%

- 6.7.2 सभी चार वर्ष के लिए अभ्यर्थी के समेकित प्रदर्शन के आधार पर, आठवें एवं अंतिम सेमेस्टर के पश्चात ही डिविजन प्रदान किया जायेगा।
- 6.7.3 अभ्यर्थी को बीई अंतिम में उत्तीर्ण तब तक घोषित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने आठवें सेमेस्टर के सभी पूर्व परीक्षा पूरी तरह उत्तीर्ण न किया हो । उन अभ्यर्थियों, जिसने किसी पूर्व सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो, के आठवें एवं अंतिम सेमेस्टर का परिणाम , रोक दिया जायेगा। तथापि, उन्हें कमी के बारे में सूचित किया जायेगा। उसके द्वारा, वर्ष, जिसमें उसने सभी आठ सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करता हो, में अंतिम बीई परीक्षा उत्तीर्ण किया गया समझा जायेगा।
- 6.7.4 समेकित प्रदर्शन का मूल्यांकन, नीचे दिये गये सारणी के अनुसार अभ्यर्थी के कुल स्कोर में जोड़े गये अधिभार अंकों के योजना के आधार पर किया जायेगा—

20 प्रतिशत द्वितीय वर्ष अंक. 100 प्रतिशत चतुर्थ वर्ष अंक. 30 प्रतिशत तृतीय वर्ष अंक. 10 प्रतिशत प्रथम वर्ष अंक. एक वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष दो वर्ष सप्तम एवं अष्ठम सेमेस्टर तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर एक एवं दो सेमेस्टर

डिप्लोमा/बी एससी धारकों, जिसने तृतीय सेमेस्टर में सीधे प्रवेश प्राप्त किये हो, के जोड़े गये अधिभार अंक, लिए समेकित प्रदर्शन का मूल्यांकन, अभ्यर्थी के कुल स्कोर में दिये गये अनुसार होंगे-6.7.5

(एक) तृतीय एवं चतुर्थं सेमेस्टर दो वर्ष (दो) पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर तीन वर्ष (तीन) सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर चार वर्ष

20 प्रतिशत द्वितीय वर्ष अंक. 30 प्रतिशत तृतीय वर्ष अंक. 100 प्रतिशत चतुर्थ वर्ष अंक.

6.8 अनुलिपीः

सभी पाठ्यकमों के समेकित अभिलेख, अभिप्राप्त ग्रंड एवं अंतिम सी पी आई, अभिप्राप्त पात्यकम के पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को जारी अनुलिपी में विद्यार्थी द्वारा लिये गये श्रेणी या डिवीजन के साथ अंतर्विष्ट होंगे।

7.0 अंको की पुनर्गणना एवं पुनर्मुत्यांकनः

7.1 पुनर्गणनाः

कोई अभ्यर्थी, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ हो, किसी एक या दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्र हेतु अंको की पुनर्गणना के लिए सी वी रमन विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकेगा। 7.1.1

- 7.1.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सहित, संबंधित संस्थान जिसमें वह अध्ययनरत है, के प्राचार्य को परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।
- 7.1.3 पुनर्गणना का कार्य अर्थात् पुनर्गणना में प्रश्नपत्र की पुनः परीक्षा सम्मिलित नहीं है। यह देखने के लिए किया जायेगा कि क्या विशिष्ट उत्तरों में दी गई अंकों की गणना में कोई त्रुटि या किसी उत्तर में दी गई अंको में कोई लोप की गई है।

7.2 पुनर्मूल्यांकनः

- 7.2.1 अभ्यर्थी, अधिकतम दो सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के लिये ही मुख्य परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते है।
- 7.2.2 ऐसा आवेदन, विहित प्ररूप में, अपेक्षित फीस सहित, परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस के भीतर करना आवश्यक है।
- 7.3 यदि, मूल रूप से प्रकाशित परिणाम में पुनर्मूल्यांकन में कोई त्रुटि पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक सुधार अधिसूचित किया जायेगा। अन्य सभी मामलों में, परिणाम की संसूचना अभ्यर्थी को दी जायेगी।

8.0 मेरिट सूचीः

- 8.1 मेरिट के आदेश में प्रथम 5 अभ्यर्थी की मेरिट सूची, अभ्यर्थी, जिन्हे प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो, के बीच से प्रत्येक शाखा में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में घोषित की जायेगी ।
- 8.2 शाखावार अंतिम मेरिट सूची, समस्त चार वर्ष के समेकित प्रदर्शन के आधार पर, बीई / बी टेक डिग्री के लिए आठ (अंतिम) सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा के पश्चात

- ही विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जायेगा। मेरिट सूची में प्रथम प्रयास में प्रथम डिविजन अर्जित करने वाले प्रथम 3 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।
- 8.3 मेरिट सूची, पुनर्मूल्यांकन परीणाम, यदि कोई हो, की घोषणा के पश्चात घोषित किया जायेगा।
- 8.4 अभ्यर्थी, जो एक अंक से डिविजन प्राप्त करने में असफल हो गये या चूक गये हो, को कुलपति द्वारा एक कृपोत्तीर्ण अंक प्रदान किया जायेगा। तथापि, यह अन्यत्र जोडा नही जायेगा।
- 9.0 निर्वचन : इस अध्यादेश के निर्वचन के विषयों में कोई संदेह, विवाद या अस्पटता की दशा में, कुलपित का विनिश्चय, अंतिम होगा और विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों/संबंधित पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।

-00000-

डॉ सी.वी.रामन विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 30 (पुनरीक्षित) अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (एम.ई. / एम.टेक.)

यह अध्यादेश, अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिक में स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अग्रसरित सभी कार्यक्रमों पर लागू होंगे ।

- 1. सामान्य : विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिक (एम.ई. / एम.टेक.) की स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अग्रसरित अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिक में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्णकालीन अभ्यार्थियों के मामले में चार सेमेस्टर एवं अंशकालीन अभ्यार्थियों के मामले में छः सेमेस्टर में विभक्त होगा । प्रत्येक सेमेस्टर, लगभग छःमाह की अवधि का होगा जिसमें अवकाश / तैयारी अवकाश / परीक्षा / औद्योगिक प्रशिक्षण आदि सिम्मलित होगा ।
- 2. प्रवेश : एम.ई. / एम.टेक. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रत्येक आवेदक को-
 - 2.1 बी.ई./बी.टेक./एम.सी.ए./एम.एस.सी. या उपयुक्त शाखाकी समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो या कुल मिलाकर अंतिम वर्ष परीक्षा का सकल अंक/ग्रेड उसके समकक्ष होना होगा।
 - 2.2 पूर्णकालीन पाठ्यक्रम के लिये आवेदकों को वैद्य गैट (जी.ए.टी.ई.) स्कोर रखना अपेक्षित है । अंश कालीन एवं प्रायोजित पूर्णकालीन/अंशकालीन अभ्यार्थियों के लिए गैट (जी.ए.टी.ई.) अनिवार्य नहीं है
 - 2.3 प्रायोजित अभ्यार्थियों के पास अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिये ।
 - 2.4 यदि विश्वविद्यालय/संस्थान में एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिक्त सीटें उपलब्ध है तो उन्हें मेरिट के आधार पर सीधे अभ्यार्थियों से भरा जा सकेगा, जो अन्यथा एम.ई./एम.टेक. में प्रवेश हेतु विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हकारी मानदण्डों को पूर्ण करेंगे ।

3. उपस्थिति :

U

- 3.1 किसी सेमेस्टर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप उपस्थित हो रहे अभ्यार्थियों से, प्रत्येक पेपर में, दिये गये व्याख्यान एवं प्रायोगिक में पृथकतः कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित होगी परंतु 5 प्रतिशत तक की उपस्थिति में कमी को, संतोषजनक कारण होने पर विश्वविद्यालय के कुलपित द्वारा माफ किया जा सकेगा ।
- 3.2 नियमित अभ्यार्थियों के मामले में पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि चार वर्षों की एवं अशंकालीन प्रणाली में अभ्यार्थियों के लिए 06 वर्षों की होगी ।

परीक्षा एवं मूल्यांकन

- 4.1 प्रत्येक वर्ष दो विश्वविद्यालयीन परीक्षा होगी । प्रथम सेमेस्टर लगभग दिसंबर/जनवरी एवं द्वितीय मई/जून में होगी । प्रथम, तृतीय एवं पंचम के लिए मुख्य परीक्षा एवं द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए पूरक परीक्षा प्रथम दिसंबर/जनवरी में होगी । द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर के लिए मुख्य परीक्षा तथा प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के लिए पूरक परीक्षा मई /जून में होगी ।
- 4.2 कोई परीक्षार्थी, जो किसी सेमेस्टर परीक्षा में दो से अधिक सैद्धांतिक पेपर/प्रायोगिक /मौखिकी में न्यूनतम अंक / ग्रेड प्राप्त करने में असफल होता है, को ए.टी.के.टी. (टर्म जारी रखने हेतु अनुज्ञात) प्राप्त किया घोषित किया जायेगा । ऐसे अभ्यर्थी को अगले उच्चतर सेमेस्टर के लिए अनंतिम प्रवेश दिया जा सकेगा । ए.टी.के.टी.(दो प्रयासो में) परीक्षा में बैकलॉग को उत्तीर्ण करने में असफल होने की स्थिति में, उसे अनुतीर्ण माना जायेगा ।
- 4.3 कोई अभ्यर्थी, जो सेमेस्टर परीक्षा में दो से अधिक सैद्धांतिक या प्रायोगिक/मौखिकी में अनुतीर्ण हो रहा है, को अनुतीर्ण माना जायेगा ।

4.4 अभ्यर्थी, जो अंतिम (पूर्णकालिक की दशा में चतुर्थ एवं अंशकालिक की दशा में षष्टम) सेमेस्टर परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो, सेमेस्टर में पुनः प्रवेश की प्रार्थना कर सकेगा, तथापि वह विश्वविद्यालय/संस्थान में विभाग के प्रमुख द्वारा सुझाये गये दूसरे टॉपिक पर आवश्यक संशोधन एवं/अथवा लौटाये गये शोध प्रबंध को सुधारने के पश्चात् वह अपना शोध प्रबंध पुनः जमा करेगा ।

4.5

- शोध प्रबंध के साथ कम से कम एक (शोध पत्रिका/जर्नल/कॉनफेन्स/सेमीनार) मे प्रकाशित होना आश्यक है यह नियम नियमित एवं अंशकालिक दोनों अभ्यर्थी के लिए मान्य होगा।
- > शोध प्रबंध को बाह्य परीक्षक द्वारा जांच किया जायेगा ।
- ग्रेड, नियमानुसार दिया जायेगा।
- 4.6 प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय हेतु न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, निम्नानुसार होगाः
- 4.6.1 प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र- उस प्रश्न-पत्र हेतु आबंटित कुल अंक का 40 प्रतिशत
- 4.6.2 प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा- प्रायोगिक हेतु आबंटित कुल अंक का 50 प्रतिशत
- 4.6.3 प्रत्येक सत्रीय / टीए- 60 प्रतिशत
- 4.6.4 कक्षा मूल्यांकन परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हेतु निर्बंधन नहीं
- 4.6.5 सकल अंक 50 प्रतिशत । कुल अंक में कमी की स्थिति में अभ्यर्थी सकल अंक की पूर्ति हेतु एक सैद्धांतिक या प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने हेतु स्वतन्त्र है ।

5. डिविजन प्रदान किया जानाः

निम्निलिखित रीति में सभी सेमेस्टर परीक्षा के लिए अभ्यर्थी के एकीकृत प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परीक्षा में डिविजन, अवार्ड किया जायेगा —

5.1 प्रथम श्रेणी (फस्ट डिवीजन) ऑनर्स सहित - अंक ≥ 75%

5.2 प्रथम श्रेणी (फस्ट डिवीजन) -

65% ≤ अंक < 75%

5.2 द्वितीय श्रेणी (सेकेन्ड डिवीजन) -

50 % ≤ अंक < 65%

मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग

6.1 मूल्यांकन एवं निर्धारण का प्रकार :

निरंतर मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन, तीनों घटकों जैसे कक्षा परीक्षा (सीटी) शिक्षक मूल्यांकन (टीए) एवं सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) के अनुसार किया जायेगा।

ग्रेडिंग प्रणालीः

पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का अनुपालन किया जायेगा। प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में, अभ्यर्थी को सभी विषयों जैसे कि टीए, सीटी एवं ईएसई के एक संयुक्त प्रदर्शन पर आधारित लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। ये ग्रेड, नीचे दी गई "ग्रेड पॉइंट" (जीपी) के रूप में ज्ञात समकक्ष संख्या के माध्यम से अभ्यर्थी के प्रदर्शन के गुणात्मक निर्धारण दर्शित करने वाले लेटर (अक्षर) द्वारा वर्णित होंगे। पाठ्यकम सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है अथवा केडिट, पाठ्यकम के लिये अर्जित किया जाता है तब लेटर ग्रेड सी या उससे अच्छा, पाठ्यकम में प्रदान किया जाता है।

लेटर ग्रेड (एल जी): A+ A B+ B C+ C F ग्रेड पॉइंट (जी पी): 10 9 8 7 6 5 0

प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के लिये पृथक-पृथक ग्रेड प्रदान किया जायेगा।

6.2 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणालीः

नीचे स्पष्ट किये गये पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार को सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय के लिये स्वीकृत किये जायेंगे—

ग्रेड		सैद्धांतिक		प्रायोगिक
A+	85	≤Marks ≤ 100%,	90	\leq Marks \leq 100%,
Α	75	≤ Marks < 85%,	82	≤ Marks < 90%,
B+	65	≤ Marks < 75%,	74	≤ Marks < 82%,
В	55	≤ Marks < 65%	66	≤ Marks < 74%,
C+	45	≤ Marks < 55%	58	≤ Marks < 66%,
C	40	≤ Marks < 45%	50	≤ Marks < 58%,
F	0	≤ Marks < 40%,	0	≤ Marks < 50%,

अतएव लेटर ग्रेड A+, A, B+, B, C+, C एवं F तत्स्थानी ग्रेड पॉईंट परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रत्येक विषय हेतु उपलब्ध होंगे।

6.3 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक (एस पी आई):

प्रथम (i) सेमेस्टर (जहां (i) विशेष सेमेस्टर की संख्या दर्शित करता है) में विद्यार्थी का प्रदर्शन सी पी आई द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है जो सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यकम ग्रेड पॉइन्ट का अधिमार औसत है तथा जो निम्नलिखित द्वारा अभिव्यक्त है—

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots \dots]_i}{[C_1 + C_2 - \cdots \dots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

जहां C एवं G कमशः केडिट और ग्रेड के लिए है, सीपीआई, की गणना दशमलव के दो स्थान तक बिना पूर्णांकित किये की जायेगी। सीपीआई तभी संगणित किया जायेगा

जब विद्यार्थी, किसी विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक में असफल हुए बिना, सेमेस्टर उत्तीर्ण करता है।

संचित प्रदर्शन सूचकांक (सी पी आई):

000000

0

किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश से लेकर सभी सेमे ह्टर में प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड पॅाईन्ट का 100 प्रतिशत भारित औसत होगा। अतः सी.पी.आई की गणना इस प्रकार होगी — $[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_i}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_i}$

यदि विद्यार्थी पाठ्यकम को आवृत्ति करता है या किसी विषय में अनुत्तीर्ण घोषित होता है तो ही नवीनतम (आगामी) प्रयास में अभिप्राप्त ग्रेड पॉइन्ट, सीपीआई के निकटस्थ संगणित किया जायेग। सीपीआई, रसपी आई सहित प्रत्येक सेमेस्टर में संगणित किया जायेगा ताकि विद्यार्थी को ज्ञात हो कि उसका सीपीआई कैसे परिवर्तित हो रहा है।

7. परियोजना कार्य के लिए मार्गदर्शन

पूर्णकालीन अभ्यर्थियों के लिए चतुर्थ सेमेस्टर तथा अंशकालीन अभ्यार्थियों की दशा में षष्ट्रम सेमेस्टर, मुख्य शोध कार्य का सेमेस्टर होगा । इस सेमेस्टर के दौरान, अभ्यर्थी स्वयं को, संस्था /विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष द्वारा उसे सौपें गये एवं चयनित पाठ्यक्रम के सुसंगत प्रौद्योगिकी के किसी पक्ष सिहत जुड़े शोध कार्य के लिए समर्पित करेगा। सेमेस्टर के अंत में अभ्यर्थी को उसके द्वारा लिखित मुख्य शोध कार्य की तीन टंकित या मुद्रित प्रति संस्था के निदेशक/प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा, जो विभागाध्यक्ष एवं सुपरवाइजर के इस आशय के प्रमाणपत्र सिहत कि यह अभ्यर्थी द्वारा किया गया कार्य मौलिक है एवं किसी अन्य उपाधि के अवार्ड के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से इस कार्य को पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

8. पाठ्यक्रम को पूर्ण करना

- परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल होता है। बिन्दु क्रमांक 5 में निर्धारित कोई अभ्यर्थी, जो पूर्णकालीन पाठ्यक्रम के प्रथम तीन सेमेस्टर अथवा अंशकालीन पाठ्यक्रम के प्रथम पांच सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के अवार्ड के लिए पात्र होगा यदि वह पाठ्यक्रम से अलग अपना / अपनी पैमाने के अनुसार स्नातकोत्तर डिप्लोमा में डिवीजन समनुदेशित किये जायेंगे भीतर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के 和 1015
- हेतु अग्रसरित, पाठ्यक्रम पूर्ण करने के प्रायोजन हेतु प्रवेश के लिए पात्र होंगे । परंतु यह कि अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम के घोषणा के तुरंत पश्चात् एवं (एम.ई/एम. टेक.) डिग्री के प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थी, स्नातकोत्तार डिप्लोमा जो वह धारित डिप्लोमा रखता हो, पूर्णकालीन की स्थिति में चतुर्थ सेमेस्टर एवं अंशकालीन की स्थिति में कोई अभ्यर्थी, जो विश्वविद्यालय की अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर सेमेस्टर में, अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री करता है, को विश्वविद्यालय को समर्पित कर देगा 8.2
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया हो, की रिथति में, उस वर्ष को छोड़कर, बाद में संबंधित सेमेस्टर के प्रारंभ में पाठ्यक्रम में पुनप्रवेश. लेने के लिए अनुज्ञात कर कोई अम्यर्थी, जिसने किसी सेमेस्टर के दौरान पाठ्यक्रम को अनिरंतर किया है, 9.1 जहा वह अनुशंसा पर, /प्राचार्य की निदेशक 16 सकेगा संस्था

9. पुनर्मूल्यांकन /पुनर्गणना/कृपोत्तीर्ण अंकों के लिए नियम

आवेदन कर सकेगा । बैकलॉग पेपर के लिए उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्याकंन कोई नियमित अन्यर्थी, नियमित परीक्षा के परिणाम के घोषणा से 15 दिवस मीतर विहित प्रपत्र में अपने उत्तार पुस्तिका के पुनर्मूल्याकंन के लिए कुलसचिव लागू नही होगा । 9.1

परंतु यह कि अभ्यर्थी को दो से अधिक पेपर में पुनर्मूल्याकंन करवाने की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी ।

परंतु यह भी कि प्रायोगिक आलेख, क्षेत्र कार्य, सत्रीय कार्य परीक्षा एवं परीक्षा में पेपर के बदले में शोध पत्र जमा करने की स्थिति में, पुर्नमूल्याकंन की अनुमित नहीं होगी ।

9.2 प्रत्येक पेपर के पुनर्मूल्याकंन एवं प्रत्येक पेपर के पुर्नगणना हेतु ऐसे समस्त आवेदनों को, विहित शुल्क भुगतान कर, जमा करना होगा ।

(

- 9.3 कोई अभ्यर्थी शुक्क वापसी का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि जांच के फलस्वरूप, उसके परीक्षा परिणाम को प्रभावित करने वाली चूक, सार्वजनिक नहीं होता है एवं पता नहीं चलता है । यदि अभ्यर्थी अधिक शुक्क जमा करता है तो उसे लौटाया नहीं जायेगा ।
- 9.4 अभ्यर्थी को एक परीक्षा में पुनर्मूल्यांकित दो से अधिक विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अनुमित नहीं दी जायेगी । यदि अभ्यर्थी अपने आवेदन में दो से अधिक विषय का उल्लेख करता है तो केवल प्रथम दो पाठ्यक्रम (विषय) का पुनर्मुल्याकंन किया जायेगा और शेष पाठ्यक्रमों (विषय) पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।
- 9.5 प्रायोगिक, शिक्षक मूल्यांकन कार्य एवं प्रगति परीक्षा की स्थिति में पुनर्मूल्याकंन की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- 9.6 यदि, पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन पर, परिणाम मूलतः प्रकाशित होने की त्रुटि होती है, पूरक सूची में आवश्यक सुधार कर प्रकाशित की जायेगी । अन्य समस्त मामलों में पुनर्गणना के परिणाम, अधिकारी जिसने उसके आवेदन को अग्रेषित किया है, के माध्यम से, यथासंभव शीघ्र, अभ्यर्थी को सूचित की जायेगी ।
- 9.7 पुनर्गणना का कार्य पुर्नपरीक्षा के उत्तर पुस्तिका में सिम्मिलित नहीं होता है । यह, इस दृष्टि के साथ किया जाता है कि क्या वैयक्तिक प्रश्नों में प्राप्त अंको की गणना में कोई त्रुटि हुई है या किसी प्रश्न में प्राप्त अंको में से विलुप्ति हुई है ।

9.8 कुलपति, अभ्यर्थी, जो एक अंक से असफल हुआ हो या चूक गया हो, को एक कृपोत्तीर्ण अंक अवार्ड करेगा। तथापि इसे कही भी जोड़ा नही जायेगा ।

0. परिणाम की अधिसूचना : एम.ई. /एम.टेक. डिग्री हेतु अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम अधिसूचना में घोषित करते हुए, प्रत्येक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में, मेरिट के क्रम में पांच अभ्यर्थियों के नाम पूर्णकालीन एवं अंशकालीन पाठ्यक्रम हेतु पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की जायेगी ।

टीप : इस अध्यादेश में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, किसी अनपेक्षित उद्भूत मामलों के लिए और अध्यादेश द्वारा आच्छादित न होने या निर्वचन में मिन्नता होने की रिधित में, कुलपित निर्णय ले सकेगा और निर्णय, समस्त संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

--00000-----

डॉ. सी.वी.रामन विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 32 (पुनरीक्षित) मॉस्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल.)

- 1.0 सामान्य: मॉस्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल.) कार्यक्रम, विद्यार्थी को उस विषय, जिसमें वह पहले से ही स्नातकोत्तर अर्जित कर रखा है, में एडवांस कार्य करने का अवसर उपलब्ध करायेगा। यह उसी विषय में पी.एच.डी. कार्यक्रम करने के लिए सेतु पाठयकम का भी कार्य करेगा।
- 2.0 प्रवेशः अभ्यार्थियों को एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा। परंतु वह न्यूनतम अर्हता रखता /रखती हो एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार संचालित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सी.ई.टी.) के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार कार्यक्रम हेतु भी अर्ह हो।
- 3.0 **अर्हता** : कम से कम 55 प्रतिशत अंको (एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. अभ्यार्थियों के मामले में 50 प्रतिशत अंक) सहित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि ।
- 4.0 **सीट** : बुनियादी ईकाई 20 सीटों का होगा । इस ईकाई के एकाधिक ईकाई स्थापित किय जा सकेंगे ।
- 5.0 पाठयक्रम की अवधि :

0

0

000000000000

- एम.फिल. कार्यक्रम की अवधि डेढ़ वर्ष (03 सेमेस्टर) अर्थात प्रथम सेमेस्टर –
 कोर्स वर्क, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर –शोध प्रबंध कार्य की होगी ।
- कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए अधिकतम समय अविध ढाई वर्ष की होगी ।
- 6.0 शुल्क : अभ्यर्थी द्वारा भुगतान योग्य शुल्क, ऐसी होगी जैसा कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा नियत किया जाये ।
- 7.0 उपस्थित : किसी सेमेस्टर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित हो रहे अभ्यर्थियों से, कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित होगा परंतु यह कि 5 प्रतिशत

तक की उपस्थिति में कमी को, संतुष्ट जनक कारण होने पर विश्वविद्यालय के कुलपित द्वारा माफ किया जा सकेगा।

8.0 परीक्षा एवं मूल्यांकन :

- 8.1 प्रत्येक वर्ष दो विश्वविद्यालयीन परीक्षा होगी । प्रथम सेमेस्टर लगभग दिसंबर / जनवरी एवं द्वितीय मई / जून में होगी ।
- 8.2 कोई अभ्यर्थी, जो सेमेस्टर परीक्षा में सैद्धांतिक या प्रायोगिक दोनों में से किसी में दो से अधिक पाठ्यक्रम (विषय) में अनुतीर्ण हो रहा है, को अनुतीर्ण माना जायेगा ।
- 8.3 कोई अभ्यर्थी, जो किसी सेमेस्टर परीक्षा में दो से अनिधक सैद्धांतिक पेपर / प्रायोगिक / मौखिकी में न्यूनतम अंक / ग्रेड प्राप्त करने में असफल होता है, को ए.टी.के.टी. (टर्म जारी रखने हेतु अनुज्ञात) प्राप्त किया घोषित किया जायेगा । ऐसे अभ्यर्थी को अगले उच्चतर सेमेस्टर के लिए अनितम प्रवेश दिया जा सकेगा । एस.टी.के.टी.(दो प्रयासो में) परीक्षा में बैकलॉग को उत्तीर्ण करने में असफल होने की स्थिति में, उसे अनुतीर्ण माना जायेगा ।
- 8.4 अभ्यर्थी, जो अंतिम (द्वितीय) सेमेस्टर परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो, सेमेस्टर में पुनः प्रवेश की प्रार्थना कर सकेगा, तथापि वह विश्वविद्यालय मे विभाग के प्रमुख /सुपरवाईजर द्वारा सुझाये गये दूसरे टॉपिक पर आवश्यक संशोधन एवं/अथवा लौटाये गये शोध प्रबंध को सुधारने के पश्चात् वह अपना शोध प्रबंध जमा करेगा।
- 8.5 शोध प्रबंध, कम से कम एक प्रकाशित शोध पत्र (जर्नल/कॉफेंस/सेमिनार आदि) सहित पूर्ण होना चाहिए।
- 8.6 शोध प्रबंध को बाह्य परीक्षक द्वारा जांच किया जायेगा ।
- 8.7 प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय हेतु न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नीचे दिवे अनुसार होगा :
 - (क) प्रत्येक पाठ्यक्रम (सैद्धांतिक+सौपे गये कार्य) 40 प्रतिशत का होगा ।

- (ख) प्रत्येक प्रायोगिक (परीक्षा + मौखिक) 50 प्रतिशत का होगा ।
- (ग) शोध प्रबंध (शोध प्रबंध + मौखिक) 50 प्रतिशत का होगा ।
- (घ) प्रत्येक सेमेस्टर में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत होगा । सकल अंको में कमी होने की स्थिति में, सकल अंक को पूर्ण करने के लिए अभ्यर्थी एक सैद्धांतिक या प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने हेतु स्वतंत्र होगा ।
- 9.0 श्रेणी अथवा डिवीजन का अवार्ड : अभ्यर्थी को श्रेणी अथवा डिवीजन निम्नलिखित अनुसार अंको के प्रतिशत द्वारा नियत किया जायेगाः

9.1 विशिष्टता के साथ ऑनर्स 75 % ≤ अंक ≤ 100%

9.2 प्रथम श्रेणी (प्रथम डिवीजन) 60 % ≤ अंक < 75%

9.3 द्वितीय श्रेणी (द्वितीय डिवीजन) 50 % ≤ अंक < 60%

10.0 पुनर्मूल्यांकन एवं कृपोत्तीर्ण अंकों का अवार्ड :

J

10.1 अभ्यर्थी नियमित परीक्षा के परिणाम के घोषणा से 15 दिवस के भीतर विहित प्रपन्न में अपने उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु कुलसचिव को आवेदन कर सकेगा । बैकलॉग पेपर के लिए उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन लागू नहीं होगा। परंतु यह कि अभ्यर्थी को दो से अधिक प्रश्नपत्र में पुनर्मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी जायेगी । परंतु यह भी कि प्रायोगिक आलेख, क्षेत्र कार्य, सत्रीय कार्य परीक्षा एवं परीक्षा पेपर के बदले में प्रस्तुत किये गये शोध पत्र जमा करने की दशा में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

10.2 कुलपति, ऐसे अभ्यर्थी को एक कृपोत्तीर्ण अंक अवार्ड करेगा जो एक अंक से डिविजन हेतु असफल या चूक गया हो। तथापि, यह अन्यत्र जोड़ा नही जायेगा।

11.0 शोध प्रबंध कार्य के लिए मार्गदर्शन : द्वितीय सेमेस्टर शोध प्रबंध कार्य सेमेस्टर है। इस सेमेस्टर के दौरान अभ्यर्थी स्वयं को विश्वविद्यालय में संबंधित सुपरवाइजर द्वारा उसे सौपे गये उसके सुसंगत विषय के किसी पक्ष से जुड़े शोध कार्य के लिए समर्पित करेगा। सुपरवाइजर के पास, समय के किसी भी बिन्दु पर, पांच से अधिक एम.फिल. स्कालर नहीं होगा। सेमेस्टर के अंत में अभ्यर्थी, अपने द्वारा लिखित शोध प्रबंध की 03 टंकित प्रति विश्वविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करेगा जो विभागाध्यक्ष एवं सुपरवाइजर के इस आशय के प्रमाणपत्र सहित कि यह मौलिक कार्य का प्रतीक है और अभ्यर्थी द्वारा किया गया है एवं किसी अन्य उपाधि के अवार्ड के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से इस कार्य को पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है।

टीप : इस अध्यादेश में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, किसी अनपेक्षित उद्भूत मामलों के लिए और अध्यादेश द्वारा आच्छादित न होने या निर्वचन में भिन्नता होने की स्थिति में, कुलपित निर्णय ले सकेगा और निर्णय, समस्त संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

----00000----

डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय

करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) अध्यादेश क्रमांक-124

विधि स्नातक

(बी.बी.ए.एल.एल.बी. / बी.कॉम.एल.एल.बी. / बी.एस.सी.एल.एल.बी.)

5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम

1.0 सामान्यः

विधि स्नातक एकीकृत पाठ्यक्रम समान्यतः बी.बी.ए.एल.एल.बी. / बी.कॉम.एल.एल.बी. / बी.एस.सी.एल.एल.बी. के नाम से जाना जाता है जो कि पाँच वर्षीय (10 सेमेस्टर) पाठ्यक्रम है। जिसका उद्देश्य भारत में कानूनी पेशे के अभ्यास हेतु गुणवत्ता एवं कौशल पूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस पाठ्यक्रम की स्थापना विधि उपाधि हेतु की गई है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत तत्वों जैसे सिद्धांत, अभ्यास, संसंगति एवं एकीकरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। बी.बी.ए.एल.एल.बी. / बी.कॉम.एल.एल.बी. / बी.एस.सी.एल.एल.बी. का पाठ्यक्रम भारत के विधिज्ञ परिषद के दिशा निर्देशों एवं विनियमों को ध्यान में रखकर बनाया जायेगा है।

2.0 शीर्षक: एकीकृत विधि स्नातक (बी.बी.ए.एल.एंल.बी./बी.कॉम.एल.एल.बी./बी.एस.सी.एल.एल.बी.)

3.0 संकाय: विधि संकाय

4.0 समयावधि, कार्य दिवस एवं उपस्थितिः

- 4.1. समयाविधः बी.बी.ए.एल.एल.बी. / बी.कॉम.एल.एल.बी. / बी.एस.सी.एल.एल.बी. पाठयक्रम पाँच शैक्षणिक वर्षों के साथ 10 सेमेस्टर का होगा। यह पाठ्यक्रम समय दर समय बी.सी.आई. के मानदंडों के अनुसार संचालित किया जाएगा। बी.सी.आई. के नियमानुसार विद्यार्थी प्रवेश तिथि से अधिकतम 07 वर्षों की समयाविध में पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकता है।
- 4.2 कार्य दिवस : कार्य दिवस बी.सी.आई. के द्वारा समय समय पर जारी मानदंडों के अनुसार होंगे।
- 4.3 उपस्थिति : छात्र की उपस्थिति समय समय पर बी.सी.आई. एवं विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार निर्धारित होगी।

नियमित छात्रों के परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यून्तम् 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।

- 5.0 प्रवेश, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्कः
 - 5.1 प्रवेश संख्या : यह बी.सी.आई. के अनुमोदन के अनुसार होगी।

पात्रता :

बी.बी.ए.एल.एल.बी. / बी.कॉम एल.एल.बी में प्रवेश के लिए न्यून्तम् योग्यता हायर सेकेण्डरी सार्टीफिकेट 10+2 या समकक्ष परीक्षा होगी तथा कुल अंक बी.सी.आई. द्वारा समय समय पर जारी मानदंडों के अनुसार अंक प्राप्त किया हो।

बी.एस.सी.एल.एल.बी. में प्रवेश के लिए न्यून्तम् योग्यता हायर सेकेण्डरी सार्टीफिकेट 10+2 विज्ञान विषयों के साथ या समकक्ष परीक्षा होगी तथा कुल अंक बी.सी.आई. द्वारा समय समय पर जारी मानदंडों के अनुसार अंक प्राप्त किया हो।

5.2 प्रवेश प्रक्रिया : प्रवेश 10+2 या समकक्ष परीक्षा या प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको की प्रावीणता के आधार प्रदाय किया जावेगा। छत्तीसगढ़ शासन, उच्चिशिक्षा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका के प्रावधानों का प्रवेश के समय पालन किया जावेगा।

5.3 शुल्क : पाठ्यकम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबंधन मण्डल द्वारा या छत्तीसगढ़ शासन के अनुमोदन /छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के तहत किया जायेगा।

6.0 माध्यम : शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी होगा।

- 7.0 शैक्षणिक सन्न : समान्यतः शैक्षणिक सन्न का प्रारंभ, सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर और सम सेमेस्टर जनवरी से जून प्रत्येक सन्न में होगा।
- 8.0 शिक्षण एवं परीक्षा योजना : बी.बी.ए.एल.एल.बी./बी.कॉम.एल.एल.बी./बी.एस.सी.एल.एल.बी. संपूर्ण पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण एवं परीक्षा योजना सभी सेमेस्टर के लिए डॉ सी.वी. रामन विश्वविद्यालय के द्वारा जारी सूचना के आधार पर होगा।

9.0 परीक्षा एवं मूल्याकंन :

- 9.1 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) डॉ सी.वी. रामन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जावेगी। इस प्ररीक्षा में सैद्धांतिक प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा, परीक्षा योजना के तहत समाहित होगी।
- 9.2 प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षा के सैद्धांतिक, आंतरिक एवं प्रायोगिक विषयों को मिलाकर 40% एवं 50% क्रमशः और पूर्णाक 50% होना आवश्यक है।
- 9.3 परीक्षा की अधिकतम समयावधि 25 कार्य दिवस से अधिक नहीं होगी।
- 9.4 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा समय—सारणी परीक्षा प्रारंभ की तिथि से 15 दिवस पूर्व प्रसारित की जावेगी।
- 9.5 तैयारी हेतु अवकाश- परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु अवकाश प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा में लगभग 10 दिवस का अवकाश दिया जावेगा।
- 9.6 कैरी ओवर : यदि छात्र किसी सेमेस्टर में किसी भी विषय सैद्धांतिक या प्रायोगिक विषय WH या FF ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में जाने की पात्रता होगी एवं सेमेस्टर परीक्षा में उसे केवल उन विषयों की परीक्षा देनी होगी जिनमें उसे WH या FF ग्रेड मिला हो।

10.0 पाठ्यक्रम, क्रेडिट, मूल्यांकन, ग्रेडिंग :

10.1 पाठ्यक्रम : पाठ्यक्रम कार्यक्रम का एक घटक है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रत्येक पाठयक्रम एक पेपर को एक विशिष्ट पाठ्यक्रम कोड द्वारा पहचाना जाएगा। पाठ्यक्रम की रचना में सैद्धांतिक/ टिटोरियल/प्रायोगिक कार्य/सेमीनार/प्रोजेक्ट वर्क/व्यहारिक प्रशिक्षण/ रिपोर्ट लेखन/ मौखिक परीक्षा, आदि समाहित होगें जो पढ़ने एवं पढ़ाने की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक होगें एवं इसी आधार पर क्रेडिट का निर्धारण किया जावेगा।

व्यवसायिक प्रशिक्षण

विद्यार्थियों को वैवहारिक प्रशिक्षण हेतु कोर्ट जाना होगा। विद्यार्थियों को वैवहारिक प्रशिक्षण के प्रतिवेदन की तीन प्रति पेश करनी होगी जो उस संस्था द्वारा प्रमाणि हो, जहां उन्हों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा।

- 10.2 क्रेडिट : क्रेडिट की गणना संपूर्ण पाठयक्रम के आधार पर की जावेगी जिसमें प्रति सप्ताह में घण्टे के अनुसार व्याख्यान का निर्धारण क्रेडिट द्वारा किया जावेगा।
 - 1 क्रेडिट- प्रति सप्ताह 1 घण्टे के व्याख्यान (1 क्रेडिट पाठयक्रम = 1 सेमेस्टर में 15 घण्टों का व्याख्यान)
 - 3 क्रेडिट प्रति सप्ताह में 3 घण्टे का व्याख्यान (3 क्रेडिट पाठयक्रम = प्रति सेमेस्टर में 45 घण्टों का व्याख्यान)

निर्देश का स्वरूप व्याख्यान/टिटोरियल/प्रायोगिक कार्य/फील्ड वर्क या अन्य किसी स्वरूप में होगा। प्रायोगिक कार्य या बाह्य कार्य क्षेत्र (ट्रेनिंग) का निर्धारण कुछ इस प्रकार किया गया है कि यहाँ किया जाने वाला 2 घण्टे का कार्य, 1 घण्टे के व्याख्यान के बराबर होगा।

10.3 आंकलन और मूल्यांकन

मूल्यांकन प्रणाली निम्न दो घटकों में संपन्न होगी यथा आंतरिक मूल्यांकन एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा। सभी व्यवहारिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य होगा। आंतरिक आंकलन निम्न आधार पर किया जाएगा:

सैद्धांतिक – व्यक्तिगत / सामूहिक कार्य, प्रस्तृतिकरण।

व्यवहारिक – व्यक्तिगत एवं सामूहिक रिपोर्ट का अनुसंधान बी.सी.आई. के दिशा निर्देश अनुसार किया जाएगा।

आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में शिकायतों के समधान हेतु एक प्रावधान होगा एवं किसी प्रकार का पक्षपात न हो।

ग्रेडिंग प्रणाली -

पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जावेगी। विद्यार्थी को प्रत्येक विषय सैद्धान्तिक या वैवहारिक आंतरिक मूल्यांकन एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अधार पर उनके प्रदर्शनै के अनुसार "लेटर ग्रेड" दिया जाएगा। इन ग्रेडस का निर्धारण "लेटर ग्रेड" किसी लेटर द्वारा प्रदर्शित होगें। अभ्यार्थी के प्रदर्शन अनुसार उनका संपूर्ण मूल्यांकन अंक संख्या, "ग्रेड पाइंट" के अनुसार होगा। ग्रेड पाईंट का निर्धारण इस प्रकार होगा। A का आशय पूर्ण पाठ्यक्म की पूर्ण सफलता से है या पाठ्यक्म से संबंधित क्रेडिट के अर्जन से है जबकि लेटर ग्रेड C या पाठ्यक्म में सराहनीय अर्जन से है

लेटर ग्रेड (LG): A+ A B+ B C+ C F ग्रेड पाईट (GP): 10 09 08 07 06 05 0

ग्रेड का आकलन सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों के लिए अलग-अलग किया जावेगा।

10.4 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली

सैद्धातिंक एवं प्रायोगिक विषयों के लिए स्वीकृत की गई पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का विवरण इस प्रकार है-

ग्रेड	सैद्धांतिक	प्रायोगिक
A+	85≤ अंक ≤ 100%	90≤ अंक ≤ 100%
A	75≤ अंक < 85%	82≤ अंक < 90%
B+ 1	65≤ अंक < 75%	74≤ अंक < 82%
В	55≤ अंक < 65%	66≤ अंक < 74%
C+	45≤ अंक < 55%	58≤ अंक < 66%
С	40≤ अंक < 45%	50≤ अंक < 58%
F	0≤ अंक < 40%	0≤ अंक < 50%

इस प्रकार यह लेटर ग्रेड A+, A, B+, B, C+, C और F समस्त विषयों के लिए परीक्षक को मूल्यांकन हेतु उपलब्ध होगा। 10.5 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक [SPI]

ith सेमेस्टर में छात्र का प्रदर्शन एसपीआई द्वारा इंगित किया गया है जो कि छात्र द्वारा प्राप्त किये गये

पाठ्यक्म के औसत भारित ग्रेड प्वाईट प्राप्ति से संबंधित है। प्रत्येक सेमेस्टर के छात्रों का प्रदर्शन छात्र

द्वारा उस सेमेस्टर में प्राप्त ग्रेड पांइट का औसत होगा जो कि निम्नानुसार है—

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots ,]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots ,]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

जहां C एवं G क्रमशः क्रेडिट एवं ग्रेड है।

SPI की गणना दशमलव के दो स्थानों तक की जावेगी, SPI की गणना केवल तभी की जाएगी जब छात्र ने किसी भी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में F ग्रेड प्राप्त न किया हो।

संचयी प्रदर्शन सूचकांक — यह किसी भी छात्र के प्रवेश से लेकर सभी सेमेस्टर में प्राप्त ग्रेड पाइंट का 100% भारित औसत होगा। ith में CPI की गणना निम्नानुसार की जायेगी होगी—

$$[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_i}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_i}$$

यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश ले या किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गया हो तो पुनः प्रयास में संबंधित विषय में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही ग्रेड पाइंट की गणना CPI में की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में प्राप्त SPI की अनुसार CPI की गणना होगी, इस प्रकार SPI के अनुसार CPI परिवर्तित होगा, इसलिए आवश्यक है कि छात्र को SPI एवं CPI की गणना ज्ञात हो।

- 11.0 श्रेणी का निर्धारण— श्रेणी का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा—
- (i) प्रथम श्रेणी 60% और ऊपर
- (ii) द्वितीय श्रेणी 50% से ऊपर किंतु 60% से कम प्रत्येक सैद्धांतिक विषय एवं प्रायोगिक / प्रशिक्षण में कमशः कम से कम 40% एवं 50% अंक प्राप्त करना चाहिए किन्तु कुल प्राप्तांक 50% प्राप्त करना अनिवार्य है यदि कोई छात्र कुल प्राप्तांक प्राप्त करने में असफल होता है तो उस छात्र को किसी प्रश्न पत्र में बैठने की अनुमित प्रदाय की जावेगी ता कि कुल प्राप्तांक पूर्ण किया जा सके।
- 12.0 पुनर्गणना -
 - 12.1 कोई भी छात्र जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठा हो, वह किसी भी एक या दो सैद्धातिंक विषय में पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता है।
 - 12.2 आवेदक को परिणामों की घोषणा होने के 15 दिन के अंदर ही निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना अनिवार्य है।

- 12.3 उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना की प्रक्रिया में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा, यह केवल प्रत्येक उत्तर के लिए मिलें अंकों की पुनर्गणना होगी, यह देखने के लिए कि गणना के समय कोई त्रुटि तो नहीं हुई।
- 13.0 पुनर्मूल्यांकन-
 - 13.1 छात्र किसी भी दो सैद्धांतिक विषयों में सिर्फ मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका हेतु पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 - 13.2 आवेदक को परीक्षा परिणामों की घोषणा होने के 15 दिन के अंदर आवेदन पन्न निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
 - 13.3 यदि पुनर्मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो निश्चित सुधार के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इसकी सूचना दी जावेगी, अन्य परिस्थितियों में भी विश्वविद्यालय छात्र को पुनर्मुल्यांकन के परिणामों की जानकारी प्रदान करेगा।
 - 13.4 प्रायोगिक विषयों के लिए पुनर्गणना अथवा पुर्नमुल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।
- 14.0 व्याख्या-

इस अध्यादेश से संबंधित किसी भी प्रकार के संदेह, विवाद अस्पष्टता पर कुलपति का निर्णय अंतिम होगा एवं यह छात्र/अभ्यर्थी/संबंधित पक्ष के लिए बाध्यकारी होगा।

किसी विवाद की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में मामले का निवारण किया जाएगा।

डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय

करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक-125

फॉर्मेसी में स्नातक (बी.फॉर्मा)

4 वर्षीय पाठ्यक्रम

सामान्य –

फॉर्मेसी में स्नातक बी. फॉर्मा चार वर्षीय पाठयक्रम है, जिसका उद्देश्य फॉर्मेसी एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल शिक्षा प्रदान करना है। इस पाठ्यक्रम की रचना पी.सी.आई. के दिशानिर्देश एवं विनियमों के तहत की जावेगी।

- 2. शीर्षक फॉर्मेसी में स्नातक (बी. फॉर्मा)
- संकाय फॉर्मेसी संकाय
- 4. समयावधि, कार्य दिवस एवं उपस्थिति
 - 4.1 समयावधि— बी. फॉर्मा पाठ्यक्रम चार वर्षीय (8 सेमेस्टर) का है। पाठ्यक्रम का संचालन पी.सी. आई. के नियमों के अनुरूप होगा। विद्यार्थी को अपना पाठयक्रम पूर्ण करने के लिए उनके प्रवेश की तिथि से आरंभ होकर अधिकतम समय 6 वर्ष की होगी/पी.सी.आई. के द्वारा समय समय पर जारी मानदंडों के अनुसार।
 - 4.2 कार्य दिवस- पी.सी.आई. के द्वारा समय समय पर जारी मानदंडों के अनुसार।
 - 4.3 उपस्थिति छात्र की उपस्थिति पी.सी.आई. एवं विश्वविद्यालय के द्वारा समय समय पर जारी मानदंडों के अनुसार। नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम् 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।

5.0 प्रवेश, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क

- 5.1 प्रवेश संख्या-ए.आई.सी.टी.ई. के नियमानुसार
- 5.2 पात्रता— बी.फॉर्मेसी के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु न्यूनतम् योग्यता 10+2 छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी ऐजूकेशन से उत्तीर्ण या अन्य कोई समकक्ष परीक्षा, भौतिकी, रसायन,गणित अथवा जीव विज्ञान विषयों के साथ या विश्वविद्यालयीन परीक्षा जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समकक्ष मान्यता प्रदान की गयी हो।
 - बी.फॉर्मेसी द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश हेतु आवश्यक है कि पी.सी.आई. से मान्यता प्राप्त संस्थान से डी. फॉर्मेसी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की गई हो।
 - अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम रोक दिया गया हो, वह भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं, किन्तु प्रवेश के समय तक अंकसूची का होना अनिवार्य है।

- 5.3 प्रवश प्राक्रया— प्रवश, अहकारा पराक्षा म प्राप्त अका का प्रावाण्ता क आधार पर एव राज्य शासन/केन्द्र शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी अन्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के प्रावधानों को प्रवेश के समय पालन किया जावेगा।
- 5.4 शुल्क— शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा या छत्तीसगढ़ शासन/ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा समय समय पर किये गये अनुशंसा अनुसार किया जावेगा।
- 6.0 माध्यम— शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।
- 7.0 शैक्षणिक सन्न- समान्यतः शैक्षणिक सन्न का प्रारंभ, सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर और सम सेमेस्टर जनवरी से जून प्रत्येक सन्न में होगा।
- 8.0 शिक्षण एवं परीक्षा की योजना— बी.फॉर्मा चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण एवं परीक्षा योजना सभी सेमेस्टर के लिए डॉ सी.वी. रामन विश्वविद्यालय के द्वारा जारी सूचना के आधार पर होगा।
- 9.0 परीक्षा एवं मूल्यांकनः
 - 9.1 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) डॉ सी.वी. रामन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जावेगी। सेमेस्टर की परीक्षा में सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा, परीक्षा योजना के तहत समाहित होगी।
 - 9.2 प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षा के सैद्धांतिक, आंतरिक एवं प्रायोगिक विषयों को मिलाकर कमशः 40% एवं 50% होगी।
 - 9.3 परीक्षा की अधिकतम समयावधि 25 कार्य दिवस से अधिक नहीं होगी।
 - 9.4 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा समय—सारणी परीक्षा प्रारंभ की तिथि से 15 दिवस पूर्व प्रसारित की जावेगी।
 - 9.5 तैयारी हेतु अवकाश परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु अवकाश प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा में लगभग 10 दिवस का अवकाश दिया जावेगा।
 - 9.6 कैरी ओवर : यदि छात्र किसी सेमेस्टर में किसी भी विषय सैद्धांतिक या प्रायोगिक विषय WH या FF ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में जाने की पात्रता होगी एवं सेमेस्टर परीक्षा में उसे केवल उन विषयों की परीक्षा (सैद्धान्तिक/प्रायोगिक) देनी होगी जिनमें उसे WH या FF ग्रेड मिला हो।

10.0 पाठयक्रम, क्रेडिट, मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग

10.1 पाठयक्रम— "पाठयक्रम" कार्यक्रम का एक घटक है, विश्वविद्यालय में संचालित प्रत्येक पाठयक्रम को विश्वविद्यालय द्वारा एक कोड प्रदान किया जाएगा। पाठयक्रम की रचना में सैद्धांतिक/ टिटोरियल/ प्रायोगिक/ सेमिनार/ परियोजना कार्य/ व्यवहारिक प्रशिक्षण/ प्रतिवेदन लेखन/ मौखिक परीक्षा आदि समाहित होंगे जो पढ़ने एवं पढ़ाने की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक होंगे, एवं इसी आधार पर क्रेडिट का निर्धारण किया जाएगा।

शक्षाणक भ्रमण-

बी फार्मेसी VI सेमेस्टर के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण दवा निर्माता संगठन का शैक्षणिक अध्ययन हेतु भ्रमण करना आवश्यक होगा, एवं भ्रमण पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थियों को संबंधित रिपोर्ट जमा करना आवश्यक होगा एवं शैक्षणिक भ्रमण के प्रभारी शिक्षक द्वारा अंक प्रदान किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण नहीं करता है तो उसे उत्तीर्ण होने हेतु कोई न्यूनतम अंक नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उसे शून्य अंक प्राप्त होगा। यद्पि, इसके उत्तीण करने के लिए न्यून्तम अंक नहीं होंगे।

परियोजना कार्य-

बी. फॉर्मेसी के प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट करना अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट कार्य फॉर्मेसी के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। विद्यार्थी ये प्रोजेक्ट शिक्षकों के मार्गदर्शन में रह कर करेगें। प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य से संबंधित सेमिनार में पेपर प्रस्तुत करना होगा। हर विद्यार्थी को अपने प्रोजेक्ट कार्य की रिपोर्ट की तीन प्रतियां जमा करनी होगी। प्रोजेक्ट कार्य के अंक प्रोजेक्ट पर्यवेक्षक एवं एक वाह्य परीक्षक द्वारा प्रदाय किय जायेंगे।

प्रोफेशनल प्रशिक्षण-

VI सेमेस्टर के परीक्षा के उपरांत विद्यार्थियों को कम से कम चार सप्ताह के लिए प्रोफशनल प्रशिक्षण हेतु किसी इंडस्ट्री / हॉस्पिटल फॉर्मेसी / सामुदायिक फॉर्मेसी / फॉर्मेसी आर एण्ड डी यूनिट से करना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की रिपोर्ट प्रत्येक विद्यार्थी को तीन प्रतियों में जमा करनी होगी, जो कि संबंधित संगठन जहां से प्रशिक्षण लिया गया है, से प्रमाणित की गई हो।

औद्योगिक प्रशिक्षण पर आधारित मौखिक परीक्षा हेतु गठित परीक्षा मंण्डल द्वारा ली जायेगी जिसमें निम्न शामिल होंगे —

- अध्यक्ष- संस्थान प्रमुख/प्राचार्य
- 2. बाह्य परीक्षक
- आंतरिक परीक्षक मौखिक परीक्षा के अंक परीक्षा मंण्डल द्वारा प्रदाय किये जायेंगे।
- 10.2 क्रेडिट : केंडिट की गणना संपूर्ण पाठयक्रम के आधार पर की जावेगी जिसमें प्रति सप्ताह में घण्टे के अनुसार व्याख्यान का निर्धारण क्रेडिट द्वारा किया जावेगा।
 - 1 क्रेडिट प्रित सप्ताह 1 घण्टे के व्याख्यान (1 क्रेडिट पाठयक्रम = 1 सेमेस्टर में 15 घण्टों का व्याख्यान)

3 क्रेडिट - प्रति सप्ताह में 3 घण्टे का व्याख्यान (3 क्रेडिट पाठयक्रम = प्रति सेमेस्टर में 45 घण्टों का व्याख्यान)

निर्देश का स्वरूप व्याख्यान/टिटोरियल/प्रायोगिक कार्य/फील्ड वर्क या अन्य किसी स्वरूप में होगा। प्रायोगिक कार्य या बाह्य कार्य क्षेत्र (ट्रेनिंग) का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि यहाँ किया जाने वाला 2 घण्टे का कार्य, 1 घण्टे के व्याख्यान के बराबर होगा।

10.3 आंकलन और मूल्यांकन मूल्यांकन प्रणाली निम्न दो घटकों में संपन्न होगी यथा आंतरिक मूल्यांकन एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा। सभा व्यवहारिक पाठ्यक्रम का मूल्याकन आतारिक एव बाह्य हागा। आतारिक आकलन निम्न आधार पर किया जाएगा :

सैद्धांतिक - व्यक्तिगत / सामृहिक कार्य, प्रस्तुतिकरण।

व्यवहारिक — व्यक्तिगत एवं सामूहिक रिपोर्ट का अनुसंधान पी.सी.आई. के दिशा निर्देश अनुसार किया जाएगा।

आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में शिकायतों के समधान हेतु एक प्रावधान होगा एवं किसी प्रकार का पक्षपात न हो।

ग्रेडिंग प्रणाली -

पूर्ण ग्रेंडिंग प्रणाली लागू की जावेगी। विद्यार्थी को प्रत्येक विषय सैद्धान्तिक या वैवहारिक आंतरिक मूल्यांकन एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अधार पर उनके प्रदर्शन के अनुसार "लेटर ग्रेड" दिया जाएगा। इन ग्रेडस का निर्धारण "लेटर ग्रेड" किसी लेटर द्वारा प्रदर्शित होगें। अभ्यार्थी के प्रदर्शन अनुसार उनका संपूर्ण मूल्यांकन अंक संख्या, "ग्रेड पाइंट" के अनुसार होगा। ग्रेड पाईंट का निर्धारण इस प्रकार होगा। के का आशय पूर्ण पाठ्यक्म की सफलता से है या पाठ्यक्म से संबंधित केंडिट के अर्जन से है जबकि लेटर ग्रेड C या पाठ्यक्म में सराहनीय अर्जन से है

ग्रेड का आकलन सभी सैद्धांतिक एंव प्रायोगिक विषयों के लिए अलग-अलग किया जावेगा।

10.4 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली सैद्धातिक एंव प्रायोगिक विषयों के लिए स्वीकृत की गई पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का विवरण इस प्रकार है—

ग्रेड	सैद्धांतिक	प्रायोगिक
A+	85≤ अंक ≤ 100%	90≤ अंक ≤ 100%
A	75≤ अंक < 85%	82≤ अंक < 90%
B+	65≤ अंक < 75%	74≤ अंक < 82%
В	55≤ अंक < 65%	66≤ अंक < 74%
C+	45≤ अंक < 55%	58≤ अंक < 66%
C	40≤ अंक < 45%	50≤ अंक < 58%
F	0≤ अंक < 40%	0≤ अंक < 50%

इस प्रकार यह लेटर ग्रेड A+, A, B+, B, C+, C और F समस्त विषयों के लिए परीक्षक को मूल्यांकन हेतु उपलब्ध होगा।

10.5 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक [SPI]

ith सेमेस्टर में छात्र का प्रदर्शन एसपीआई द्वारा इंगित किया गया है जो कि छात्र द्वारा प्राप्त किये गये पाठ्यक्म के औसत भारित ग्रेड प्वाईट प्राप्ति से संबंधित है। प्रत्येक सेमेस्टर के छात्रों का प्रदर्शन छात्र द्वारा उस सेमेस्टर में प्राप्त ग्रेड पांइट का औसत होगा जो कि निम्नानुसार है—

$$[SPI]_{i} = \frac{[C_{1}G_{1} + C_{2}G_{2} + \cdots \dots]_{i}}{[C_{1} + C_{2} + \cdots \dots]_{i}} = \frac{[\Sigma CG]_{i}}{[\Sigma C]_{i}} = \frac{N_{i}}{D_{i}}$$

जहां C एवं G क्रमशः क्रेडिट एवं ग्रेड है।

SPI की गणना दशमलव के दो स्थानों तक की जावेगी, SPI की गणना केवल तभी की जाएगी जब छात्र ने किसी भी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में F ग्रेड प्राप्त न किया हो।

10.6 संचयी प्रदर्शन सूचकांक -

यह किसी भी छात्र के प्रवेश से लेकर सभी सेमेस्टर में प्राप्त ग्रेड पाइंट का 100% भारित औसत होगा। i^{th} में CPI की गणना निम्नानुसार की जायेगी होगी—

$$[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_i}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_i}$$

यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश ले या किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गया हो तो पुनः प्रयास में संबंधित विषय में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही ग्रेड पाइंट की गणना CPI में की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में प्राप्त SPI की अनुसार CPI की गणना होगी, इस प्रकार SPI के अनुसार CPI परिवर्तित होगा, इसलिए आवश्यक है कि छात्र को SPI एवं CPI की गणना ज्ञात हो।

11. श्रेणी का निर्घारण-

श्रेणी का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा।

(i) प्रथम श्रेणी - 60% और ऊपर

(ii) द्वितीय श्रेणी - 50% से ऊपर किन्तु 60% से कम

(iii) तृतीय श्रेणी – 40% से ऊपर किन्तु 50% से कम 40% से कम अनुत्तीर्ण होंगे।

प्रत्येक सैद्धांतिक विषय में कम से कम 40% एवं प्रायोगिक विषय में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

12.0 पुनर्गणना -

12.1 कोई भी छात्र जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठा हो, वह किसी भी एक या दो सैद्धातिक विषय में पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकृता है।

12.2 आवेदक को परिणामों की घोषणा होने के 15 दिन के अंदर ही निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। 12.3 उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना की प्रक्रिया में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा, यह केवल प्रत्येक उत्तर के लिए मिलें अंकों की पुनर्गणना होगी, यह देखने के लिए कि गणना के समय कोई त्रुटि तो नहीं हुई।

13.0 पुनमूल्याकन-

- 13.1 छात्र किसी भी दो सैद्धांतिक विषयों में सिर्फ मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका हेतु पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेब्रन कर सकते है।
- 13.2 आवेदक को परीक्षा परिणामों की घोषणा होने के 15 दिन के अंदर आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 13.3 यदि पुनर्मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो निश्चित सुधार के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इसकी सूचना दी जावेगी, अन्य परिस्थितियों में भी विश्वविद्यालय छात्र को पुनर्मुल्यांकन के परिणामों की जानकारी प्रदान करेगा।
- 13.4 प्रायोगिक के लिए पुनर्गणना अथवा पुर्नमुल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।

14.0 व्याख्या-

इस अध्यादेश से संबंधित किसी भी प्रकार के संदेह, विवाद अस्पष्टता पर कुलपति का निर्णय अंतिम होगा एवं यह छात्र/अभार्थी/संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

किसी विवाद की इिथति में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में मामले का निवारण किया जाएगा।

डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय

करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) अध्यादेश क्रमांक—126 फॉर्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्मेसी)

2 वर्षीय पाठ्यक्रम

1.0 सामान्य-

फॉर्मेसी में स्नातक डी. फॉर्मा दो वर्षीय पाठयक्रम है, जिसका उद्देश्य फॉर्मेसी एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल शिक्षा प्रदान करना है। इस पाठ्यक्रम की रचना पी.सी.आई. के दिशानिर्देश एवं विनियमों के तहत की जावेगी।

- 2.0 शीर्षक फॉर्मेसी में डिप्लोमा (डी.फॉर्मा)
- 3.0 **संकाय -** फॉर्मेंसी संकाय
- 4.0 समयावधि, कार्यदिवस एवं उपस्थिति
 - 4.1 समयाविद्यः— डी. फॉर्मा पाठ्यक्रम दो वर्षीय (4 सेमेस्ट्रर) का है। पाठ्यक्रम का संचालन पी.सी.आई. के निथमों के अनुरूप होगा। विद्यार्थी को अपना पाठयक्रम पूर्ण करने के लिए उनके प्रवेश की तिथि से आरंभ होकर अधिकतम समय 3 वर्ष की होगी/पी.सी.आई. के द्वारा समय समय पर जारी मानदंडों के अनुसार।
 - 4.2 कार्य दिवस— पी.सी.आई. के द्वारा समय समय पर ज़ारी मानदंडों के अनुसार।
 उपस्थिति छात्र की उपस्थिति पी.सी.आई. एवं विश्वविद्यालय के द्वारा समय समय पर जारी मानदंडों के अनुसार। नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम् 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।
- 5.0 प्रवेश, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क
 - 5.1 प्रवेश संख्या— ए.आई.सी.टी.ई. के नियमानुसार
 - पात्रता डी.फॉर्मा के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम् योग्यता विज्ञान में इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा विज्ञान के किसी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण अथवा अन्य कोई समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन अथवा जीव विज्ञान विषयों के साथ विश्वविद्यालयीन परीक्षा जिसे शासन द्वारा समकक्ष मान्यता प्रदान की गयी हो या विज्ञान में 10+2 माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण या फार्मेसी कांउसिल ऑफ इन्डिया द्वारा अनुमोदित किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण।
 - अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम रोक दिया गद्मा हो, वह भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है, किन्तु प्रवेश के समय तक अंकसूची का होना अनिवार्य है।
 - 5.2 प्रवेश प्रक्रिया— प्रवेश, अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रावीण्ता के आधार पर एवं राज्य शासन/केन्द्र शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी अन्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के प्रावधानों को प्रवेश के समय पालन किया जावेगा।

- 5.4 शुल्क- शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा या छत्तीसगढ़ शासन/ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनयामक आयोग द्वारा समय पर किये गये अनुशंसा अनुसार किया जावेगा।
- 6.0 माध्यम—शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।
- 7.0 शैक्षणिक सन्न- समान्यतः शैक्षणिक सन्न का प्रारंभ, सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर और सम सेमेस्टर जनवरी से जून प्रत्येक सन्न में होगा।
- 8.0 शिक्षण एवं परीक्षा की योजना— डी.फॉर्मा दो वर्षीय कार्यक्रम के विभिन्न सेमेस्टरों के लिए शिक्षण एवं परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के साथ डॉ सी.वी. रामन विश्वविद्यालय के द्वारा जारी सूचना के आधार पर होगा।

9.0 परीक्षा एवं मूल्यांकन।

- 9.1 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) डॉ सी.वी. रामन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जावेगी। सेमेस्टर की परीक्षा में सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा, परीक्षा योजना के तहत समाहित होगी।
- 9.2 प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षा के सैद्धांतिक, आंतरिक एवं प्रायोगिक विषयों को मिलाकर कमशः 40% एवं 50% होगी।
- 9.3 परीक्षा की अधिकतम समयावधि 25 कार्य दिवस से अधिक नहीं होगी।
- 9.4 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा समय—सारणी परीक्षा प्रारंभ की तिथि से 15 दिवस पूर्व प्रसारित की जावेगी।
- 9.5 तैयारी हेतु अवकाश— परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु अवकाश प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा में लगभग 10 दिवस का अवकाश दिया जावेगा।
- 9.6 कैरी ओवर : यदि छात्र किसी सेमेस्टर में किसी भी विषय सैद्धांतिक या प्रायोगिक विषय WH या FF ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में जाने की पात्रता होगी एवं सेमेस्टर परीक्षा में उसे केवल उन विषयों की परीक्षा (सैद्धान्तिक/प्रायोगिक) देनी होगी जिनमें उसे WH या FF ग्रेड मिला हो।

10.0 पाठयक्रम, क्रेडिट, मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग

10.1 पाठ्यक्रम— "पाठयक्रम" कार्यक्रम का एक घटक है, विश्वविद्यालय में संचालित प्रत्येक पाठयक्रम को विश्वविद्यालय द्वारा एक कोड प्रदान किया जाएगा। पाठयक्रम की रचना में सैद्धांतिक/ टिटोरियल/ प्रायोगिक/ सेमिनार/ परियोजना कार्य/ व्यवहारिक प्रशिक्षण/ प्रतिवेदन लेखन/ मौखिक परीक्षा आदि समाहित होंगे जो पढ़ने एवं पढ़ाने की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक होंगे, एवं इसी आधार पर क्रेडिट का निर्धारण किया जाएगा।

शैक्षणिक भ्रमण-

डी.फार्मेसी IV सेमेस्टर के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण दवा निर्माता संगठन का शैक्षणिक अध्ययन हेतु भ्रमण करना आवश्यक होगा, एवं भ्रमण पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थियों को संबंधित रिपोर्ट जमा करना आवश्यक होगा एवं शैक्षणिक भ्रमण के प्रभारी शिक्षक द्वारा अंक प्रदान किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण नहीं करता है तो उसे उत्तीर्ण होने हेतु कोई न्यूनतम अंक नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उसे शून्य अंक भ्राप्त होगा। यद्पि, इसके उर्त्तीण करने के लिए न्यून्तम अंक नहीं होंगे।

परियोजना कार्य-

डी. फ़ाँमां के प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट करना अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट कार्य फाँमेंसी के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। विद्यार्थी ये प्रोजेक्ट शिक्षकों के मार्गदर्शन में रह कर करेगें। प्रत्येक विद्यार्की को परियोजना कार्य से संबंधित सेमीनार में पेपर प्रस्तुत करना होगा। हर विद्यार्थी को अपने प्रोजेक्ट कार्य की दिपोर्ट की तीन प्रतियां जमा करनी होगी। प्रोजेक्ट कार्य के अंक प्रोजेक्ट पर्यवेक्षक एवं एक वाह्य परीक्षक द्वारा प्रदाय किय जायेंगे।

प्रोफेशनल प्रशिक्षण-

II सेमेस्टर के परीक्षा के उपरांत विद्यार्थियों को कम से कम चार सप्ताह के लिए प्रोफशनल प्रशिक्षण हेतु किसी इंडस्टी / हॉस्पिटल फॉर्मेसी / सामुदायिक फॉर्मेसी / फॉर्मेसी आर एण्ड डी यूनिट से करना आवश्यक होगा।

परीक्षा के उपरांत विद्यार्थियों को कम से कम चार सप्ताह के लिए प्रोफशनल प्रशिक्षण हेतु किसी इंडस्टी/हॉस्पिटल फॉर्मेसी/सामुदायिक फॉर्मेसी/ फॉर्मेसी आर एण्ड डी यूनिट से करना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की रिपोर्ट प्रत्येक विद्यार्थी को तीन प्रतियों में जमा करनी होगी, जो कि संबंधित संगठन जहां से प्रशिक्षण लिया गया है, से प्रमाणित की गई हो।

औद्योगिक प्रशिक्षण पर आधारित मौखिक परीक्षा हेतु गठित परीक्षा मंण्डल द्वारा ली जायेगी जिसमें निम्न शामिल होंगे —

- अध्यक्ष- संस्थान प्रमुख / प्राचार्य
- 2. बाह्य परीक्षक
- आंतरिक परीक्षक मौखिक परीक्षा के अंक परीक्षा मंण्डल द्वारा प्रदाय किये जायेंगे।
- 10.2 क्रेडिट : क्रेडिट की गणना संपूर्ण पाठयक्रम के आधार पर की जावेगी जिसमें प्रति सप्ताह में घण्टे के अनुसार व्याख्यान का निर्धारण क्रेडिट द्वारा किया जावेगा।
 - 1 क्रेडिट- प्रति सप्ताह 1 घण्टे के व्याख्यान (1 क्रेडिट पाठयक्रम = 1 सेमेस्टर में 15 घण्टों का व्याख्यान)
 - 3 क्रेडिट प्रति सप्ताह में 3 घण्टे का व्याख्यान (3 क्रेडिट पाठयक्रम = प्रति सेमेस्टर में 45 घण्टों का व्याख्यान)

निर्देश का स्वरूप व्याख्यान / टिटोरियल / प्रायोगिक कार्य / फील्ड वर्क या अन्य किसी स्वरूप में होगा। प्रायोगिक कार्य या बाह्य कार्य क्षेत्र (ट्रेनिंग) का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि यहाँ किया जाने वाला 2 घण्टे का कार्य, 1 घण्टे के व्याख्यान के बराबर होगा।

10.3 आंकलन और मूल्यांकन

मूल्यांकन प्रणाली निम्न दो घटकों में संपन्न होगी यथा आंतरिक मूल्यांकन एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा। सभी व्यवहारिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य होगा। आंतरिक आंकलन निम्न आधार पर किया जाएगा:

सैद्धांतिक - व्यक्तिगत / सामूहिक कार्य, प्रस्तुतिकरण।

व्यवहारिक व्यक्तिगत एवं सामूहिक रिपोर्ट का अनुसंधान पी.सी.आई. के दिशा निर्देश अनुसार किया जाएगा।

आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में शिकायतों के समधान हेतु एक प्रावधान होगा एवं किसी प्रकार का पक्षपात न हो।

ग्रेडिंग प्रणाली -

पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जावेगी। विद्यार्थी को प्रत्येक विषय सैद्धान्तिक या वैवहारिक आंतरिक मूल्यांकन एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अधार पर उनके प्रवर्शन के अनुसार "लेटर ग्रेड" दिया जाएगा। इन ग्रेडस का निर्धारण "लेटर ग्रेड" किसी लेटर द्वारा प्रदर्शित होगें। अभ्यार्थी के प्रदर्शन अनुसार उनका संपूर्ण मूल्यांकन अंक संख्या, "ग्रेड पाइंट" के अनुसार होगा। ग्रेड पाईंट का निर्धारण इस प्रकार होगा। के का आशय पूर्ण पाठ्यक्म की सफलता से है या पाठ्यक्म से संबंधित केडिट के अर्जन से है जबकि लेटर ग्रेड C या पाठ्यक्म में सराहनीय अर्जन से है

लेटर ग्रेड (LG): A+ A B+ B C+ C F ग्रेड पाईट (GP): 10 09 08 07 06 05 0

ग्रेड का आकलन सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों के लिए अलग-अलग किया जावेगा।

10.4 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली

सैद्धातिंक एंव प्रायोगिक विषयों के लिए स्वीकृत की गई पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का विवरण इस प्रकार है-

ग्रेड	सैद्धांतिक	प्रायोगिक
A+	90 <u><</u> Marks <u><</u> 100%,	90 <u><</u> Marks <u><</u> 100%,
A	80 <u><</u> Marks <90%,	82 <u><</u> Marks <90%,
B+	70 <marks <80%,<="" td=""><td>74<u><</u>Marks <82%,</td></marks>	74 <u><</u> Marks <82%,
В	60 <u><</u> Marks < 70%,	66 <u><</u> Marks <74%,
C+	50 <marks <60%,<="" td=""><td>58<u><</u>Marks <66%,</td></marks>	58 <u><</u> Marks <66%,
С	40 <marks <50%,<="" td=""><td>50<u><</u>Marks <58%,</td></marks>	50 <u><</u> Marks <58%,
F	0 <marks <40%,<="" td=""><td>0<marks <50%,<="" td=""></marks></td></marks>	0 <marks <50%,<="" td=""></marks>

इस प्रकार यह लेटर ग्रेड A+, A, B+, B, C+, C और F समस्त विषयों के लिए परीक्षक को मूल्यांकन हेतु उपलब्ध होगा। 10.5 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक [SPI]

गंभ सेमेस्टर में छात्र का प्रदर्शन एसपीआई द्वारा इंगित किया गया है जो कि छात्र द्वारा प्राप्त किये गये पाठ्यक्म के औसत भारित ग्रेड प्वाईंट प्राप्ति से संबंधित है। प्रत्येक सेमेस्टर के छात्रों का प्रदर्शन छात्र द्वारा उस सेमेस्टर में प्राप्त ग्रेड पांइट का औसत होगा जो कि निम्नानुसार है—

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

जहां C एवं G क्रमशः क्रेडिट एवं ग्रेड है।

SPI की गणना दशमलव के दो स्थानों तक की जावेगी, SPI की गणना केवल तभी की जाएगी जब छात्र ने किसी भी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में F ग्रेड प्राप्त न किया हो।

10.6 संचयी प्रदर्शन सूचकांक -

यह किसी भी छात्र के प्रवेश से लेकर सभी सेमेस्टर में प्राप्त ग्रेड पाइंट का 100% भारित औसत होगा। ith में CPI की गणना निम्नानुसार की जायेगी होगी—

$$[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_i}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_i}$$

यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश ले या किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गया हो तो पुनः प्रयास में संबंधित विषय में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही ग्रेड पाइंट की गणना CPI में की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में प्राप्त SPI की अनुसार CPI की गणना होगी, इस प्रकार SPI के अनुसार CPI परिवर्तित होगा, इसलिए आवश्यक है कि छात्र को SPI एवं CPI की गणना ज्ञात हो।

11. श्रेणी का निर्धारण-

श्रेणी का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा।

(i) प्रथम श्रेणी – 60% और ऊपर

(ii) द्वितीय श्रेणी – 50% से ऊपर किन्तु 60% से कम

(iii) तृतीय श्रेणी – 40% से ऊपर किन्तु 50% से कम 40% से कम अनुत्तीर्ण होंगे।

प्रत्येक सैद्धांतिक विषय में कम से कम 40% एवं प्रायोगिक विषय में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य-है।

12.0 पुनर्गणना -

- 12.1 कोई भी छात्र जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठा हो, वह किसी भी एक या दो सैद्धातिंक विषय में पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता है।
- 12.2 आवेदक को परिणामों की घोषणा होने के 15 दिन के अंदर ही निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित शुक्क के साथ आवेदन करना अनिवार्य है।
- 12.3 उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना की प्रक्रिया में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा, यह केवल प्रत्येक उत्तर के लिए मिलें अंकों की पुनर्गणना होगी, यह देखने के लिए कि गणना के समय कोई त्रुटि तो नहीं हुई।

13.0 पुनर्मूल्यांकन-

- 13.1 छात्र किसी भी दो सैद्धांतिक विषयों में सिर्फ मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका हेतु पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते है।
- 13.2 आवेदक को परीक्षा परिणामों की घोषणा होने के 15 दिन के अंदर आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 13.3 यदि पुनर्मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो निश्चित सुधार के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इसकी सूचना दी जावेगी, अन्य परिस्थितियों में भी विश्वविद्यालय छात्र को पुनर्मुल्यांकन के परिणामों की जानकारी प्रदान करेगा।
- 13.4 प्रायोगिक के लिए पुनर्गणना अथवा पुर्नमुल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।

14.0 व्याख्या-

इस अध्यादेश से संबंधित किसी भी प्रकार के संदेह, विवाद अस्पष्टता पर कुलपति का निर्णय अंतिम होगा एवं यह छात्र / अभ्यर्थी / संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

किसी विवाद की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में मामले का निवारण किया जाएगा।

)

डॉ. सी. वी. रामन विश्वविद्यालय

करगी रोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक-127

दो वर्षीय स्नातकोत्तर फॅर्मेसी (एम.फॅर्ग्म)

पाठ्यक्रम 2 वर्षीय पाठ्यक्रम

1.0 सामान्य -

गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल शिक्षा प्रदान करना है। इस पाठ्यक्रम की रचना पी.सी.आई. के दिशानिर्देश एवं फॉर्मेसी में स्नातकोत्तर एम. फॉर्मा दो वर्षीय पाठयक्रम है, जिसका उद्देश्य फॉर्मेसी एवं चिकित्सा विज्ञान के के तहत की जावेगी। विनियमो क्षेत्र मे

- 2.0 शीर्षक फॉर्मेसी में स्नातकोत्तर (एम. फॉर्मा)
- 3.0 संकाय- फॉर्मेसी संकाय
- 4.0 समयावधि, कार्य दिवस एवं उपस्थिति
- आई. के नियमों के अनुरूप होगा। विद्यार्थी को अपना पाठयक्रम पूर्ण करने के लिए उनके प्रवेश की तिथि से आरंभ होकर अधिकतम समय 3 वर्ष की होगी/पी.सी.आई. के द्वारा समय समय पर समयावधि एम. फॉर्मा पाठ्यक्रम दो वर्षीय (४ सेमेस्टर) का है। पाठ्यक्रम का संचालन पी.सी. जारी मानदंडों के अनुसार। 4.1
- कार्य दिवस- पी.सी.आई. के द्वारा समय समय पर जारी मानदंडों के अनुसार। 4.2
- मानदंडों के अनुसार। नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम् 75 प्रतिशत उपरिथति – छात्र की उपरिथति पी.सी.आई. एवं विश्वविद्यालय के द्वारा समय समय पर जारी उपस्थिति आवश्यक होगी। 4.3

5.0 प्रवेश, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क

5.1 प्रवेश संख्या-ए.आई.सी.टी.ई. के नियमानुसार

पात्रता-

- एम.फॉर्मा के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु न्यूनतम् योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं पी.सी.आई. से मान्यता प्राप्त किसी भी मारतीय संस्थान द्वारा बी.फॉर्मेसी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ उपाधि प्राप्त की हो। (बी. फॉर्मा के चार वर्षीय पाठ्यक्रम में पूर्ण प्राप्तांक का प्रतिशत) A
- के विद्यार्थी जो पी.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के लिए चयनित हुआ है, के पास प्रवेश के समय तक प्रवेश के एक मिडिने के अंदर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तक राज्य प्रत्येक एम.फॉर्मेसी A

- आवेदनकर्ता को संबंधित संस्थान जहां से उसने बी.फॉर्मेसी की उपाधि प्राप्त की है, से प्राप्त प्रवजन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। आवेदन कर्ता जिनका परीक्षा परिणाम रोक दिया गया हो, वह भी आवेदन कर सकेंगें, किन्तु प्रवेश के समय तक अंकसूची का होना अनिवार्य है।
- 5.2 प्रवेश प्रक्रिया— प्रवेश, अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रावीण्ता के आधार पर एवं राज्य शासन/केन्द्र शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी अन्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका के प्रावधानों को प्रवेश के समय पालन किया जावेगा।
- 5.4 शुल्क— शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा या छत्तीसगढ़ शासन/ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा समय समय पर किये गये अनुशंसा अनुसार किया जावेगा।
- 6.0 माध्यम शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।
- 7.0 शैक्षणिक सन्न— समान्यतः शैक्षणिक सन्न का प्रारंभ, सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर और सम सेमेस्टर जनवरी से जून प्रत्येक सन्न में होगा।
- 8.0 शिक्षण एवं परीक्षा की योजना— एम.फॉर्मा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण एवं परीक्षा योजना सभी सेमेस्टर के लिए डॉ सी.वी. रामन विश्वविद्यालय के द्वारा जारी सूचना के आधार पर होगा।
- 9.0 परीक्षा एवं मूल्यांकनः
 - 9.1 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा (ई.एस.ई.) डॉ सी.वी. रामन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जावेगी। सेमेस्टर की परीक्षा में सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा, परीक्षा योजना के तहत समाहित होगी।
 - 9.2 प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षा के सैद्धांतिक, आंतरिक एवं प्रायोगिक विषयों को मिलाकर कमशः 40% एवं 50% होगी।
 - 9.3 परीक्षा की अधिकतम समयावधि 25 कार्य दिवस से अधिक नहीं होगी।
 - 9.4 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा समय-सारणी परीक्षा प्रारंभ की तिथि से 15 दिवस पूर्व प्रसारित की जावेगी।
 - 9.5 तैयारी हेतु अवकाश परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु अवकाश प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा में लगभग 10 दिवस का अवकाश दिया जावेगा।
 - 9.6 कैरी ओवर : यदि छात्र किसी सेमेस्टर में किसी भी विषय सैद्धांतिक या प्रायोगिक विषय WH या FF ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे अगले सेमेस्टर में जाने की पात्रता होगी एवं सेमेस्टर परीक्षा में उसे केवल उन विषयों की परीक्षा (सैद्धान्तिक/प्रायोगिक) देनी होगी जिनमें उसे WH या FF ग्रेड मिला हो।

- 10.0 पाठयक्रम, क्रांडट, मूल्याकन एव ग्रांडग
- 10.1 पाठयक्रम— "पाठयक्रम" कार्यक्रम का एक घटक है, विश्वविद्यालय में संचालित प्रत्येक पाठयक्रम को विश्वविद्यालय द्वारा एक कोड प्रदान किया जाएगा। पाठयक्रम की रचना में सैद्धांतिक / टिटोरियल / प्रायोगिक / सेमिनार / परियोजना कार्य / व्यवहारिक प्रशिक्षण / प्रतिवेदन लेखन / मौखिक परीक्षा आदि समाहित होंगे जो पढ़ने एवं पढ़ाने की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक होंगे, एवं इसी आधार पर केडिट का निर्धारण किया जाएगा।

शैक्षणिक भ्रमण--

एम.फॉर्मा IV सेमेस्टर के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण दवा निर्माता संगठन का शैक्षणिक अध्ययन हेतु भ्रमण करना आवश्यक होगा, एवं भ्रमण पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थियों को संबंधित रिपोर्ट जमा करना आवश्यक होगा एवं शैक्षणिक भ्रमण के प्रभारी शिक्षक द्वारा अंक प्रदान किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण नहीं करता है तो उसे उत्तीर्ण होने हेतु कोई न्यूनतम अंक नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उसे शून्य अंक प्राप्त होगा। यदि, इसके उत्तीण करने के लिए न्यून्तम अंक नहीं होंगे।

परियोजना कार्य-

एम. फॉर्मा के प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट करना अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट कार्य फॉर्मेसी के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। विद्यार्थी ये प्रोजेक्ट शिक्षकों के मार्गदर्शन में रह कर करेगें। प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य से संबंधित सेमीनार में पेपर प्रस्तुत करना होगा। हर विद्यार्थी को अपने प्रोजेक्ट कार्य की रिपोर्ट की तीन प्रतियां जमा करनी होगी। प्रोजेक्ट कार्य के अंक प्रोजेक्ट पर्यवेक्षक एवं एक वाह्य परीक्षक द्वारा प्रदाय किय जायेंगे।

प्रोफेशनल प्रशिक्षण-

II सेमेस्टर के परीक्षा के उपरांत विद्यार्थियों को कम से कम चार सप्ताह के लिए प्रोफशनल प्रशिक्षण हेतु किसी इंडस्ट्री / हॉस्पिटल फॉर्मेसी / सामुदायिक फॉर्मेसी / फॉर्मेसी आर एण्ड डी यूनिट से करना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की रिपोर्ट प्रत्येक विद्यार्थी को तीन प्रतियों में जमा करनी होगी, जो कि संबंधित संगठन जहां से प्रशिक्षण लिया गया है, से प्रमाणित की गई हो।

औद्योगिक प्रशिक्षण पर आधारित मौखिक परीक्षा हेतु गठित परीक्षा मंण्डल द्वारा ली जायेगी जिसमें निम्न शामिल होंगे —

- अध्यक्ष

 संस्थान प्रमुख/प्राचार्य
- 2. बाह्य परीक्षक
- आंतरिक परीक्षक मौखिक परीक्षा के अंक परीक्षा मंण्डल द्वारा प्रदाय किये जायेंगे।
- 10.2 क्रेडिट : केडिट की गणना संपूर्ण पाठयक्रम के आधार पर की जावेगी जिसमें प्रति सप्ताह में घण्टे के अनुसार व्याख्यान का निर्धारण क्रेडिट द्वारा किया जावेगा।
 - 1 क्रेडिट- प्रति सप्ताह 1 घण्टे के व्याख्यान (1 क्रेडिट पाठयक्रम = 1 सेमेस्टर में 15 घण्टों का व्याख्यान)
 - 3 क्रेडिट प्रति सप्ताह में 3 घण्टे का व्याख्यान (3 क्रेडिट पाठयक्रम = प्रति सेमेस्टर में 45 घण्टों का व्याख्यान)

ानदश का स्वरूप व्याख्यान/ाटटाारयल/प्रायाागक काथ/फाल्ड वक या अन्य ाकसा स्वरूप म हागा। प्रायोगिक कार्य या बाह्य कार्य क्षेत्र (ट्रेनिंग) का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि यहाँ किया जाने वाला 2 घण्टे का कार्य, 1 घण्टे के व्याख्यान के बराबर होगा।

10.3 आंकलन और मूल्यांकन

मूल्यांकन प्रणाली निम्न दो घटकों में संपन्न होगी यथा आंतरिक मूल्यांकन एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा। सभी व्यवहारिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य होगा। आंतरिक आंकलन निम्न आधार पर किया जाएगा:

सैद्धांतिक - व्यक्तिगत / सामृहिक कार्य, प्रस्तुतिकरण।

व्यवहारिक — व्यक्तिगत एवं सामूहिक रिपोर्ट का अनुसंधान पी.सी.आई. के दिशा निर्देश अनुसार किया जाएगा।

आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में शिकायतों के समधान हेतु एक प्रावधान होगा एवं किसी प्रकार का पक्षपात न हो।

ग्रेडिंग प्रणाली -

पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जावेगी। विद्यार्थी को प्रत्येक विषय सैद्धान्तिक या वैवहारिक आंतरिक मूल्यांकन एवं अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अधार पर उनके प्रदर्शन के अनुसार "लेटर ग्रेड" दिया जाएगा। इन ग्रेडस का निर्धारण "लेटर ग्रेड" किसी लेटर द्वारा प्रदर्शित होगें। अभ्यार्थी के प्रदर्शन अनुसार उनका संपूर्ण मूल्यांकन अंक संख्या, "ग्रेड पाइंट" के अनुसार होगा। ग्रेड पाईंट का निर्धारण इस प्रकार होगा। के का आशय पूर्ण पाठ्यक्म की सफलता से है या पाठ्यक्म से संबंधित केडिट के अर्जन से है जबकि लेटर ग्रेड C या पाठ्यक्म में सराहनीय अर्जन से है

लेटर ग्रेड (LG): A+ A B+ B C+ C F ग्रेड पाईट (GP): 10 09 08 07 06 05 0

ग्रेड का आकलन सभी सैद्धांतिक एंव प्रायोगिक विषयों के लिए अलग-अलग किया जावेगा।

10.4 पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली

सैद्धातिक एवं प्रायोगिक विषयों के लिए स्वीकत की गई पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का विवरण इस प्रकार है-

ग्रेड	सैद्धांतिक	प्रायोगिक
A+	90≤ अंक ≤ 100%	90≤ अंक ≤ 100%
A	80≤ अंक < 90%	82≤ अंक < 90%
B+	70≤ अंक < 80%	74≤ अंक < 82%
В	60≤ अंक < 70%	66≤ अंक < 74%
C+	50≤ अंक < 60%	58≤ अंक < 66%
С	40≤ अंक < 50%	50≤ अंक < 58%
F	0≤ अंक < 40%	0≤ अंक < 50%

इस प्रकार यह लटर ग्रंड A+, A, B+, B, C+, C आर F समस्त विषया के लिए परक्षिक का मूल्याकन हतु उपलब्ध होगा।

10.5 सेमेस्टर प्रदर्शन सूचकांक [SPI]

ंभ सेमेस्टर में छात्र का प्रदर्शन एसपीआई द्वारा इंगित किया गया है जो कि छात्र द्वारा प्राप्त किये गये पाठ्यक्म के औसत भारित ग्रेड पाईट प्राप्ति से संबंधित है। प्रत्येक सेमेस्टर के छात्रों का प्रदर्शन छात्र द्वारा उस सेमेस्टर में प्राप्त ग्रेड पांइट का औसत होगा जो कि निम्नानुसार है—

$$[SPI]_{i} = \frac{[C_{1}G_{1} + C_{2}G_{2} + \cdots]_{i}}{[C_{1} + C_{2} + \cdots]_{i}} = \frac{[\Sigma CG]_{i}}{[\Sigma C]_{i}} = \frac{N_{i}}{D_{i}}$$

जहां C एवं G क्रमशः क्रेडिट एवं ग्रेड है। SPI की गणना दशमलव के दो स्थानों तक की जावेगी, SPI की गणना केवल तभी की जाएगी जब छात्र ने किसी भी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में F ग्रेड प्राप्त न किया हो।

संचयी प्रदर्शन सूचकांक (CPI) -

यह किसी भी छात्र के प्रवेश से लेकर सभी सेमेस्टर में प्राप्त ग्रेड पाइंट का 100% भारित औसत होगा। ith में CPI की गणना निम्नानुसार की जायेगी होगी—

$$[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{t \ge 1} N_i}{\sum_{i=1}^{t \ge 1} D_i}$$

यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश ले या किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गया हो तो पुनः प्रयास में संबंधित विषय में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही ग्रेड पाइंट की गणना CPI में की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में प्राप्त SPI की अनुसार CPI की गणना होगी, इस प्रकार SPI के अनुसार CPI परिवर्तित होगा, इसलिए आवश्यक है कि छात्र को SPI एवं CPI की गणना ज्ञात हो।

11. श्रेणी का निर्घारण-

श्रेणी का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा।

(i) प्रथम श्रेणी – 60% और ऊपर

(ii) द्वितीय श्रेणी – 50% से ऊपर किन्तु 60% से कम

(iii) तृतीय श्रेणी – 40% से ऊपर किन्तु 50% से कम 40% से कम अनुत्तीर्ण होंगे।

प्रत्येक सैद्धांतिक विषय में कम से कम 40% एवं प्रायोगिक विषय में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

12.0 पुनर्गणना -

- 12.1 कोई भी छात्र जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठा हो, वह किसी भी एक या दो सैद्धातिक विश्वय में पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता है।
- 12.2 आवेदक को परिणामों की घोषणा होने के 15 दिन के अंदर ही निर्धारित आवेदन पत्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना अनिवार्य है।
- 12.3 उत्तरपुरितका की पुनर्गणना की प्रक्रिया में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा, यह केवल प्रत्येक उत्तर के लिए मिलें अंकों की पुनर्गणना होगी, यह देखने के लिए कि गणना के समय कोई त्रुटि तो नहीं हुई।


13.0 पुनर्मूल्यांकन-

- 13.1 छात्र किसी भी दो सैद्धांतिक विषयों में सिर्फ मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका हेतु पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते है।
- 13.2 आवेदक को परीक्षा परिणामों की घोषणा होने के 15 दिन के अंदर आवेदन पत्र निर्घारित शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 13.3 यदि पुनर्मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो निश्चित सुधार के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इसकी सूचना दी जावेगी, अन्य परिस्थितियों में भी विश्वविद्यालय छात्र को पुनर्मुल्यांकन के परिणामों की जानकारी प्रदान करेगा।
- 13.4 प्रायोगिक के लिए पुनर्गणना अथवा पुर्नमुल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।

14.0 व्याख्या-

इस अध्यादेश से संबंधित किसी भी प्रकार के संदेह, विवाद अस्पष्टता पर कुलपति का निर्णय अंतिम होगा एवं यह छात्र/अभ्यर्थी/संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

किसी विवाद की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में मामले का निवारण किया जाएगा।



अटल नगर, दिनांक 1 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 3-1/2018/38-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-07-2020 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलरमेलमंगई डी., सचिव.

Atal Nagar, the 1st July 2020

NOTIFICATION

No. F 3-1/2018/38-2. — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 585/PU/S & O/2007/11437, Dated 26-12-2019 has approved the Subsequent Ordinances No. 112 to 117, 119 and amendment of Ordinance No. 15, 17, 18, 29, 30 and 32 and vide its Letter No. 585/PU/S & O/2007/11439, Dated 26-12-2019 has approved the Subsequent Ordinances No. 124 to 127 of Dr. C. V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

- The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.
- The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, ALARMELMANGAI D., Secretary.

Dr. C. V. Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

Ordinance No.112

Diploma Of Engineering

Dr. C. V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) awards first diploma in Engineering/ Technology based and other disciplines as approved by All India Council of Technical Education (AICTE), New Delhi of three-years (six-semester) duration, herein after called 3-Year Diploma Programme shall be designated as DIPLOMA in Respective discipline.

1.0 THREE YEAR DIPLOMA PROGRAMMES:

- 1.1 The programme shall include all existing branches in the faculty of engineering in the University.
- 1.2 The studies and examinations of these Diploma programmes shall be on the basis of Semester system.

2.0 RULES FOR ADMISSION:

- 2.1 The minimum qualification for admission to the FIRST-Semester of the Diploma Programmes in all branches existing in the University Shall be the passing of 10th class or higher examination under (10+2) education scheme with Science (Physics and Chemistry) and Mathematics as main subjects conducted by C.G. Board of Secondary Education or an equivalent examination from a recognized Board/University.
- 2.2 Candidates who have passed the 12th class with (Mathematics) or with the subject of Vocational/Technical from a recognized Board of Technical Education/University shall be eligible for admission to third semester of diploma program in engineering on lateral entry mode, subject to the approval of AICTE.
- 2.3 Candidates who have passed 10th class and ITI (with suitable technical trade) of two year course from any recognized board/ NCVT/SCVT, shall also be eligible for admission to the 3rd semester of Diploma in Engineering program on lateral entry mode.
- 2.4 The eligible candidates as specified in clause 2.1, 2.2 &2.3 above should secure place in the merit list of CG-PPT for admission for Diploma Programe in Engineering. In general the admission to diploma program in engineering shall be governed by the rules by Directorate of Technical Education of the state Government of Chhattisgarh. The University may also conduct its own entrance test for admission to the diploma program in engineering.
- 2.5 Seats: The basic unit will be that of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup.
- 2.6 Fees: The course fee shall be such as may be decided by the Board of Management of the University, [or as per recommendation of the fee fixation committee C.G. Govt. (time to time)]
- 2.7 Medium: The medium of instruction can be Hindi or English the subject will be tought in regular mode. Regular theory and practicals classes will conducted in which 75% attendance would be necessary.

- 2.8 Transfer Candidate: Transfer candidate from any other University/Institute shall be eligible for admission to Diploma Program provided the Board of studies of relevant branch approves it in consonance with AICTE norms.
- 3.0 Teaching Session: In general the teaching session of I, III & V (Odd Semesters) shall run concurrently during July to December and those of II, IV & VI (even Semesters) shall run concurrently during January to June each year.
 - 3.1 Duration of the Course: Diploma in Engineering course shall be of Min/Max. duration of 3/6 years.
 - 3.2 Scheme of Teaching: The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by the University for various branches of Diploma in engineering program.
 - 3.3 Attendance: Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75 % of the lecture & practical & tutorial classes held separately in each subject of the course of study. A deficiency up to 5% can be condoned by the Vice-Chancellor of the University on satisfactory reasons.
 - 3.4 Extra Ordinary Long Absence— If a student does not participate in the academic activities of the faculty of Engineering of this University for a period exceeding one year at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of Diploma in Engineering Program. Participation in academic activity shall be construed; Attending Lectures, Tutorials, Practical, Appearing in main or supplementary examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months.

EXAMINATIONS

- 4.1 There shall be University Examination at the end of each semester
- 4.2 These Examinations common to all branches, shall be named as follows:-
 - (a) FIRST YEAR
 - > First Semester Diploma Exam. (Discipline wise)
 - Second Semester Diploma Exam. (Discipline wise)
 - (b) SECOND YEAR
 - > Third Semester Diploma Exam. (Discipline wise)
 - Fourth Semester Diploma Exam. (Discipline wise)
 - (c) THIRD YEAR
 - Fifth Semester Diploma Exam. (Discipline wise)
 - > Sixth Semester Diploma Exam. (Discipline wise)
- 4.3 The semester examination will generally be held in Nov-Dec. and April-May in each year.

0000000000000

- 4.4 There will be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers and the laboratory practicals of all semesters.
- 4.5 In case of change in curriculum of Diploma programme, University shall conduct minimum two examinations in the previous curriculum and thereafter (if the need be) students shall have to appear in the equivalent courses of new and revised curriculum, however, University shall conduct examination of those courses of previous curriculum (old), which do not have equivalent courses in the revised curriculum.
- 5.0 PROMOTION TO HIGHER SEMESTER/CLASSES.
 - 5.1 A candidate may provisionally continue his/her studies in higher semester class after the examination of the semester he/she appeared is over.

6.0 PASSING EXAMINATIONS

6.1 BASIS OF MARKS

6.1.1 There shall be Class test (CT) and End Semester Examination (ESE) and Teacher's Assessment (TA) for each Theory paper and ESE and TA for each practical with the following distribution and passing standards.

	Name of Examination	Minimum Passing Marks in Percentages
2	Class Test Theory	NIL
L	Class Test Theory (Institution level)	
1	End-semester Exam	
1	Theory (University level)	35%
(Practical (University level)	50%
Γ	Teacher's Assignment	
ł		60%
l	Theory Practical	

- 6.1.2 For the evaluation of End Semester Exam in Practicals, one external examiner shall always be there from outside the College/Institution and one internal examiner from the College/Institution.
- 6.1.3 There will be at least two class tests in each theory subject in a semester. Teacher's assessment in each theory and/or practical will depend upon home assignments, quizzes, take home tests, viva-voce etc.

6.2 BASIS OF CREDITS

- 6.2.1 One period of contact in lecture (L) and two periods of contact in tutorial (T) or practical (P) will be equal to one credit. Thus, Credit = [L+(T+P)/2]
- 6.2.2 A candidate shall earn all the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

7.0 MERIT LISTS

- 7.1 Merit list of top 10 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each discipline from amongst the candidates who have passed in first attempt.
- 7.2 Branch wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the sixth and final semester for Diploma in Engineering and other discipline, on the basis of the integrated performance of all the three years. The merit list shall include the first ten candidates securing at least First Division and passing all

semesters in single attempts.

8.0 ASSESSMENT AND GRADING

8.1 MODE OF ASSESSMENT AND EVALUATION

Continuous evaluation system will be followed with three components as Class Test (CT), Teacher's Assessment (TA) and End Semester Exam (ESE). To make TA more objective one, this will depend upon attendance, home assignments, take home exam, closed and open book tests, group assignments, viva-voce, quizzes etc. Similarly, there will be two or three class tests in a semester the results of which will be shown to the class students along with test answer books under intimation to the University. However, ESE will have to be conducted by the college/institute through affiliating university. Weightings of CT, TA and ESE will be as given in the scheme of examination.

8.2 GRADING SYSTEM

Absolute grading system will be followed. In every subject, a candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., TA, CTs and ESE. These grades will be described by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A course is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C or better is obtained in the course.

Letter Grade (LG): A+	Α	B+	В	C+	C	F
Grade Point (GP): 10	9	8	7	6	5	0

Grades will be awarded for every subject taking into consideration marks obtained by the students in a particular subject. This will be done on the basis of absolute grading system of the type described below.

8.3 ABSOLUTE GRADING SYSTEM

The absolute grading system of the type explained below will be adopted.

Grades	THEORY	PRACTICAL
A+	$85 \le Marks \le 100\%$	$90 \leq Marks \leq 100\%$
Α	$75 \le Marks < 85\%$,	$82 \leq Marks < 90\%$
B+	$65 \le Marks < 75\%$	$74 \leq Marks < 82\%$
В	$55 \le Marks < 65\%$	$66 \leq Marks < 74\%$
C+	$45 \leq Marks \leq 55\%$	$58 \leq Marks < 66\%$
C	$35 \leq Marks < 45\%$	$50 \leq Marks < 58\%$
F	$0 \leq Marks \leq 35\%$	$0 \leq Marks < 50\%$

Thus letter grades A+, A, B+, B, C+, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner.

8.4 FAIL GRADE "F"

Additionally, further categorizations of F will be

FF : F grade is failing in any theory/practical/both.

FI : Incomplete grade is failing to appear in ESE due to illness or so but

otherwise satisfactory performance, thus eligible for re-exam in

that subject.

FS : Failing in sessionals, i.e. in TA, so repeat the semester.

FX : Failing due to short of attendance so repeat the semester.

WW : Result withheld due to various reasons.

FA: Failing due to aggregate marks being less then 50% of total marks,

so eligible to appear in one or two subjects (theory/practical) of one's choice.

8.5 CONSTRAINTS OF MINIMUM QUALIFYING MARKS

To be eligible to secure a letter grade A+ to C a candidate must

- be eligible to appear in a ESE, a candidate must score minimum 60% marks in TA in each theory and/or practical separately failing which he/she will have to repeat the semester.
- > No minimum requirement of marks in CTs.
- Minimum score 35% marks in each theory paper,
- Minimum score 50% marks in each practical exam,
- Minimum score 50% of total aggregate marks.

8.6 SEMESTER PERFORMANCE INDEX (SPI)

Performance of a student in i-th semester is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots ...]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots ...]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without F in any subject, theory or practical.

8.7 CUMULATIVE PERFORMANCE INDEX (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the diploma program with 50% weightage of I and II semester marks and 100% for remaining semesters. Thus, CPI in i-th semester with "i" greater than 2 will be calculated as

$$[CPI]_i = \frac{0.5(N_1 + N_2) + \sum_{i=3}^{i \ge 3} N_i}{0.5(D_1 + D_2) + \sum_{i=3}^{i \ge 3} D_i}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing. However, CPI will be between 4 and 10.

- 11.4 No candidate shall be allowed to get more than two subjects answer books of one examination revalued. If a candidate mentions more than two subjects in his/her application then only first two courses (subject) shall be revalued and no action will be taken on rest of the courses (subjects).
- 11.5 No revaluation shall be allowed in case of practicals, teacher's assessment work and progressive tests.
- 11.6 If, on retotalling and revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be published in a supplementary list. In all other cases, the result of the retotalling shall be communicated to the candidate, as soon as possible through the officer who has forwarded his application.
- 11.7 The work of retotalling does not include reexamination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling the marks assigned to individual questions or in the form of omitting the marks assigned to any question.

Note: Notwithstanding anything stated in this Ordinance, for any unforeseen issues arising, and not covered by the Ordinance, or in the event of differences of interpretation, the Vice-Chancellor nay take a decision and the decision will be bound to all concerned.

8.8. AWARD OF CLASS OR DIVISION

8.8.1 The class/division awarded to a student with Diploma in Engineering and other discipline is decided by the student's current CPI as per the following table

 Distinction or Honours
 : 75%≤Mraks≤ 100%

 Class I
 : 65%≤Mraks< 75%</td>

 Class II
 : 50%<Mraks< 65%</td>

8.8.2 Division shall be awarded only after the final semester examination, based on integrated performance of the candidate for all the three years.

8.9 TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

9.0 CARRY OVER: He/She shall be required to clear the next ESE only in those subjects (theory/practical) in which he was awarded WW or FI or FF grades.

10.0 RULES FOR CONDONATION OF DEFICIENCY IN MARKS

With a view to moderate hard line cases in the examination, the following rules shall be observed:

10.1 One grace mark will be awarded to the candidate who is failing/missing distinction/missing first division by one mark, on behalf of the Vice-chancellor in the DIPLOMA examination.

11.0 RULES FOR REVALUATION/RETOTALLING OF MARKS

A regular candidate may apply to the Registrar for revaluation of his/heranswer books in the prescribed form within 15 days from the declaration of the result of the regular examination. The revaluation of the answer book will not be applicable for back log papers.

Provided that no candidate shall be allowed to avail the facility of revaluation in more than two papers.

Provided also that no revaluation shall be allowed in case of scripts of practicals, field work, sessional work tests and thesis submitted in lieu of paper at the examination.

- 11.2 All such applications must be accompanied by a prescribed fee for revaluation of each paper and for retotalling in each paper to be paid.
- 11.3 No candidate shall be entitled to a refund of the fee unless, as a result of the scrutiny, a mistake affecting his examination result is published and detected. If a candidate deposits excess fees, the same will not be refunded.

Dr. C. V. Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

Ordinance No.113

Masters of Technology Management (MTM) with undergraduate course in Bachelor of Engineering/Technology (B.E./B.Tech.)

(Integrated Course)

1.0 GENERAL:

This course is five and half year integrated course in Engineering leading to Master's degree in Management (in the respective discipline) after successful completion of 4 years (8 semesters) Engineering (BE) course. The course shall confirm to AICTE norms.

Master of Technology Management (MTM) degree shall be awarded on completion of Bachelor degree in Engineering (in the respective discipline).

2.0 ENTRY QUALIFICATION/ELEIGIBILITY:

Entry level qualification shall be same as prescribed for admission to Bachelor degree course in Engineering in the University.

3.0 SEATS/ADMISSION

60 students can be selected from total sanctioned intake for UG course in the given program. As additional subject in management commence in 3rd semester of the course for Engineering. The division of 60 seats shall have equal number of students from each existing branch in the institute at that particular year. The student selection for integrated course for each academic year shall be done at the start of 3rd semester based on branch wise merit of first year result of the respective discipline.

4.0 Fees:

The course fees shall be such as may be decided by the Board of Management of the University, [or as per recommendation of the fee fixation committee Chhattisgarh Government time to time]

5.0 Duration of the Course:

The course shall be for a total period of 5 years 6 months including 10 semesters of curriculum followed by one semester of industry internship.

6.0 Curriculum:

6.1

- Besides the credits of undergraduate degree, the students need to study 06 additional subjects (1 per semester) of 24 credits during the 3rd semester to 8th semester. These credits shall be necessarily completed simultaneously with Bachelor degree curriculum.
- Completion of these credits is essential for admission to 5th year for MTM course.
- > 32 credits will be allotted for each of the semester IX and X including the project which will be done after completion of X semester.

7.0 Attendance

Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture & practical's & tutorial classes held separately in each subject of the course of study.

A deficiency up to 5% can be condoned by the Vice-Chancellor of the University on satisfactory reasons.

8.0.Extra Ordinary Long Absence— If a student does not participate in theacademic activities of the faculty of Engineering & Technology of this University for a period exceeding two years at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he / she shall cease to be a student of this University as well as of B.E. / B. Tech. /MTM Course. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or supplementary examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported by acknowledgements of regular leave applications submitted at intervals of not more than 3 months.

9.0.EXAMINATIONS:

- 9.1 There shall be one end semester examination (ESE) at the end of each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical and vivavoce as per the scheme of examination of that semester. These semester examinations will generally be held in the month of November-December and April-May in each year.
- 9.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers and laboratory practical of all semesters.
- 9.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days.
- 9.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate which shall commence after about a year.
- 9.5 Notwithstanding anything mentioned elsewhere a candidate will be allowed to appear in maximum four consecutive end semester examinations (Main / Supplementary) concurrently.
- 9.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination.
- 9.7 Preparation Leave A preparation leave of only about 10 days shallprecede the main examination of each semester.

10. PASSING EXAMINATIONS:

10.1 Basis of Marks:

10.1.1 The performance of a candidate in each semester shall be evaluated subject – wise, there shall be Class Test (CT) and End Semester Examination (ESE) and Teacher's Assessment (TA) for each theory paper and ESE and TA for each practical with the following distribution and passing standards.

Name of l	Examination	Minimum Passing marks
(i)	Teacher Assessment (TA)	600/
	Of Theory&Practical	
(ii)	Class Test (CT)	Nil
(iii)	End semester Exam (ESE)	
, ,	Theory	☐ 35%(for UG level)
	Theory	40%(for PG level)
	Practical	50%
(iv)	Total of ESE, CT & TA in	
, , ,	Theory	35%(for UG level)
	Theory &	1 40%(for PG level)
	Practical	50%
(v)	Overall Aggregate	50%

- 10.1.2 For the evaluation of end semester examination in Practical, one external examiner shall always be there from outside the Institution/ CVRU and one internal examiner from the Institution/CVRU.
- 10.1.3 If a candidate has passed a semester examination in full he / she shall not be permitted to reappear in that examination for improvement in division / marks.

11 Basis of Credits:

Credit = { L+ (T+P)/2}, where L = Lecture per week, T =
Tutorial per week, P = Practical per week. Credit in a subject will be an integer, not in
a fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction it will be taken as next

integer number.

2 A candidate shall earn all the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

12. Promotion To Higher Semester:

12.1 A candidate may provisionally continue his/her studies in higher semester class after the examinations of the semester he/she appeared is over.

13. ASSESSMENT AND GRADING:

13.1 Mode of Assessment and Evaluation

Continuous evaluation system will be followed with three components as Class Test (CT), Teacher's Assessment (TA) and End Semester Exam (ESE). To make TA more objective one, this will depend upon attendance, home assignments, take home test, closed and open book tests, group assignments, class performance, viva-voce, quizzes etc. Similarly, there will be atleast one class test of each theory subject in each semester, the results of which will be shown to the class students along with test answer books.

13.2 Grading System

Percentage as well as absolute grading system will be followed. In every subject, theory or practical, a candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., TA, CT and ESE. These grades will be described by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A course is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C or better is obtained in the course.

Letter Grade (LG):	\mathbf{A}^{+}	A	\mathbf{B}^{\star}	B	C ⁺	C	F
Grade Point (GP):		9	8	7	6	5	0

Grades will be awarded for every subject, theory and practical separately. This will be done as described below.

13.3 Absolute Grading System

The absolute grading system of the type explained below will be adopted for theory and practical subjects

Grades		THEORY		PRACTICAL
A+	85	\leq Marks \leq 100%,	90	\leq Marks \leq 100%,
\mathbf{A}^{\cdot}	75	≤ Marks < 85%,	82	≤ Marks < 90%,
₿÷	65	\leq Marks $<$ 75%,	74	≤ Marks < 82%,
В	55	≤ Marks < 65%	66	≤ Marks < 74%,
C+	45	≤ Marks < 55	58	≤ Marks < 66%,
C	35	≤ Marks < 45	50	≤ Marks < 58%,
F		Marks < 35%,(for UG level) Marks <40%,(for PG level)	0 ≤ M	farks < 50%,

Thus letter grades A⁺, A, B⁺, B, C⁺, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner.

13.4 Fail Grade "F"

Additionally, further categorizations of F will be

FF: Failing in any theory/practical subject.

FS: Failing in sessionals, i.e. in TA, so repeat the Semester

WH: Result withheld due to various reasons.

FA: Failing due to aggregate marks being less than 50% of total marks, so eligible to appear in one or two subjects (theory/practical) of one's choice.

13.5 Semester Performance Index (SPI)

Performance of a student in ith semester is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

$$[SPI]_{i} = \frac{[C_{1}G_{1} + C_{2}G_{2} + \cdots]_{i}}{[C_{1} + C_{2} + \cdots]_{i}} = \frac{[\Sigma CG]_{i}}{[\Sigma C]_{i}} = \frac{N_{i}}{D_{i}}$$

Where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without Failing in any subject, theory or practical.

$$N_i$$
 is $[\sum CG]_i$ & D_i is $[\sum C]_i$

13.6 Cumulative Performance Index (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 10% weightage of I and II semester, 20% weightage of III & IV marks, 30% weightage of V & VI semester marks & 100% weightage of VII,VIIIX & IX, X semester marks. Thus, CPI in i-th semester with "i" greater than 2 will be calculated as

$$[\mathbf{CPI}]_i = \frac{0.1(N_1 + N_2) + 0.2(N_3 + N_4) + 0.3(N_5 + N_6) + (N_7 + N_8) + (N_9 + N_{10}) + (N_{11})}{0.1(D_1 + D_2) + 0.2(D_3 + D_4) + 0.3(D_5 + D_6) + (D_7 + D_8) + (D_9 + D_{10}) + (D_{11})}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

13.7 Award of class or Division

- 13.7.1 The class/division awarded to a student with B.E./B. Tech. Degree is decided by the student's Percentage of Marks as per the following table
 - Distinction or Honors: 75% ≤ Marks ≤100%
 - Class I : 65% ≤ Marks < 75%</p>
 - Class II : 50% ≤ Marks < 65%</p>
- 13.7.2 Division shall be awarded only after the final semester examination, based on integrated performance of the candidate for all the four years for Bachelor degree and five years for Post Graduate degree.

- 13.7.3 No candidate shall be declared to have passed the final B.E. unless he/she has fully passed all the previous examinations of the eight semesters. The results of the eighth and final semester of those candidates who have not passed examination of any previous semester will be withheld. They, however, will be informed about the deficiency. He/she shall be deemed to have passed the final B.E. examination in the year in which he/she passes all the examinations of all eight semesters.
- 13.7.4 Evaluation of integrated performance shall be on the basis of scheme of weight age marks added to the total score of the candidate as shown below:

I and II semesters	I Year	10% of I year marks.
III and IV semesters	II year	20% of II year marks.
V and VI semester	III year	30% of III year marks.
VII and VIII semester	IV year	100% of IV year marks.
IX and X semester	V year	100% of V year marks.
XI Semesters (internship)	VI Month	100% of VI Month marks.

13.8 Transcript

The transcript issued to a student after completion of the course will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

14. RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

14.1 Retotaling:

- 14.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU foretotaling of the marks for any one or two theory papers.
- 14.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the required fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.
- 14.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re- examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

14.2 Revaluation:

- 14.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.
- 14.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.
- 14.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall becommunicated to the candidate.
- 14.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals, teacher's assessment and class tests by the University.

15. MERIT LIST:

- 15.1 Merit list of top 10 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have passed in first attempt.
- 15.2 Branch wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the tenth semester for MTM degree, on the basis of the performance of all the five years for MTM respectively. The merit list shall include the first 10 candidates securing at least First division and passing all semesters in single attempt in all the tenth semesters for MTM.
- 15.3 Merit List should be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

16. EXIT OF THE COURSE:

In case of the candidate with to exit (in special circumstances) from the Integrated program MTM at the level of completion of his/her Bachelor degree (B.E.) by the recommendation of Academic Council of the University.

17. INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of thisordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/parties concerned.

Dr. C. V. Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

Ordinance No.114

Masters of Applied Management (MAM) with Bachelor of Management (BM)or Bachelor of Applied Management (BAM)

(Dual Degree Course)

1.0 GENERAL:

This is a five year dual degree course in management leading to award of three year Bachelors Degree in Management (BM) or four year Bachelors Degree in Applied Management (BAM) and Master Degree in Applied Management (MAM) after successful compellation in five years. The course shall confirm to the norms of concerned regulatory body.

2.0 ADMISSION/ELIGIBILITY:

- 2.1 For admission to this course, a students should have passed 12th standards (or equivalent) examination with atleast 45% marks for general (40% marks for reserved category students) candidate from a recognized board and should have passed a common admission test (CAT) conducted by the University for this purpose.
- 2.2 Admission taken at the first year shall be admission to "5 years dual degree course" and he/she will not be required to take readmission at any stage of the course unless he/she discontinues the course after 3rd or 4th year.
- 2.3 The course frame work provides additional entry points as,
 - Student, who has discontinued his/her studies on obtaining BM degree, can joined at later date for the fourth and fifth of the course to complete MAM. How ever, such students shall not be awarded BAM degree at the end of fourth year even if he/she discontinues studies at fourth year.
 - > Students, who has discontinued his/her studies on obtaining BAM degree, can join at later date for the fifth year of the course to complete MAM.
- 2.4 Students from the streams of Sciences, Commerce and Arts are eligible for admission to this dual degree course.

3.0 SEATS:

The basic unit will be that of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup.

4.0 Fees:

The course fees shall be such as may be decided by the Board of Management of the University, [or as per recommendation of the fee fixation committee Chhattisgarh Government time to time]

5.0 DURATION OF THE COURSE:

The course will follow semester pattern and will have 10 semesters of 6 month duration each and Industry based project in fifth year having inter disciplinary approach in content and delivery.

- 6.0ATTENDANCE- Candidate appearing as regular student for any semesterexamination is required to attend minimum of 75% of the lecture &practicals& tutorial classes held separately in each subject of the course of study. A deficiency up to 5% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C.V.RamanUniversity on satisfactory reasons.
- 7.0 EXTRA ORDINARY LONG ABSENCE—If a student does not participate in the academic activities of the faculty of Management of this University for a period exceeding two years at a stretch he / she shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester, and he she shall cease to be a student of this University as well as of B.A.M. / M.A.M. Course. Here participation in academic activity means attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or supplementary examination etc. for being a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported by acknowledgements of regular leave applications submitted at intervals of not more than 3 months.

8.0 EXAMINATIONS:

- 8.1 There shall be one end semester examination (ESE) at the end of each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory papers as per the scheme of examination of that semester. These semester examinations will generally be held in the month of November-December and May June in each year.
- 8.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers of all semesters.
- 8.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days.
- 8.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate which shall commence after about a year.
- 8.5 Notwithstanding anything mentioned elsewhere a candidate will be allowed to appear in maximum four consecutive end semester examinations (Main / Supplementary) concurrently.
- 8.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination.
- 8.7. Preparation Leave A preparation leave of only about 10 days shallprecede the main examination of each semester.

9.0 PASSING EXAMINATIONS:

9.1 BASIS OF MARKS:

The performance of a candidate in each semester shall be evaluated subject – wise, there shall be Internal Assignment and End Semester Examination(ESE) for each theory papers with the following distribution and passing standards.

Name of Examination

Minimum Passing marks

(i) End semester Exam (ESE)Theory - 35%(for UG level)

40%(for PG level)

- (ii) Internal Assignment ----- 35%
- 10.0 If a candidate has passed a semester examination in full he / she shall not be permitted to reappear in that examination for improvement in division / marks.

11 Basis of Credits:

- 11.1 Credit = {L+ T}, where L = Lecture per week, T = Tutorial per week, P = Practical per week. Credit in a subject will be an integer, not in a fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction it will be taken as next integer number.
- 11.2 A candidate shall earn all the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

12. Promotion To Higher Semester:

12.1 A candidate may provisionally continue his/her studies in higher semester class after the examinations of the semester he/she appeared is over.

13. ASSESSMENT AND GRADING:

13.1 Mode of Assessment and Evaluation

Continuous evaluation system will be followed with three components as Class Test, Assessment and End Semester Exam.

13.2 Grading System

Percentage as well as absolute grading system will be followed. In every subject, theory a candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components. These grades will be described by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below, A course is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C or better is obtained in the course.

Letter Grade (LG): A+ A B+ B C+ C F
Grade Point (GP): 10 9 8 7 6 5 0

Grades will be awarded for every subject, theory and practical separately. This will be done as described below.

13.3 Absolute Grading System

The absolute grading system of the type explained below will be adopted for theory and practical subjects

Grades		THEORY		PROJECT
A+	85	≤ Marks ≤ 100%,	90	≤ Marks ≤ 100%,
Α	75	≤ Marks < 85%,	82	≤ Marks < 90%,
B+	65	≤ Marks < 75%,	74	≤ Marks < 82%,
В	55	≤ Marks < 65%	66	≤ Marks < 74%,
C+	45	≤ Marks < 55	58	≤ Marks < 66%,
C	35	≤ Marks < 45	50	≤ Marks < 58%,
F		larks < 35%,(for UG level) larks <40%,(for PG level)	0 ≤ Ma	arks < 50%,

Thus letter grades A+, A, B+, B, C+, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner.

13.4 Fail Grade "F"

Additionally, further categorizations of F will be

FF: Failing in any theory/practical subject.

FS: Failing in sessionals, i.e. in TA, so repeat the Semester

WH: Result withheld due to various reasons.

FA: Failing due to aggregate marks being less than 50% of total

marks, so eligible to appear in one or two subjects (theory/practical)

of one's choice.

13.5 Semester Performance Index (SPI)

Performance of a student in ith semester is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

$$[SPI]_{i} = \frac{[C_{1}G_{1} + C_{2}G_{2} + \cdots]_{l}}{[C_{1} + C_{2} + \cdots]_{l}} = \frac{[\Sigma CG]_{l}}{[\Sigma C]_{l}} = \frac{N_{l}}{D_{l}}$$

Where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without Failing in any subject, theory or practical.

$$N_i$$
 is $[\sum CG]_i$ & D_i is $[\sum C]_i$

13.6 Cumulative Performance Index (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 10% weightage of I and II semester, 20% weightage of III & IV marks, 30% weightage of V & VI semester marks & 100% weightage of VII, VIIIX & IX, X semester marks. Thus, CPI in i-th semester with "i" greater than 2 will be calculated as

$$[CPI]_{i} = \frac{0.1(N_{1} + N_{2}) + 0.2(N_{3} + N_{4}) + 0.3(N_{5} + N_{6}) + (N_{7} + N_{8}) + (N_{9} + N_{10})}{0.1(D_{1} + D_{2}) + 0.2(D_{3} + D_{4}) + 0.3(D_{5} + D_{6}) + (D_{7} + D_{8}) + (D_{9} + D_{10})}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

13.7 AWARD OF CLASS OR DIVISION

13.7.1 The class/division awarded to a student with B.M./B.A.M/M.A.M.

Degree is decided by the student's Percentage of Marks as per the following table

➤ Distinction or Honors : 75% ≤ Marks ≤100%

Class I : 60% ≤ Marks < 75%
 Class II : 40% ≤ Marks < 59%

Class III : 35%≤ Marks < 39% only for U.G. level.</p>

- 13.7.2 Division shall be awarded only after the final semesterexamination, based on integrated performance of the candidate for all the five years.
- 13.7.3 No candidate shall be declared to have passed the final MAM unless he/she hasfully passed all the previous examinations of the tenth semesters.
- 13.7.4 Evaluation of integrated performance shall be on the basis of scheme of weight age marks added to the total score of the candidate as shown below:

I and II semesters

II year

I year

I year

I year

I year

I year

II year

II year

II year

III year

III year

III year

IV year

13.8 Transcript

The transcript issued to a student after completion of the course will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

14 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

14.1 Rétotaling :

14.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the

University, may apply to the CVRU forretotaling of the marks for any one or two theory papers.

- 14.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.
- 14.1.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include re- examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

14.2 Revaluation:

- 14.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.
- 14.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.
- 14.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall becommunicated to the candidate.

15. MERIT LIST:

- 15.1 Merit list of top 10 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have passed in first attempt.
- 15.2 Merit List should be declared after the declaration of Revaluation results, if any.

16.INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of thisordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding onthe student/candidate/parties concerned.

Dr. C.V.Raman University

Ordinance No: 115

BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.) HONORS

This ordinance shall apply to programme leading to Bachelor of Science.

1.0 GENERAL:

This is three year (Six Semesters) bachelor degree course. Each semester would approximately of six month duration including (vacation, preparatory, leave, Examination, Industrial Training etc.).

2.0 ADMISSION:

The University will permit admission and award of B.Sc.(Honors) degree in only such courses, which are duly approved by the Academic council of the University. Admission of B.Sc. First semester will be made as per the rules prescribed by the Academic Council of the University.

3.0 ELIGIBILITY FOR ADMISSION:

Must have passed with atleast 45% marks for general (40% for SC/ST/OBC) in 10+2 examination from a recognized board of secondary education or equivalent there in science stream with concerned subject.

4.0 PROGRAMME CONTENTS & DURATION:

- (a) The bachelor's (Honors) Degree programme shall comprise of a number of courses and/or other components as specified in the scheme of teaching and examination and syllabi of the concerned programme duly approved by the academic council.
- (b) The minimum period required for completion a programme shall be programme duration as specified in the scheme of teaching & examination and syllabi for the concerned programme.
- (c) The maximum permissible period for completing a programme for which the prescribed programme duration is n semester, shall be (n+4) semesters. All the programme requirements shall have to be completed in (n+4) semesters. Under very special circumstances the duration of the total period may further be extended by 2 semesters with the approval of the Vice-Chancellor.
- (d) The three year curriculum is divided into 06 semesters and shall include lecturers, tutorials, practical, seminars and projects etc. as defined in the University from time to time.

U

U

0

U

U

U

Ü

Ų

5.0 SEMESTER DURATION:

- (a) An academic year shall be of two semesters each of 6 month duration. There shall be a break of 3 to 5 weeks after odd semester and 6 to 10 weeks after the even semester.
- (b) The academic break-up of the semesters shall be as follows:
 - Theory and practical classes (including class tests) 16-18 weeks.
 - Semester end examination including 2-4 weeks practical.

6.0 APPLICABLE FEES:

- (a) All the fees including the course and examination fee, as determined by the University from time to time, will be payable by the students at the beginning of the each semester.
- (b) Fees once paid are not refundable in any case except for the caution money.
- (c) All the students will be required to pay the prescribed fee before the start of the classes. In some cases of genuine hardship. The Vice-Chancellor may permit, at his discretion, an extension in the last date of payment of fees.
- (d) No student shall be allowed to appear in the end-semester examination under he/she cleared all dues of the University.

7.0 ATTENDANCE:

All the students are normally expected to have attendance of 100% in each subject (Lectures, tutorials and Practical). The attendance can be condoned up to 25% for genuine reasons. However, under no circumstances, a student with an attendance of less than 75% in a subject shall be allowed to appear in the semester-end examination of that subject. Provided that the late admitted students in the first semester of any course maintain at least 75% attendance (including medical and other reasons) from the date of their admission.

In case any student appears in the examinations by default, who in fact has been detained by the Institute, his/her result shall be treated as null and void.

8.0 EVALUATION:

The performance of a student in a semester shall be evaluated through continuous class assessment and end semester examination.

- (a) The distribution of weightage for various components of evaluation shall be as defined in the teaching & examination scheme.
- (b) The marks obtained in a subject consist of marks allotted in end semester theory paper, practical examination (if applicable) and sessional work.
- (c) The minimum pass marks in each subject (theory and sessional work) shall be prescribed in the scheme of teaching and examination.

(d) A candidate in order to pass must secure 50% marks in aggregate in a particular semester.

9.0 PROMOTION:

A candidate satisfying all the requirements under the clause 9 shall be promoted to the next academic year of study.

- (a) A candidate shall be eligible for provisional promotion to the next academic year of study provided, he/she has not failed in more than 6 subjects(including theory or practical) in a year (at the end of two semesters).
- (b) A candidate who fails in aggregate shall be eligible for provisional promotion with carryover he/she may chose up to a maximum of any two theory papers of that particular academic semester and appear in the end semester examination and make up the short of aggregate marks.

10.0 AWARD OF CLASS OR DIVISION:

The class/division awarded to a student with B.Sc(Honors) Degree is decided by the student's percentage of marks as per the following table:

Class I with Distinction 75%≤Marks≤100%

Class I (First Division) 60% Marks < 75%

Class II (Second Division) 50% Marks < 60%

Fails in Aggregate Marks <50%

Division shall be awarded only after the sixth and final semester examination, based on integrated performance of the candidate for all the three years.

11.0 STUDENTS GRIEVANCE COMMITTEE:

In case of any written representation/complaints received form the students within seven days after completion of the examination regarding setting up of the question paper etc. along with specific recommendations of the course coordinator & Director of the University, the same shall be considered by the students Grievance Committee to be constituted by the Vice-Chancellor.

12.0 SCRUTINY AND RE-EVALUATION:

A student can apply to Controller of Examination for the scrutiny of the marks obtained in the end-semester examination on payment of fee to be decided by the Academic council from time to time. He can also apply for re-evaluation of his answer-book on payment of fee to be decided by the Academic Council from time to time.

13.0 AWARD OF DEGREE

A student shall be awarded a degree if:

- (a) He/she has registered himself/herself, undergone the course of studies, completed the project report/dissertation specified in the curriculum of his/her programme within the stipulated time, and secured the minimum credits prescribed for award of the concerned degree.
- (b) There are no dues outstanding in his/her name of an Institute of University.
- (c) No disciplinary action is pending against him/her.
- 14.0 Subject to the provisions of the Act, the statutes and the Ordinances such administrative issues as disorderly conduct in examinations, other malpractices, dates for submission of examination forms, issue of duplicate degrees instructions to examiners, superintendents, invigilators, their remuneration and any other matter connected with the conduct of examinations will be dealt with as per the guidelines approved for the purposes by the academic council.
- 15.0 Notwithstanding anything stated in this Ordinance, or in the event of difference of interpretation, the Vice-Chancellor may take a decision after obtaining, if necessary, the opinion/advice of a Committee consisting of any or all the Heads of the Departments. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.

Dr. C.V.Raman University

Ordinance No: 116

BACHELOR OF COMMERCE (B.Com.) HONORS

This ordinance shall apply to programme leading to Bachelor of Commerce.

1.0 GENERAL:

This is three year (Six Semesters) bachelor degree course. Each semester would approximately of sixth month duration including (vacation, preparatory, leave, Examination, Industrial Training etc.).

2.0 ADMISSION:

The University will permit admission and award of B.Com. (Honors) degree in only such courses, which are duly approved by the Academic council of the University. Admission of B.Com.first semester will be made as per the rules prescribed by the Academic Council of the University.

3.0 ELIGIBILITY FOR ADMISSION:

Must have passed with atleast 45% marks for general (40% for SC/ST/OBC) in 10+2 examination from a recognized Board of Secondary Education or equivalent there to in any stream.

4.0 PROGRAMME CONTENTS & DURATION:

- (a) The bachelor's (Monors) Degree programme shall comprise of a number of courses and/or other components as specified in the scheme of teaching and examination and syllabi of the concerned programme duly approved by the academic council.
- (b) The minimum period required for completion a programme shall be programme duration as specified in the scheme of teaching & examination and syllabi for the concerned programme.
- (c) The maximum permissible period for completing a programme for which the prescribed programme duration is n semester, shall be (n+4) semesters. All the programme requirements shall have to be completed in (n+4) semesters. Under very special circumstances the duration of the total period may further be extended by 2 semesters with the approval of the Vice-Chancellor.
- (d) The three year curriculum is divided into 06 semesters and shall include lecturers, tutorials, seminars and projects etc. as defined in the University from time to time.

5.0 SEMESTER DURATION:

- (a) An academic year shall be of two semesters each of 20 weeks duration. There shall be a break of 3 to 5 weeks after autumn semester and 6 to 10 weeks after the spring semester.
- (b) The academic break-up of the semesters shall be as follows:
 - Theory classes (including class tests) 16-18 weeks.
 - Semester end examination.

6.0 APPLICABLE FEES:

- (a) All the fees including the course and examination fee, as determined by the University from time to time, will be payable by the students at the beginning of the each semester.
- (b) Fees once paid are not refundable in any case except for the caution money.
- (c) All the students will be required to pay the prescribed fee before the start of the classes. In some cases of genuine hardship. The Vice-Chancellor may permit, at his discretion, an extension in the last date of payment of fees.
- (d) No students shall be allowed to appear in the end-semester examination under he/she cleared all dues of the University.

7.0 ATTENDANCE:

All the students are normally expected to have attendance of 100% in each subject (Lectures and tutorials). The attendance can be condoned up to 25% for genuine reasons. However, under no circumstances, a student with an attendance of less than 75% in a subject shall be allowed to appear in the semester-end examination of that subject. Provided that the late admitted students in the first semester of any course maintain at least 75% attendance (including medical and other reasons) from the date of their admission.

In case any student appears in the examinations by default, who in fact has been detained by the Institute, his/her result shall be treated as null and void.

8.0 EVALUATION:

The performance of a student in a semester shall be evaluated through continuous class assessment and end semester examination.

- (a) The distribution of weightage for various components of evaluation shall be as defined in the teaching & examination scheme.
- (b) The marks obtained in a subject consist of marks allotted in end semester theory paper and sessional work.

- (c) The minimum pass marks in each subject (theory and sessional work) shall be prescribed in the scheme of teaching and examination.
- (d) A candidate in order to pass must secure 50% marks in aggregate in a particular semester.

9.0 PROMOTION:

A candidate satisfying all the requirements under the clause 9 shall be promoted to the next academic year of study.

- (a) A candidate shall be eligible for provisional promotion to the next academic year of study provided, he/she has not failed in more than 6 subjectsin a year (at the end of two semesters),
- (b) A candidate who fails in aggregate shall be eligible for provisional promotion with carryover he/she may chose up to a maximum of any two theory papers of that particular academic semester and appear in the end semester examination and make up the short of aggregate marks.

10.0 AWARD OF CLASS OR DIVISION:

The class/division awarded to a student with B.Com.(Honors) Degree is decided by the student's percentage of marks as per the following table:

Class I with Distinction 75% SMarks \$\leq 100%

Class I (First Division) 60% Marks < 75%

Class II (Second Division) 50% Marks < 60%

Fails in Aggregate Marks <50%

Division shall be awarded only after the sixth and final semester examination, based on integrated performance of the candidate for all the three years.

11.0 STUDENTS GRIEVANCE COMMITTEE:

In case of any written representation/complaints received form the students within seven days after completion of the examination regarding setting up of the question paper etc. along with specific recommendations of the course coordinator & Director of the University, the same shall be considered by the students Grievance Committee to be constituted by the Vice-Chancellor.

12.0 SCRUTINY AND RE-EVALUATION:

A student can apply to Controller of Examination for the scrutiny of the marks obtained in the end-semester examination on payment of fee to be decided by the Academic council from time to time. He can also apply for re-evaluation of his

Ü

0000

answer-book on payment of fee to be decided by the Academic Council from time to time.

13.0 AWARD OF DEGREE

A student shall be awarded a degree if:

- (a) He/she has registered himself/herself, undergone the course of studies, completed the project report/dissertation specified in the curriculum of his/her programme within the stipulated time, and secured the minimum credits prescribed for award of the concerned degree.
- (b) There are no dues outstanding in his/her name of an Institute of University.
- (c) No disciplinary action is pending against him/her.
- 14.0 Subject to the provisions of the Act, the statutes and the Ordinances such administrative issues as disorderly conduct in examinations, other malpractices, dates for submission of examination forms, issue of duplicate degrees instructions to examiners, superintendents, invigilators, their remuneration and any other matter connected with the conduct of examinations will be dealt with as per the guidelines approved for the purposes by the academic council.
- 15.0 Notwithstanding anything stated in this Ordinance, or in the event of difference of interpretation, the Vice-Chancellor may take a decision after obtaining, if necessary, the opinion/advice of a Committee consisting of any or all the Heads of the Departments. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.

Dr. C. V. Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

Ordinance No: 117

BACHELOR OF ARTS (B.A.) HONORS

This ordinance shall apply to programme leading to Bachelor of Arts.

1.0 GENERAL:

This is three year (Six Semesters) bachelor degree course. Each semester would approximately of six month duration including (vacation, preparatory, leave, Examination, Industrial Training etc.).

2.0 ADMISSION:

The University will permit admission and award of B.A. (Honors) degree in only such courses, which are duly approved by the Academic council of the University. Admission of B.A. first semester will be made as per the rules prescribed by the Academic Council of the University.

3.0 ELIGIBILITY FOR ADMISSION:

Must have passed with atleast 45% marks for general (40% for SC/ST/OBC) in 10+2 examination from a recognized board of secondary education or equivalent in any stream with concerned subject.

4.0 PROGRAMME CONTENTS & DURATION:

- (a) The bachelor's (Honors) Degree programme shall comprise of a number of courses and/or other components as specified in the scheme of teaching and examination and syllabi of the concerned programme duly approved by the academic council.
- (b) The minimum period required for completion a programme shall be programme duration as specified in the scheme of teaching & examination and syllabi for the concerned programme.
- (c) The maximum permissible period for completing a programme for which the prescribed programme duration is n semester, shall be (n+4) semesters. All the programme requirements shall have to be completed in (n+4) semesters. Under very special circumstances the duration of the total period may further be extended by 2 semesters with the approval of the Vice-Chancellor.
- (d) The three year curriculum is divided into 06 semesters and shall include lecturers. tutorials, seminars and projects etc. as defined in the University from time to time.

5.0 SEMESTER DURATION:

- (a) An academic year shall be of two semesters each of 6 month duration. There shall be a break of 3 to 5 weeks after autumn semester and 6 to 10 weeks after the spring semester.
- (b) The academic break-up of the semesters shall be as follows:
 - Theory classes (including class tests) 16-18 weeks.
 - Semester end examination.

6.0 APPLICABLE FEES:

- (a) All the fees including the course and examination fee, as determined by the University from time to time, will be payable by the students at the beginning of the each semester.
- (b) Fees once paid are not refundable in any case except for the caution money.
- (c) All the students will be required to pay the prescribed fee before the start of the classes. In some cases of genuine hardship, the Vice-Chancellor may permit, at his discretion, an extension in the last date for payment of fees.
- (d) No student shall be allowed to appear in the end-semester examination under he/she cleared all dues of the University.

7.0 ATTENDANCE:

All the students are normally expected to have attendance of 100% in each subject (Lectures and tutorials). The attendance can be condoned up to 25% for genuine reasons. However, under no circumstances, a student with an attendance of less than 75% in a subject shall be allowed to appear in the semester-end examination of that subject. Provided that the late admitted students in the first semester of any course maintain at least 75% attendance (including medical and other reasons) from the date of their admission.

In case any student appears in the examinations by default, who in fact has been detained by the Institute, his/her result shall be treated as null and void.

8.0 EVALUATION:

The performance of a student in a semester shall be evaluated through continuous class assessment and end semester examination.

- (a) The distribution of weightage for various components of evaluation shall be as defined in the teaching & examination scheme,
- (b) The marks obtained in a subject consist of marks allotted in end semester theory paper and sessional work.

- (c) The minimum pass marks in each subject (theory and sessional work) shall be prescribed in the scheme of teaching and examination.
- (d) A candidate in order to pass must secure 50% marks in aggregate in a particular semester.

9.0 PROMOTION:

A candidate satisfying all the requirements under the clause 9 shall be promoted to the next academic year of study.

- (a) A candidate shall be eligible for provisional promotion to the next academic year of study provided, he/she has not failed in more than 6 subjectsin a year (at the end of two semesters).
- (b) A candidate who fails in aggregate shall be eligible for provisional promotion with carryover he/she may chose up to a maximum of any two theory papers of that particular academic semester and appear in the end semester examination and make up the short of aggregate marks.

10.0 AWARD OF CLASS OR DIVISION:

The class/division awarded to a student with B.A.(Honors) Degree is decided by the student's percentage of marks as per the following table:

Class I with Distinction 75%≤Marks≤100%

Class I (First Division) 60% SMarks < 75%

Class II (Second Division) 50% Marks < 60%

Fails in Aggregate Marks <50%

Division shall be awarded only after the sixth and final semester examination, based on integrated performance of the candidate for all the three years.

11.0 STUDENTS GRIEVANCE COMMITTEE:

In case of any written representation/complaints received form the students within seven days after completion of the examination regarding setting up of the question paper etc. along with specific recommendations of the course coordinator & Director of the University, the same shall be considered by the students Grievance Committee to be constituted by the Vice-Chancellor.

12.0 SCRUTINY AND RE-EVALUATION:

A student can apply to Controller of Examination for the scrutiny of the marks obtained in the end-semester examination on payment of fee to be decided by the Academic council from time to time. He can also apply for re-evaluation of his

answer-book on payment of fee to be decided by the Academic Council from time to time.

13.0 AWARD OF DEGREE

A student shall be awarded a degree if:

- (a) He/she has registered himself/herself, undergone the course of studies, completed the project report/dissertation specified in the curriculum of his/her programme within the stipulated time, and secured the minimum credits prescribed for award of the concerned degree.
- (b) There are no dues outstanding in his/her name of an Institute of University.
- (c) No disciplinary action is pending against him/her.
- 14.0 Subject to the provisions of the Act, the statutes and the Ordinances such administrative issues as disorderly conduct in examinations, other malpractices, dates for submission of examination forms, issue of duplicate degrees instructions to examiners, superintendents, invigilators, their remuneration and any other matter connected with the conduct of examinations will be dealt with as per the guidelines approved for the purposes by the academic council.
- 15.0 Notwithstanding anything stated in this Ordinance, or in the event of difference of interpretation, the Vice-Chancellor may take a decision after obtaining, if necessary, the opinion/advice of a Committee consisting of any or all the Heads of the Departments. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.

Dr. C.V.Raman University Kargi Road Kota Bilaspur(C.G.) Ordinance No. 119

Vocational Education Course(s) and Skill Knowledge Provider (SKP) under National Skill Qualification Frame work (NSQF).

Dr. C.V.Raman University, Kota Bilaspur (C.G.) awards the vocational certification level from III to VII, Diploma (Vocational), Advance Diploma (Vocational) or a Vocational Degree on stream based sector specific specializations of Vocational Educational programme.

1. Vocational Educational programmes.

- Certification level, Diploma, Advance diploma or vocational degree shall be based on stream based sector specific specialization.
- 1.2. Each certification level requires 1000 hours of education and training per annum. For the vocational stream leading to Degree or a Diploma or a Advance Diploma, the teaching hours shall have two components Vocational (skill) and academic one. The Vocational component will go on increasing as the level of certification increase.
- 1.3. The skill modules or vocational content at a certification level could be a single skill or a group of skills of number of hours prescribed.

2. Admissions:

- 2.1. A student entering a vocational stream from general stream can enter a certain level provided the skill required at that level are acquired from a registered skill and knowledge provider (SKP).
- 2.2. A student, who has acquired skill through work experience, can also enter the vocational stream at an appropriate level provided he is assessed for skills acquired from a registered SKP.
- 2.3. A student already acquired NSQF certification level 4 in a particular Industry sector and opted admission in the B.Voc. Degree programme in the same trade with job role for which he/she was previously certified.
- 2.4. A candidate shall have freedom to choose either a vocational stream or a conventional stream to reach graduation level. In addition, a candidate shall have freedom to move from vocational stream to current formal higher education stream or vice versa at various stages.
- 2.5. Qualification frame work is shown below: -

2.5.1. National Skill Qualification Frame work (NSQF) Duration and Entry Level Qualifications

S.No.	Certification Level	Equivalent Normal Qualification	Vocational Qualification	Certifying Body
1	3	Higher Secondary School Grade XI		
2	4	Higher Secondary School Grade XII	Diploma (Vocational)	University
3	5	1st Year Bachelors		
4	6	2nd Year Bachelors	Advanced Diploma (Vocational	University
5	7	3rd Year Bachelors	Degree (Vocational)	University

 Notwithstanding anything above admission to vocational courses are governed by the rules made by Dr. C.V. Raman University Kota Bilaspur (C.G.)

3. Examination -

- 3.1. There shall be University examination at the end of each semester.
- 3.2. There shall be Class Test (CT), Teacher's Assessment (TA) and End semester Examination (ESE) and End semester Practical Examination (ESE) for academic part of vocational course.
- 3.3. There shall be Teacher Assessment (TA) and End semester Practical Examination (EPE) for skill part of vocational course.
- 3.4. Minimum passing marks in percentage for each component of Academic part and each component of skill part are as stated below:

(I) Academic part in Institution

Name of Examination	Minimum Passing marks in percentages
Class Test (CT)	Nil
Teacher Assessment (TA)	60%
End semester Examination (ESE)	35%
All the component (Together)	35%

(II) Skill part in SKP and Practical subjects of academic part in Institution.

Name of Examination	Minimum Passing marks in percentages
Teacher Assessment (TA)	60%
End level Practical Examination (EPE)	50%
All the component (Together)	50%

- 3.5. For the evaluation of End level Practical Exam in skill part one external examiner shall always be there from outside the SKP (Skill Knowledge Provider) and one internal examiner from the SKP. Similarly, for the conduction of the Practical examination of subjects in Academic part, one internal examiner from the institution and one external examiner outside from institution shall be appointed.
- 3.6. There will be at least two class test in each subject of the academic part of vocational course. Teacher's assessment in each subject of theory and/or practical of academic part and each practical of skill part of vocational course will depend upon home assignment, quizzes, take home test and viva-voce etc. whereas Vocational Skill test will be done on actual job work and skill performance.

4. Basis of Credits Calculations -

- 4.1. Following formula is used for conversion of time into credit
 - 4.1.1. One credit would mean equivalent of 15 periods of 60 minute each, for theory, workshop/labs and tutorials;

Ü

U

U U

- 4.1.2. For internship/field work the credit weight age for equivalent hours shall be 50% of that for lectures/workshops;(7.5 Hours = 1 credit)
- 4.1.3. For self-learning based on e-content or otherwise, the credit weight age for equivalent hours of study should be 50% of lectures/workshops; (7.5 Hours = 1 credit)

4.2. The suggested credits for each of the year are as follows:

Level	Entry Qualification	Skill Component Credits	General Education Credits	Normal Calendar Duration	EXIT point/Award	Certification Body
III	XI	36	24	One Year		
IV	XII	36	24	One Year		
V	Year 1	36	24	One Year	Diploma (Vocational)	CVRU
VI	Year 2	36	24	One Year	Advance Diploma (Vocational)	CVRU
VII	Year 3	36	24	One Year	B.Voc. Degree	CVRU

4.3. Eligibility for Admission:

The eligibility condition for Admission to Vocational Programmes at the University level shall be followings:

- 4.3.1. Candidates who have passed Higher Secondary in the Vocational / Academic Stream.
- 4.3.2. Candidates who have passed the Vocational Programme at the Higher Secondary Stage Through Open and Distance Learning (ODL) for Example, from National Institute of Open Schooling (NIOS), State Open Schools(SOS) are equivalents
- 4.3.3. Candidates Qualifying for Polytechnics with Equivalent Qualifications to Higher Secondary.

Note: Knowledge of Skill Level I, II, III& IV will be required to enter into a Degree Programme and I & II Level required for Diploma Programme.

- **4.4** Fee: The course fee will be decided by the Board of Management of the University with prior approval of CGPURC.
- Rules for promotions to Higher Certification (Applicable only from certification level III to VII) Level.

A Candidate shall be required to earn requisite credits in precedent certification level before being promoted to next higher certification level. However, the multi-level entry and exit system shall allow the candidate to seek employment after any level and re-join the education as and when feasible to upgrade qualification/skill competency.

6. Attendance - Candidates appearing for any level examination are required to attend 75% for subjects of academic part and skill part of vocational courses separately. A short fall in attendance up to 10% and further 5% can be condoned by the HOD of the Department & Vice Chancellor of the University respectively olny for satisfactory reasons.

7. If a candidate has passed a level examination Diploma/Advance Diploma in full he/she shall not be permitted to reappear in the examination for

improvement in division/marks or any purpose.

Performance based Certification, Diploma, Advance Diploma and Degree.
 Vocational Education Programmes.

S.No.	Name of Award	Basis
I	Certification level 3	1000 hrs of learning
II	Certification level 4	1000 hrs of learning
III	Certification level 5	1000 hrs of learning
IV	Certification level 6	1000 hrs of learning
V	Certification level 7	1000 hrs of learning
VI	Diploma (Vocational)	Cumulative performance of Level 3, 4, & 5
VII	Advance Diploma (Vocational)	Cumulative performance of Level 6 and 7
VIII	Degree (Vocational)	Cumulative performance of Level 5, 6, & 7

9. Assessment and Grading.

9.1. Grading System - Absolute grading system will be followed. In every subject of academic part the candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., TA, CT and ELE. Similarly in every practical subject of academic part as well as skill part of vocational course, the candidate will be awarded a letter grade passed on one's combined performance of all components e.g. TA and EPE. These grades will be described by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A subject is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C or better is obtained in the subject.

Letter Grade (LG): A+ A B+ B C+ C F Grade Point (GP): 10 9 8 7 6 5 0 9.2. Absolute Grading System - Grades will be awarded for every subject taking into consideration of marks obtained by the students in a particular subject. This will be done on the basis of absolute grading system. The absolute grading system as adopted is explained below

Grades A+	THEORY 85≤ Marks ≤ 100%,	PRACTICAL 90≤ Marks ≤ 100%,
Α	75≤ Marks < 85%,	82≤ Marks < 90%,
B+	65≤ Marks < 75%,	74≤ Marks < 82%,
В	55≤ Marks < 65%	66≤ Marks < 74%,
C+	45≤ Marks < 55	58≤ Marks < 66%,
С	35≤ Marks < 45	50≤ Marks < 58%,
F	$0 \le Marks < 35\%$	$0 \le Marks < 50\%$,

9.3 Semester Performance Index (SPI)

Performance of a student in ith semester (where i indicates no. of particular semester) is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_t}{D_t}$$

where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without F in any subject, theory or practical.

9.4 Cumulative Performance Index (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 100% weightage. Thus, CPI in i-th will be calculated as

$$[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_i}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_i}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only

the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

9.5 Fail Grade "F"

Additionally, further categorizations of F will be

FI: Failing to appear in ELE and/or EPE due to illness or so but otherwise satisfactory performance thus eligible for re exam in that subject.

FS: Failing in sessionals, i.e. in TA, so repeat the level.

FS: Failing due to shortage of attendance, so repeat the level.

WW: Result withheld due to various reasons.

FA: Failing due to aggregate marks being less than 50% of Academic part and skill part together, so eligible to appear in one or two subjects of Academic part of one's choice.

9.6 Award of class or division.

The class/division awarded to student is hereunder.

Distinction or Honors : 75% ≤ Marks ≤100%

Class I : 65% ≤ Marks < 75%</p>

Class II : 50% ≤ Marks < 65%</p>

- 10. A candidate who fails to secure a minimum of 70% of attendance shall be liable to be detained (Including the concession contained in Clause 5 above) by a general or a special order of the Vice Chancellor or the HOD/Principal as the case may be, from taking level examination and will be required to take readmission in the same level course whenever the level of course commence.
- 11. Condonation of Deficiency in Marks: With a view to moderate hard line cases in the examination, the following rules shall be observed:
 - 11.1. Deficiency up to 5 marks be condoned to the best advantage of the candidate for passing the examination, provided the candidate fails in a maximum of two theory, or one theory and one practical or two practical's. This facility shall be available only to those candidates who clear that particular level examination in full (i.e. in all theory, practicals and sessionals by availing 5 Grace Marks)
 - 11.2. While declaring result of the candidate, no marks shall be added to or subtracted from the aggregate for the deficiency condoned as above. However, he/she will pass the courses (subjects) cleared through clause 12.1 After condoning the deficiency, the candidate's result shall be declared in the division, for which the aggregate obtained by him/her entitles.
 - 11.3. One grace mark will be awarded to the candidate who is failing/mission distinction/missing first division by one mark,

on behalf of the Vice-Chancellor. This benefit will not, however, be available to a candidate getting advantage under clause 12.1.

Retotaling of marks and revaluation

12.1. Retotaling:

- 12.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU forretotaling of the marks for any one or two theory papers.
- 12.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.
- 12.1.3 The work of retotaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totalling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

12.2. Revaluation:

- 12.2.1.A candidate may apply to the Registrar for revaluation of his/her answer books in the prescribed form within 15 days from the declaration of the result of the regular examination. Provided that no candidate shall be allowed to avail the facility of revaluation in no more than two papers. Provided also that no revaluation shall be allowed in case of scripts of practicals, field/skill work, sessional work test and thesis submitted in lieu of paper at the examination.
- 12.2.2.If on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate, as soon as possible through the respective institute.
- 12.2.3. No retotaling or revaluation shall be allowed in case of practicals. Skill test, teacher's assessment and class tests by the University.

13. Placement

- 13.1. Dr. C.V. Raman University will establish appropriate linkages with industry and other service providers so that their products are given acceptability for their appropriate placement.
- 13.2. The University Departments will make effort for Hands on Training under apprenticeship act of Government of India for their Vocational/Skills pass outs.

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY Ordinance No. 15 (Revised) Master Degree in Science (M.Sc.)

- 1.0 General: Ordinance governing the award of the Degree of Master of Science (M.Sc.) of Dr. C.V.Raman University. This ordinance shall be applicable to all the subjects within the Faculties of Sciences.
- 2.0 Courses: The Courses to which the ordinance shall be applicable are Physics, Chemistry, Mathematics, Industrial Chemistry, Botany, Zoology, Environmental Chemistry, Microbiology, Biotechnology or any other subjects/courses as decided by the Board of studies/Academic Council of the University for the purpose of establishing new Departments.
- 3.0 Course Structure: The course structure of each of the Subject shall be as approved by the respective Board of Studies and Academic council and shall have the flexibility of revision or modification on the basis of recent development in respective fields in concerned subjects.
- 4.0 <u>Course Duration</u>: Master of Science degree program shall be of two academic years spread over four semesters. Maximum duration for completion of the course will be four years after that the candidate shall be unfit for the award of degrees.
- 5.0 <u>Semesters:</u>An academic year shall consist of two semesters, each of at least 90 working days. The terms of semesters shall be as follows:

Odd semesters: July/August to October/November.

Even semesters: December/January to April/May.

6.0 Eligibility and Admission: A student may be admitted to any of Master of Science program provided, he/she possesses the minimum eligibility. General eligibility conditions for admission to Master of Science program shall be as per the UGC norms. No student shall be eligible for admission to any Master of Science degree program in any Department unless he/she successfully completed a graduate degree course in the respective/allied discipline or equivalent from any recognized University in India (By the UGC) or any foreign

University securing not less than 50% of marks for General Category & 45% of marks for ST/SC/OBC Category in aggregate.

- 7.0 Number of Seats in the Course: The number of seats in each of the Master of Science program shall remain thirty (30) or as approved by Board of Management/statutory bodies of the University.
- 8.0 Fees: The fees payable by a student shall be such as may be fixed by the University from time to time, subject to any directions from the Government of Chhattisgarh/UGC/CGPURC as the case may be.
- 9.0 <u>Attendance:</u> A Candidate having less than 75% attendance shall not be permitted to appear for the End Semester Examination in course in which the short fall exists. However, it would be open to the Vice-Chancellor to condone to a minimum of 10% shortage from the prescribed 75% attendance for valid reasons.

10.0 Examination and Evaluations:

- 10.1 A student shall be continuously evaluated for his/her academic performance in a course through tutorials, practicals, assignments, seminars and End Semester Examination, as prescribed in the examination scheme of the respective course.
- 10.2 The on the Job Training/Project Dissertation (wherever is applicable) shall normally be evaluated through the quality of work carried out, the report submission and viva/seminar presentation.
- 10.3 The evaluation of the dissertation work will be carried out by a committee constituted and chaired by the Head of the Department and one external expert in the subject/course concerned out of a panel approved by the vice-chancellor.
- 10.4 For successful completion of the end semester examination, a student shall have to secure at least:
 - (a) 36% marks in each theory papers, practicals, project work, dissertation and Assignment.
 - (b) Aggregate marks in each subject will be 40%.

11.0 Award of class or Division: Class or Division shall be awarded in the final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the semester examinations in the following manner:

(a) First class (First Division) with Honors - Marks ≥ 75%

(b) First class (First Division) -60% ≤ Marks < 75%

(c)Second class (Second Division) - 45% ≤Marks<60%

(d) Third class (Third Division) - 40% ≤ Marks < 45%

12.0 Revaluation and Award of Grace marks:

- 12.1 The candidate may apply to the Registrar for revaluation of his/her answer book in the prescribed form within 15 days from the declaration of the result of the regular examination. The revaluation of the answer book will not be applicable for backlog papers. Provided that no candidate shall be allowed to avail the facility of revaluation in more than two papers. Provided further that no revaluation shall be allowed in case of scripts of practicals, field work, sessional work test and thesis submitted in lien of paper at examination.
- 12.2 The vice-chancellor may award one grace mark to the candidate who is either failing or missing the division by one mark. However, grace marks will not be added anywhere.

Note: Not with standing anything stated in this ordinance, for any unforeseen issues arising, and not covered by the ordinance, or in the event of differences of interpretation, the Vice-Chancellor may take a decision and the decision will be bound to all concerned.

Dr. C. V. Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

Ordinance No.-17 (Revised)

Master of Education (M.Ed.)

1.0 General:

The Master of Education (M.Ed) Programme is a two-year professional programme in the field of Teacher Education which aims at preparing teacher educators and other education professionals developers, educational policy analysts, including curriculum supervisors, school principals administrators, planners, researchers. The Master of Education (M.Ed) Programme is designed to provide opportunities for students to extend as well as deepen their knowledge and understanding of Education, specialize in selected areas and also develop research capacities. The objectives of the programme are to develop holistic integrated understanding of the human self and personality, understanding thepsychology of the students, to foster creative thinking among pupils for the reconstruction of knowledge, to develop communication skills and to enable them to undertake Action research and use innovative practices.

2.0 Title: Master of Education(M.Ed.)

3.0 Faculty: Faculty of Education.

4.0 Duration, Working Days & Attendance:

- 4.1 Duration: The M.Ed. Course will be of two academic years with 4 semesters including field attachment for a minimum of 4 weeks and research dissertation. Students shall be permitted to complete the course requirements of the 2 years with a maximum period of 3 years from date of admission to the course/as per NCTE norms from time to time.
- 4.2 Working Days: There shall be at least two hundred working days each year, exclusive of the period of admission and inclusive of Classroom transaction, practicum, field study and conduct of examination.
- 4.3 Attendance: Candidates appearing as regular students for any semester examination is required to attend minimum of 80% attendance for theory paper and 90% for Practical separately in each subject of the course of the study. A deficiency up to 5%

can be condoned by the V.C. of Dr. C.V. Raman University on satisfactory reasons.

5.0 Intake, Eligibility, Admission Procedure & Fees:

5.1 Intake: The basic unit size for the course shell be as per NCTE norms. Multiples of this unit can also, be set up.

5.2 Eligibility:

- ➤ Candidates seeking admission to the M.Ed. course should have obtained at least 50% marks or an equivalent grade in B.Ed., B.A. B.Ed., B.Sc.B.Ed., B.E.B.Ed. Or eligibility criteria as decided by NCTE from time to time.
- The Candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet/Degree certificate during admission.
- Provided further that employed teachers of school sponsored by the government for undergoing M.Ed. course shall be over and above the number specified by the university.
- Reservation & relaxation for SC/ST/OBC/PWD and other application categories shall be as per the rules of Centre at State government whichever is applicable.
- 5.3 Admission Procedure: It shall be as per NCTE norms
 Admission shall be made on merit on the basis of marks
 obtained in the qualifying examination and in the entrance
 examination on any other selection process as per the policy of
 the State Government/Central Government/University.
- 5.4 Fees: The course fees will be decided by the Board of Management of the University or as per recommendation of the fee regulatory committee of Government of C.G. from time to time or as approved by CGPURC.
- 6.0 Medium: The Medium of Instruction and Examination will be Hindi and English.
- 7.0 Teaching Session: In general the teaching session of I & III semester shall run concurrently during July to December and II & IV semester shall run during January to June of each year.
- 8.0 Scheme of Teaching & Examination: The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by DR. C. V. RAMAN University for Master of Education (M.Ed).

9.0 Examination & Evaluation:

9.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by the university. The examination will

- consist of theory paper, practical and viva-voce as per the scheme of examination of that semester.
- 9.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers and laboratory/practical of all semesters.
- 9.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days.
- 9.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.
- 9.5 Notwithstanding anything mentioned elsewhere a candidate will be allowed to appear in maximum four consecutive end semester examination [Main/Supplementary] concurrently.
- 9.6 Time table of End Semester Examination shall be declared 15 days before commencement of the examination.
- 9.7 Preparation Leave A preparation leave of only about 10 days shall precede the main examination of each semester.
- 9.8 Carry Over A candidate shall be allowed to carry over all the subjects, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester she/he shall be required to clear the next ESE only in those subjects (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.0 COURSE, CREDITS, ASSESSMENT AND GRADING

- 10.1 Courses: A programme consists of courses. A 'course' is a component (a paper) of a programme. Every course offered by the University department is identified by a unique course code. A course may be designed to involve; lectures /tutorials /laboratory work/seminar/project work/practical training/report writing/vivavoce, etc. or a combination of these, to meet effectively the teaching and learning needs and the credit may be assigned suitably
- 10.2 Credits: Credit defines the quantum of contents/syllabus prescribed for a course and determines the number of hours of instruction required per week.
 - > 1 credit = 1 hour of lecture per week (1 credit course = 15 hours of lectures per semester)

3 credit=3 hour of lecture per week (3 credit course=45 hours of lectures per semester)

Instruction can take the form of lecture/tutorials/lab work/field work or other forms. In determining the number of hours of instruction required for a course involving laboratory/field work, 2 hours of laboratory/field work is generally considered equivalent to 1 hour of lecture.

10.3 ASSESSMENT AND EVALUATION

Continuous evaluation system will be followed with two components as Internal Assignment (IA) and End Semester Exam (ESE).

GRADING SYSTEM

Absolute grading system will be followed. In every subject, theory or practical, a candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., IA and ESE. These grades will be described by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A course is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C orbetter is obtained in the course.

F B+ B C+ C A+ A Letter Grade (LG): 8 7 6 5 9 10 Grade Point (GP) : Grades will be awarded for every subject, theory and practical separately.

10.4 ABSOLUTE GRADING SYSTEM

The absolute grading system of the type explained below will be adopted for theory and practical subjects

Grades	Theory	Practical
A+	85≤Marks≤100%,	90≤Marks≤100%,
Α	75 <marks <85%,<="" td=""><td>82<u><</u>Marks <90%,</td></marks>	82 <u><</u> Marks <90%,
B+	65 <marks <75%,<="" td=""><td>74<u><</u>Marks <82%,</td></marks>	74 <u><</u> Marks <82%,
В	55 <marks <65%,<="" td=""><td>66<u><</u>Marks <74%,</td></marks>	66 <u><</u> Marks <74%,
C+	45 <marks <55%,<="" td=""><td>58<u><</u>Marks <66%,</td></marks>	58 <u><</u> Marks <66%,
С	40 <marks <45%,<="" td=""><td>50<u><</u>Marks <58%,</td></marks>	50 <u><</u> Marks <58%,
F	0 <marks <40%,<="" td=""><td>0<marks <50%,<="" td=""></marks></td></marks>	0 <marks <50%,<="" td=""></marks>

22222222222

Thus letter grades A+, A, B+, B, C+, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner

10.5 SEMESTER PERFORMANCE INDEX (SPI)

Performance of a student in ith semester (where i indicates no. of particular semester) is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

$$[SPI]_{l} = \frac{[C_{1}G_{1} + C_{2}G_{2} + \cdots]_{l}}{[C_{1} + C_{2} + \cdots]_{l}} = \frac{[\Sigma CG]_{l}}{[\Sigma C]_{l}} = \frac{N_{l}}{D_{l}}$$

where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without F in any subject, theory or practical.

CUMULATIVE PERFORMANCE INDEX (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 100% weightage. Thus, CPI in i-th will be calculated as

$$[CPI]_{i} = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_{i}}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_{i}}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

11.0 Allocation of Division

The classification of division will be as under.

I Division - 60% and above

II Division - 40% and above but less than 60%

Below 40% will be declared as failed.

In each theory paper& Practical/training the candidate should obtain at least40% marks \$50% marks respectively.

12.0 Retotaling:

- 12.1 Any candidate who has appeared in an examination may apply to the University for re-totaling of the marks for any one or two theory papers.
- 12.2 Such application must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective department in which the candidate is studying.
- 12.3 The work of retotaling i.e. Re-totaling does not include reexamination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

13.0 Revaluation:

- 13.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.
- 13.2 Such application must be made on the prescribed from along with the requisite fee within 15 days from the days of declaration of the result.
- 13.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the university. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.
- 13.4 No re-totalling or revaluation shall be allowed in case of practical's examination.
- 14.0 Guidelines for Dissertation Work: The students are required to complete his/her dissertation work in III & IV semester. During these semesters the candidate shall devote himself for the research work in connection with any of the aspects of Education relevant to the course selected and assigned to him by the head of the department concerned in the Institute/University. At the end of the IV semester the candidate shall submit three typed or printed copies of the Dissertation written by him, to the University through the Director/Principal of the Institute, accompanied by the certificate from

the Head of the Department and the Supervisor to the effect that it embodies actual work carried out by the candidate and that the work has not been submitted earlier in part or full for the award of any other deree. For the conduct of the Dissertation, the ratio of the faculty students for the guidance and mentoring shall be 1:5.

15.0 Interpretation:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/ parties concerned.

In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of District Court, Bilaspur (C.G.)

Dr. C. V. Raman University Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

Ordinance No.-18 (Revised)

Bachelor of Education (B.Ed.)

1.0 General:

The Bachelor of EducationProgramme, generally known as B.Ed. is a two-year professional programme in the field of Teacher Education which aims at preparing teachers for upper primary or middle level, secondary level and senior secondary level. The Bachelor of Education (B.Ed.) Programme is designed to provide opportunities for students to extend as well as deepen their knowledge and understanding of Education, specialize in selected areas and also develop action research capacities. The objectives of the programme are to develop holistic integrated understanding of the human self and personality, understanding thepsychology of the students, to foster creative thinking among pupils for the reconstruction of knowledge, to develop communication skills and to enable them to undertake action research and use innovative practices.

- 2.0 Title: Bachelor of Education(B.Ed.)
- 3.0 Faculty: Faculty of Education.
- 4.0 Duration, Working Days & Attendance:
 - 4.1 **Duration**: The B.Ed. Course will be of two academic years with 4 semesters including School Internship for 4 weeks in the first year and 16 weeks in the second year of the course. Students shall be permitted to complete the course requirements of the 2 years with a maximum period of 3 years from date of admission to the course/as per NCTE norms from time to time.
 - 4.2 Working Days: There shall be at least two hundred working days each year, exclusive of the period of admission and inclusive of Classroom transaction, practicum, field study and conduct of examination.
 - 4.3 Attendance: Candidates appearing as regular students for any semester examination is required to attend minimum of 80% attendance for theory paper and 90% for Practical separately in each subject of the course of the study. A deficiency up to 5% can be condoned by the Vice chancellor of the University on satisfactory reasons.

5.0 Intake, Eligibility, Admission Procedure & Fees:

5.1 Intake: The basic unit size for the course shall be 50.
Multiples of this unit can also, be set up.

5.2 Eligibility:

- Candidates seeking admission to the B.Ed. course should have obtained at least 50% marks either in the Bachelor's Degree or in the Master's Degree in Sciences/Social Sciences/Humanity/Commerce, Bachelor's in Engineering or Technology with specialisation in Science and Mathematics with atleast 55% marks or any other qualification equivalent there to, are eligible for admission to the programme or as per eligibility criteria decided by NCTE from time to time.
- > The Candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet/Degree certificate during admission.
- Provided further that employed teachers of school sponsored by the government for undergoing B.Ed. course shall be over and above the number specified by the university.
- > Reservation relaxation for SC/ST/OBC/PWD. and other application categories shall be as per the rules of Centre/State government whichever is applicable.
- 5,3 Admission Procedure: Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and in the entrance examination on any other selection process as per the policy of the State Government/Central Government/University.
- 5.4 Fees: The course fees will be decided by the Board of Management of the University or as per recommendation of the fee regulatory committee of Government of C.G. from time to time.
- 6.0 Medium: The Medium of Instruction and Examination will be in Hindi and English.
- 7.0 Teaching Session: In general the teaching session of I & III semester shall run concurrently during July to December and II & IV semester shall run during January to June of each year.
- 8.0 Scheme of Teaching & Examination: The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by the University for Bachelor of Education (B.Ed).
- 9.0 Examination & Evaluation:
 - 9.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of

- theory paper, practical and viva-voce as per the scheme of examination of that semester..
- 9.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers and laboratory practical of all semesters.
- 9.3 The duration of examination period shall not exceed 25 working days.
- 9.4 A candidate getting detained due to shortage of attendance in a particular semester will have to repeat the same semester as a regular candidate.
- 9.5 Notwithstanding anything mentioned elsewhere a candidate will be allowed to appear in maximum four consecutive end semester examination [Main/Supplementary] concurrently.
- 9.6 Time table of End Semester Examination should be declared 15 days before commencement of the examination.
- 9.7 Preparation Leave A preparation leave of only about 10 days shallprecede the main examination of each semester.
- 9.8 Carry Over A candidate shall be allowed to carry over all the subjects, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester she/he shall be required to clear the next ESE only in those subjects (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

10.0 COURSE, CREDITS, ASSESSMENT AND GRADING

- 10.1 Courses: A programme consists of courses. A 'course' is a component (a paper) of a programme. Every course offered by the University department is identified by a unique course code. A course may be designed to involve; lectures /tutorials /laboratory work/seminar/project work/practical training/report writing/vivavoce, etc. or a combination of these, to meet effectively the teaching and learning needs and the credit may be assigned suitably
- 10.2 Credits: Credit defines the quantum of contents/syllabus prescribed for a course and determines the number of hours of instruction required per week.
 - > 1 credit = 1 hour of lecture per week (1 credit course = 15 hours of lectures per semester)
 - 3 credit=3 hour of lecture per week (3 credit course=45 hours of lectures per semester)

Instruction can take the form of lecture/tutorials/lab work/field work or other forms. In determining the number of hours of

instruction required for a course involving laboratory/field work, 2 hours of laboratory/field work is generally considered equivalent to 1 hour of lecture.

10.3 ASSESSMENT AND EVALUATION

Continuous evaluation system will be followed with two components as Internal Assignment (IA) and End Semester Exam (ESE).

GRADING SYSTEM

Absolute grading system will be followed. In every subject, theory or practical, a candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., IA and ESE. These grades will be described by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A course iscompleted successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C orbetter is obtained in the course.

Letter Grade (LG):	A+	A	B+	В	C+	С	F
Grade Point (GP)							

Grades will be awarded for every subject, theory and practical separately.

10.4 ABSOLUTE GRADING SYSTEM

The absolute grading system of the type explained below will be adopted for theory and practical subjects

Grades	Theory	Practical
A+	85 <u><</u> Marks <u><</u> 100%,	90 <u><</u> Marks <u><</u> 100%,
Α	75 <u><</u> Marks <85%,	82 <u><</u> Marks <90%,
B+	65 <marks <75%,<="" th=""><th>74<u><</u>Marks <82%,</th></marks>	74 <u><</u> Marks <82%,
В	55 <u><</u> Marks <65%,	66 <u><</u> Marks <74%,
C+	45 <marks <55%,<="" th=""><th>58<u><</u>Marks <66%,</th></marks>	58 <u><</u> Marks <66%,
С	35 <marks <45%,<="" th=""><th>50<u><</u>Marks <58%,</th></marks>	50 <u><</u> Marks <58%,
F	0 <u><</u> Marks <35%,	0 <u><</u> Marks <50%,

Thus letter grades A+, A, B+, B, C+, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner

10.5 SEMESTER PERFORMANCE INDEX (SPI)

Performance of a student in ith semester (where i indicates no. of particular semester) is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without F in any subject, theory or practical.

CUMULATIVE PERFORMANCE INDEX (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 100% weightage. Thus, CPI in *i*-th will be calculated as

$$[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_i}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_i}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

1.1.0 Allocation of Division

The classification of division will be as under.

I	Division	-	60% and above
II	Division	-	45% and above but less than 60%
Ш	Division	-	35% and above but less than 45%
			Below 35% will be declared as failed.

In each theory paper & practical/training the candidate should obtain at least 35% & 50%marks respectively.

12.0 Retotaling:

- 12.1 Any candidate who has appeared in an examination may apply to the University for re-totaling of the marks for any one or two theory papers.
- 12.2 Such application must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective principal of the institution in which the candidate is studying.
- 12.3 The work of re-totaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in retotaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

13.0 Revaluation:

- 13.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.
- 13.2 Such application must be made on the prescribed from along with the requisite fee within 15 days from the days of declaration of the result.
- 13.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notifies by the university. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.
- 13.4 No re-totalling or revaluation shall be allowed in case of practical examination.
- 14.0 Guidelines for School Internship: School Internship would be a part of the board curricula area of "Engagement with the Field" and shall be designed to lead to development of a broad repertoire of perspectives, professional capacities, teacher sensibilities and skills. The curriculum of B.Ed. shall provide for sustained engagement with learners and the school (including engaging in continuous and comprehensive assessment form learning), hereby creating a synergy

with schools in the neighbourhood throughout the year. Students-teacher shall be equipped to cater to diverse needs of learners in schools. Students are to be actively engaged in teaching for 4 weeks in the first year and 16 weeks in the final year of the course. Internship in schools will be for a minimum duration of 20 week for a two-year programme. This should also include, besides practice teaching, an initial phase of one week for observing a regular classroom with a regular teacher and would also include peer observation, teacher observations and faculty observations of practice lessons.

15.0 Interpretation:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/ parties concerned.

In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of District Court, Bilaspur(C.G.)

DR.C.V.RAMAN UNIVERSITY Ordinance No.29 (Revised) Bachelor of Engineering/Technology (B.E./B.Tech.)

1.0 GENERAL:

The first degree in Engineering / Technology of four year (Eight Semester) Course hereinafter called 4- year degree course, shall be designated as 'BACHELOR OF ENGINEERING / BACHELOR OF TECHNOLOGY' in respective Branch. This degree of B.E. / B. Tech. shall include the Branches of Engineering / Technology prevalent in the Dr.C.V.Raman Institute of Science & Technology. The Result of examination of the B.E. / B. Tech. course shall be on the basis of percentage as well as credit system.

2.0 ADMISSION:

- 2.1 The minimum qualification for admission to the first year B.E. / B. Tech. shall be the passing of Higher Secondary School Certificate Examination (10+2) scheme with Physics, Chemistry and Mathematics Conducted by C.G. Board of Secondary Education or any other equivalent examination from recognized Board or University.
- 2.2 Candidates who have passed the Diploma Course in related branch of engineering form a recognized Board of Technical Education/University, shall also be eligible for admission to first semester of B.E. course, provided they are domicile of Chhattisgarh.
- 2.3 Candidates who have passed the Diploma Examination with at least 50% marks from a recognized Board of Technical Education/University in appropriate branch of engineering shall be eligible for admission to the Third semester (second year of 4-YDC) on lateral entry mode.
- 2.4 Candidates who have passed B.Sc. (Bachelor of Science) with at least 50% marks and with Mathematics as one of the major subject from the combination, from a recognized university, shall also be eligible for admission to the 3rd semester(2nd year YDC) on lateral entry mode.
- 2.5 Non-Resident Indian (NRI) candidates shall also be eligible for admission to B.E. as according to the directives of the Government of Chhattisgarh, provided they satisfy the criterion of clause 2.1 above.

2.6 The eligible candidates as specified in clause 2.1 and 2.2 above should secure place in the merit list of CG-PET/AIEEE, for admissions to B.E./B.Tech. In general, the admissions to B.E./B.Tech. course shall be governed by the rules by Directorate of Technical Education or any other competent authority of the State Government of Chhattisgarh. The University may also conduct its own entrance test for admission to the engineering courses

2.7 Seats: The basic unit will be that of 60 seats. Multiples of this unit can also be setup.

2.8 Fees: the course fees will be decided by the Board of Management of the University, or as per recommendation of the fee fixation committee CG Govt.(time to time)]

2.9 **Medium**: The medium of instructions and examination can be Hindi or English. The subjects shall be taught in a regular mode. Regular theory and practical classes will be conducted in which 75% attendance would be necessary.

2.10 Transfer Candidate: Transfer candidate from any other recognised University/Institute shall be eligible for admission to B.E. Program, subject to the approval of Board of studies.

3.0 TEACHING SESSION:

In general the teaching sessions of I, III, V & VII (odd) semester shall run concurrently from July to December, and those of II, IV, VI and VIII (even) semester shall run concurrently from January to June each year.

- 3.1 There shall be teaching in every semester as per norms.
- 3.2 A candidate may provisionally continue his / her studies in higher semester class after the examination of the semester he / she appeared is over. However, his / her eligibility shall be evaluated, as per clause 4.5, only after the results of semester are declared at which he / she had appeared.
- 3.3 Duration- B.E. / B. Tech. course shall be of minimum/Maximum duration of 4/7 years.
- 3.4 Unit system of Teaching— The syllabus of each subject shall be divided infive units. The theory examination papers shall contain questions from each unit.
- 3.5 Units of Measurement- All the teaching and paper setting shall be done in S.I. Units (International system of units)
- 3.6 Vocational practical Training— It shall be mandatory for each student to complete a vocational practical training of minimum 4 weeks

duration (in maximum two stretches) during vacation.

- 3.7 **Scheme of Teaching** The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by Dr. C.V.Raman University for various branches of Engineering / Technology.
- 3.8 Attendance— Candidate appearing as regular student for any semester examination is required to attend minimum of 75% of the lecture & practicals & tutorial classes held separately in each subject of the course of study. A deficiency up to 5% can be condoned by the Vice-Chancellor of Dr. C.V.Raman University on satisfactory reasons.
- 3.9 Extra Ordinary Long Absence— Any student who does not participate in the academic activities of the faculty of Engineering & Technology of this University for a period exceeding two years at a stretch shall neither be permitted to appear in any subsequent examinations nor shall be admitted or promoted to any semester and shall cease to be a student of this University. Participation in academic activities shall mean attending Lectures, Tutorials, Practical, appearing in a main or supplementary examination etc. as a regular student. Absence from the campus on medical grounds must be supported with leave applications submitted at intervals of not more than 3 months.

4.0 EXAMINATIONS:

- 4.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester conducted by CVRU. The examination will consist of theory paper, Laboratory practical and viva-voce as per the scheme of examination of that semester. The semester examinations will generally be held in the month of November-December and April May in each year.
- 4.2 There shall be a full examination at the end of each semester consisting of theory papers and laboratory practical of all semesters.
- 4.3 The duration of examination period should not exceed 25 working days.
- 4.4 A student detained on account of short attendance in a particular semester shall have to repeat the same semester as a regular candidate.
- 4.5 Not with standing anything mentioned elsewhere a student will be allowed to appear in maximum four consecutive end semester examinations (Main / Supplementary) concurrently.
- 4.6 End Semester Examination time table should be declared 15 days before commencement of examination.
- 4.7 Preparation Leave A preparation leave of about 10 days shall precede the main examination of each semester.
- 4.8 Carry Over-A candidate shall be allowed to carry over all the subjects, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester She/he shall

be required to clear the next ESE only in those subjects (theory/practical) in which he was awarded WH or FF grades.

4.9 If a candidate is failing in any one or more TA (Teacher's Assessment), he/she will not be eligible to appear in ESE (End Semester Exam) thus will have to repeat the semester.

5.0 PASSING EXAMINATIONS:

5.1 Basis of Marks:

5.1.1 The performance of a candidate in each semester shall be evaluated subject – wise, there shall be Class Test (CT) and End Semester Examination (ESE) and Teacher's Assessment (TA) for each theory paper and ESE and TA for each practical with the following distribution and passing standards, i.e. theory and sessional.

Nam	ne of Examination	Minimum Passis	ng mar
(I)	Teacher's Assessment(TA) of		
, ,	Theory & Practical		60%
(II)	Class test (CT) Theory		Nil
(III)	End semester Exam (ESE)		
	Theory		r35%
	Practical		150%
(IV)	Total of ESE, CT & TA in		
	Theory	有数据员员保险员 医骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨	∫35%
	Practical		Ղ50%
(V)	Overall Aggregate		50%

The sessional chart will be reviewed & checked by the Director/Principal and will be forwarded to exam section.

- 5.1.2 For the evaluation of end semester examination in Practical, one external examiner shall always be there from outside the Institution/ CVRU and one internal examiner from the Institution/CVRU.
- 5.1.3 If a candidate has passed a semester examination in all the subjects and practical's, he / she shall not be permitted to reappear in that examination for improvement in division / marks.

5.2Basis of Credits:

- 5.2.1 Credit = {L+ (T+P)/2}, where L = Lecture per week,T = Tutorial per week, P = Practical per week. Credit in a subject will be an integer, not in a fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction it will be taken as next integer number.
- 5.2.2 A candidate shall earn all the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

5.3 Promotion To Higher Semester:

5.3.1 A candidate may provisionally continue his/her studies in higher semester class after the examinations of the semester he/she appeared is over.

6.0 ASSESSMENT AND GRADING:

6.1 Mode of Assessment and Evaluation

Continuous evaluation system will be followed with three components as Class Test (CT), Teacher's Assessment (TA) and End Semester Exam (ESE). To make TA more objective one, it shall depend upon attendance, home assignments, take home test, closed and open book tests, group assignments, class performance, viva-voce, quizes etc. Similarly, there will be atleast one class test of each theory subject in each semester, the results of which will be shown to the class students along with test answer books.

6.2 Grading System

Percentage as well as absolute grading system will be followed. In every subject, theory or practical, a candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., TA, CT and ESE. These grades will be described by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A course is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C or better is obtained in the course.

Grades will be awarded for every subject, theory and practical separately. This will be done as described below.

6.3. Absolute Grading System

The absolute grading system of the type explained below will be adopted for theory and practical subjects

Grades	*	THEORY		PRACTICAL
A+	85	≤ Marks ≤ 100%,	90	≤ Marks ≤ 100%,
A	75	≤ Marks < 85%,	82	≤ Marks < 90%,
B+	65	≤ Marks < 75%,	74	≤ Marks < 82%,
В	55	≤ Marks < 65%	66	≤ Marks < 74%,
C+	45	≤ Marks < 55	58	≤ Marks < 66%,
C	35≤	Marks < 45	50	≤ Marks < 58%,
F	0 ≤ 1	Marks < 35%,	$0 \le M$	arks < 50%,

Thus letter grades A⁺, A, B⁺, B, C⁺, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner.

6.4 Fail Grade "F"

Additionally, further categorizations of F will be

FF: Failing in any theory/practical subject.

FS: Failing in sessionals, i.e. in TA, so repeat the Semester

WH: Result withheld due to various reasons.

FA: Failing due to aggregate marks being less than 50% of total

marks, so eligible to appear in one or two subjects

(theory/practical) of one's choice.

6.5 Semester Performance Index (SPI)

Performance of a student in ith semester is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

$$[SPI]_{i} = \frac{[C_{1}G_{1} + C_{2}G_{2} + \cdots]_{i}}{[C_{1} + C_{2} + \cdots]_{i}} = \frac{[\Sigma CG]_{i}}{[\Sigma C]_{i}} = \frac{N_{i}}{D_{i}}$$

Where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without Failing in any subject, theory or practical.

 N_i is $[\sum CG]_i$ & D_i is $[\sum C]_i$

6.6 Cumulative Performance Index (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 10% weightage of I and II semester, 20% weightage of III & IV marks, 30% weightage of V & VI semester marks & 100% weightage of VII & VIII semester marks. Thus, CPI in i-th semester with "i" greater than 2 will be calculated as

$$[CPI]_{l} = \frac{0.1(N_{1} + N_{2}) + 0.2(N_{3} + N_{4}) + 0.3(N_{5} + N_{6}) + (N_{7} + N_{8})}{0.1(D_{1} + D_{2}) + 0.2(D_{3} + D_{4}) + 0.3(D_{5} + D_{6}) + (D_{7} + D_{8})}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

6.7 Award of class or Division

6.7.1 The class/division awarded to a student with B.E./B.Tech. Degree is decided by the student's Percentage of Marks as per the following table

Distinction or Honors

: 75% ≤ Marks ≤100%

> Class I

: 65% ≤ Marks < 75%

Class II

: 50% ≤ Marks < 65%

- 6.7.2 Division shall be awarded only after the final semester examination, based on integrated performance of the candidate for all the four years.
- 6.7.3 No candidate shall be declared to have passed the final B.E. unless he/she has fully passed all the previous examinations of the eight semesters. The results of the eighth and final semester of those candidates who have not passed examination of any previous semester will be withheld. They, however, will be informed about the deficiency. He/she shall be deemed to have passed the final B.E. examination in the year in which he/she clears all the examinations of all eight semesters
- 6.7.4 Evaluation of integrated performance shall be on the basis of scheme of weightage marks added to the total score of the candidate as shown below:

I and II semesters I Year 10% of I year marks.

III and IV semesters II year 20% of II year marks.

V and VI semester III year 30% of III year marks.

VII and VIII semester IV year 100% of IV year marks.

6.7.5 For evaluation of integrated performance for the diploma/B.Sc holders, who have been admitted directly in the IIIrd semester, the weightage of marks added to the total score of the candidate will be as shown below:

i). III and IV semester Second year
 ii). V& VI semester third year
 iii). VII & VIII semester Fourth year
 20% of II year marks
 30% of IV year marks

6.8 Transcript

The transcript issued to a student after completion of the course will contain consolidated record of all the courses taken by the student, grades obtained and the final CPI with class or division obtained.

7 RETOTALING OF MARKS AND REVALUATION

7.1 Retotaling:

7.1.1 Any candidate, who has appeared in an examination conducted by the University, may apply to the CVRU for retotaling of the marks for any one

or two theory papers.

- 7.1.2 Such applications must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective Principals of the Institution in which the candidate is studying.
- 7.1.3 The work of re-totaling i.e. Re-totaling does not include reexamination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer.

7.2 Revaluation:

- 7.2.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.
- 7.2.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.
- 7.2.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be notified by the University. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.

7.3 No re-totaling or revaluation shall be allowed in case of practicals. 8.0 MERIT LIST:

- 8.1 Merit list of top 5 candidates in the order of merit shall be declared at the end of each semester in each branch from amongst the candidates who have been declared as passed in first attempt.
- 8.2 Branch wise final merit list shall be declared by the University only after the main examination of the eighth (final) semester for B.E. / B. Tech. degree, on the basis of the integrated performance of all the four years. The merit list shall include the first 3 candidates securing First division in first attempt.
- 8.3 Merit List will be declared after the declaration of Revaluation results, if any.
- 8.4 The Kulpati shall award one grace mark to the candidate who is either failing or missing the division by one mark. However, it will not be added anywhere

9.0 INTERPRETATION:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of thisordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding onthe student/candidate/parties concerned.

DR.C.V.RAMAN UNIVERSITY Ordinance No.30 (Revised) Master of Engineering / Technology (M.E./M.Tech)

This ordinance shall apply to all programs leading to Master's degree Engineering/Technology.

- leading to the degree of master of Engineering/Technology (M.E./M.Tech.) of the University shall be divided into four semesters in the case of full time candidates and six semesters in the candidates. Each semester would approximately be of six months duration including vacation/preparatory leave / Examination / Industrial Training etc.
 - 2. **ADMISSION:** Every applicant for admission to M.E./M.Tech. first semester shall have passed B.E./B.Tech./M.C.A/M.Sc. or equivalent examination in appropriate branch with atleast 55% or equivalent marks/grads in the aggregate final year examination.
 - 2.1 Applicants for full time course are required to possess a valid GATE Score. GATE is not compulsory for part time and sponsored full time/part time candidates.
 - 2.2 The sponsored candidates must have at least two years experience in the relevant field after passing the qualifying examination.
 - 2.3 If there are vacant seats still available for admission to M.E./M.Tech. courses in the University/Institutes, they may be filled in from the direct candidates strictly on merit basis, who otherwise shall fulfill the minimum qualification criterion specified for admission to M.E./M.Tech.

3. ATTENDANCE:

0000000000000

3.1 Candidates appearing as regular students for any semester examination shall be required to attendance at least 75 % of lectures delivered and of the practices held, separately in each paper, provided that a short fall in attendance upto 5 % can be condoned by the Vice Chancellor of the University for Satisfactory Reasons. 3.2 The maximum duration of the course shall be four years in case of regular candidates and six years for the candidates in part time mode.

4. EXAMINATION AND EVALUATION:

- 4.1 There shall be two University examinations each year. The first around Dec./Jan. and the second around May/June. The first Dec./Jan. examination shall be the main examination for first, third and fifth semesters and supplementary examination for second and fourth semesters. The May/June examination shall be the main examination for second, fourth and sixth semesters and supplementary examination for first, third and fifth semesters.
- 4.2 An examinee who fails to obtain minimum marks/grades in not more than two theory paper(s)/Practical(s)/Viva Voce at any of the semester examinations shall be declared to have obtained A.T.K.T. (allowed to keep term). Such examinee may be admitted provisionally to the class for next higher semester. In case he/she fails to clear the backlog in the A.T.K.T. examination (in two attempts) he/she shall be treated as fail.
- 4.3 A candidates failing in more than two theory papers or practicals / Viva voce in any semester examination shall be treated as fail.
- 4.4 The candidate failing in the final (fourth in case of full time and six in case of part time) semester examination may seek re admission in the semester. However he/she shall submit his/her dissertation after necessary improvement and/or modification return dissertation on a different topic suggested by the head of the department in the University/Institute.

4.5

- Dissertation thesis should be accompanied with at least one published research paper (In Journals/Conferences/Seminars etc.) for the candidates in both regular and part time mode.
- > Thesis will be examined by external examiner.

Grade will be awarded as per rule.

- 4.6 Minimum pass marks for each subject in each semester shall be as under:
- 4.6.1 Each written theory paper 40% of the total marks allotted to that paper.
- 4.6.2 Each practical examination-50% of the total marks allotted to practical.
- 4.6.3 Each sessional /TA -60%.
- 4.6.4 Class test No restriction for minimum pass marks.
- 4.6.5 Total aggregates marks-50%. In case of short of aggregate candidate free to appear in one theory or practical examination to fulfill the aggregate.
- 5. AWARD OF DIVISION: Division shall be awarded in the final semester examination based on integrated performance of the candidate for all the semester examinations in the following manner:
 - 5.1 First class (First Division) with Honors Marks ≥ 75%
 - 5.2 First class (First Division) 65% ≤ Marks < 75%
 - 5.3 Second class (Second Division) 50% ≤Marks<65%
- 6. ASSESSMENT AND GRADING
- 6.1 MODE OF ASSESSMENT AND EVALUATION

Continuous evaluation system will be followed with three components as Class Test (CT), Teacher's Assessment (TA) and End Semester Exam (ESE).

GRADING SYSTEM

Absolute grading system will be followed. In every subject, theory or practical, a candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., TA, CTs and ESE. These grades will be described by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A course

iscompleted successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C orbetter is obtained in the course.

Grades will be awarded for every subject, theory and practical separately.

6.2 ABSOLUTE GRADING SYSTEM

The absolute grading system of the type explained below will be adopted for theory and practical subjects

Grades	Theory	Practical
A+	85 <marks<100%,< td=""><td>90≤Marks≤100%,</td></marks<100%,<>	90≤Marks≤100%,
A	75 <marks <85%,<="" td=""><td>82<u><</u>Marks <90%,</td></marks>	82 <u><</u> Marks <90%,
B+	65 <u><</u> Marks <75%,	74 <u><</u> Marks <82%,
В	55 <u><</u> Marks <65%,	66 <u><</u> Marks <74%,
C+	45 <u><</u> Marks <55%,	58 <u><</u> Marks <66%,
С	40 <u><</u> Marks <45%,	50 <u><</u> Marks <58%,
F	0 <u><</u> Marks <40%,	0 <marks <50%,<="" td=""></marks>

Thus letter grades A+, A, B+, B, C+, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner

6.3 SEMESTER PERFORMANCE INDEX (SPI)

Performance of a student in i^{th} semester (where i indicates no. of particular semester) is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

O

O

0

O

U

 $[SPI]_{i} = \frac{[C_{1}G_{1} + C_{2}G_{2} + \cdots \dots]_{i}}{[C_{1} + C_{2} + \cdots \dots]_{i}} = \frac{[\Sigma CG]_{i}}{[\Sigma C]_{i}} = \frac{N_{i}}{D_{i}}$

where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without F in any subject, theory or practical.

CUMULATIVE PERFORMANCE INDEX (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 100% weightage. Thus, CPI in i-th will be calculated as

$$[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_i}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_i}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

7. GUIDELINES FOR PROJECT WORK: The fourth semester for the full time candidates and sixth semester in the case of part time candidate shall be the major project semester. During this semester the candidate shall devote himself for the research work in connection with any of the aspects of technology relevant to the course selected and assigned to him by the head of the department concerned in the Institute/University. At the end of the semester the candidate shall submit three typed or printed copies of the major project reports written by him, to the University through the Director/Principal of the Institute, accompanied by the certificate from the Head of the Department and the Project Supervisor to the effect that it embodies actual work carried out by the candidate and that the work has not been submitted earlier in part or full for the award of any other degree.

8. **COMPLETION OF COURSE:**

8.1 A Candidate on successfully completion of the first three semester of full time course or the first five semesters of part time course shall be eligible for the award of a Post Graduate Diploma in Engineering (PGDipE) if he/she withdraws from course or fails to submit his/her project report within the maximum span of the course. Division shall be assigned in Post Graduate Diploma as per the scales laid down in clause no.5.

- A candidate who possesses a Post Graduate Diploma in Engineering of the University shall be eligible for admission to the fourth semester in case full and sixth semester in case of part time for the purpose of completing the course, leading to the Master's Degree in Engineering/Technology. Provided that immediately after the declaration of the results of the final semester examinations and before conferment of the Degree of (ME/M.Tech) the candidate shall surrender to the University the Post graduate Diploma he possesses.
- 8.3 A candidate who has discontinued the course during any semester may, on the recommendation of the Director/Principal of the Institute be permitted to take readmission to the course at the beginning of the semester concerned in a subsequent in a year except in case where he has obtained the post graduate diploma as 9.1.

9.0 RULES FOR REVALUATION/RETOTALLING OF MARKS/GRACE MARKS

9.1 A regular candidate may apply to the Registrar for revaluation of his/her answer books in the prescribed form within 15 days from the declaration of the result of the regular examination. The revaluation of the answer book will not be applicable for backlog papers.

Provided that no candidate shall be allowed to avail the facility of revaluation in more than two papers.

Provided also that no revaluation shall be allowed in case of scripts of practicals, field work, sessional work tests and thesis submitted in lieu of paper at the examination.

- 9.2 All such applications must be accompanied by a prescribed fee for revaluation of each paper and for retotaling in each paper to be paid.
- 9.3 No candidate shall be entitled to a refund of the fee unless, as a result of the scrutiny, a mistake affecting his examination result is published and detected. If a candidate deposits excess fees, the same will not be refunded.

U O 0 U

U

U

Ü

- 9.4 No candidate shall be allowed to get more than two subjects answer books of one examination revalued. If a candidate mentions more than two subjects in his/her application then only first two courses (subject) shall be revalued and no action will be taken on rest of the courses (subjects).
- 9.5 No revaluation shall be allowed in case of practicals, teacher's assessment work and progressive tests.
- 9.6 If, on retotaling and revaluation a mistake in the result originally published is detected, necessary correction shall be published in a supplementary list. In all other cases, the result of the retotaling shall be communicated to the candidate, as soon as possible through the officer who has forwarded his application.
- 9.7 The work of retotaling does not include re-examination of the answer books. It is done with a view to see whether there has been any mistake in totaling the marks assigned to individual questions or in the form of omitting the marks assigned to any question.
- 9.8 The Kulpati shall award one grace mark to the candidate who is either failing or missing the division by one mark. However, it will not added anywhere.
- 10.0 **NOTIFICATION OF RESULT**: In the notification declaring the result of the final semester examination for the degree of M.E./M.Tech., the name of the first five candidates in order of merit in each post graduate course shall be notified by the University separately for full time and the part time courses.

Note: Notwithstanding anything stated in this Ordinance, for any unforeseen issues arising, and not covered by the Ordinance, or in the event of differences of interpretation, the Vice-Chancellor may take a decision and the decision will be bound to all concerned.

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY Ordinance No. 32 (Revised) Master of Philosophy (M.Phil.)

- 1.0 General: The Master of Philosophy (M.Phil.) programme will provide an opportunity to the student to undertake advance studies in the subject in which he/she has already acquired post-graduation. The programme shall serve as a bridge course leading to the Ph.D. programme in the same subject.
- 2.0 Admission: A candidate may be admitted to M.Phil. programme provided he/she possesses the minimum eligibility and also qualifies for the program as per the merit list prepared on the basis of Combined Entrance Test (CET) conducted by the University as per rules.
- 3.0 Eligibility: Master Degree in relevant subject with at least 55% marks (50% marks in case of SC/ST/OBC candidates).
- 4.0 **Duration of Course:** M.Phil programme shall be for a minimum duration of two(02) consecutive semester/one year and a maximum of four(04) consecutive semester/two years.
- 5.0 Fees: The fees payable by a candidate shall be such as may be fixed by the Board of Management of the University time to time, subject to any direction from the Government of Chhattisgarh/UGC thereon.
- 6.0 Attendance: Candidates appearing as regular students for any semester examination shall be required to attendance at least 75% provided that a short fall in attendance up to 5% can be condoned by the Vice-Chancellor of University for satisfactory reasons.

7.0 Examination and Evaluation:

- 7.1 There shall be two University examinations each year. The first around December/January and the second May/June.
- 7.2 A candidate failing in more than two courses(Subject) either theory or practical in semester examination shall be treated as fail.
- 7.3 A candidate who fails to obtain minimum marks/grades in not more than two theory papers/practical/viva-voce at any

() ()

()

U

O

U

of the semester examination shall be declared to have obtained A.T.K.T. (allowed to keep term). Such candidate may be admitted provisionally to the class for the next higher semester. In case he/she fails to clear the backlog in the A.T.K.T. examination (in two attempts) he/she shall be treated as fail.

- 7.4 The candidate failing in the final (2nd) semester examination may seek readmission in the semester, however he/she shall submit his/her dissertation after necessary improvement and/or modifications return dissertation on a different topic suggested by the head/supervisor of the department in the University.
- 7.5 Dissertation thesis should be accomplished with at least one published research paper (In Journals/conference/seminars/etc.)
- 7.6 Thesis will be examined by external examiner.
- 7.7 Minimum pass marks for each subject in each semester shall be as under:
 - (a) Each course (Theory + Assignment) will be 40%.
 - (b) Each practical (Exam + viva-voce) will be 50%.
 - (c) Dissertation (Thesis + viva-voce) will be 50%.
 - (d) Total aggregate in each semester will be 50%.

In case of short of aggregate candidate free to appear in one theory or practical examination to fulfill the aggregate.

- 8.0 Award of class or Division: Class or division to a candidate is decided by the percentage of marks as per the following:
 - 8.1 Distinction with Honors 75%≤ Marks ≤ 100%
 - 8.2 Class I (first Division) 60% ≤ Marks < 75%
 - 8.3 Class II (Second Division) 50% ≤ Marks < 60%

9.0 Revaluation and Award of Grace marks:

9.1 The candidate may apply to the Registrar for revaluation of his/her answer book in the prescribed form within 15 days from the declaration of the result of the regular examination. The revaluation of the answer book will not be applicable for back log papers. Provided that no candidate shall be allowed to avail the facility of revaluation in more than two papers. Provided also that no revaluation shall be allowed in case of scripts of practicals, field work, sessional work test and thesis submitted in lien of paper at examination.

9.2 The vice-chancellor shall award one grace mark to the candidate who is either failing or missing the division by one mark. However, it will not added anywhere.

10.0 Guide lines for Dissertation work:

The second semester is the Dissertation work Semester. During this semester the candidate shall devote himself for the research work in connection with any of the aspects of his/her relevant subject assigned to him by the supervisor concerned in the University. A supervisor shall not have, at any given point of time, more than five M.Phil. scholars. At the end of the semester the candidate shall submit 03 typed copies of the Dissertation thesis written by him, to the University through the Principal/Director/Head of the Dept. of the University, accompanied by the certificate for the Head of the Department and the Supervisor to the effect that it embodies actual work carried by the candidate and that the work has not been submitted earlier in part or full for the award of any other degree.

Note: Not with standing anything stated in this ordinance, for any unforeseen issues arising, and not covered by the ordinance, or in the event of differences of interpretation, the Vice-Chancellor may take a decision and the decision will be bound to all concerned.

S & C 1

U

U

U

U

U

U

U

Ų

Dr.C.V.Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur(C.G.)

Ordinance No.-124

Bachelor of Law (B.B.A. LL. B./B.Com. LL.B./ B.Sc. LL.B.) 5 years Integrated Programme

1.0 General:

The Integrated Bachelor of Law Programme B.B.A. LL. B./B.Com. LL. B./B.Sc. LL.B. are five years (10 Semesters) programme which aim at providing quality & skill education for practicing legal profession in India. This programme is established as Law degree. It shall maintain a balance between theory, practice, coherence and integration among the components of the program. B.B.A. LL. B./B.Com. LL. B./B.Sc. LL.B. Programmes shall be designed as per Bar Council of India (BCI) guidelines and regulations.

- 2.0 Title: Integrated Bachelor of Law (B.B.A. LL. B./ B.Com. LL. B./ B.Sc, LL.B.)
- 3.0 Faculty: Faculty of Law.
- 4.0 Duration, Working Days & Attendance:
 - 4.1 Duration: The (B.B.A. LL. B./ B.Com. LL. B./ B.Sc. LL.B.) Programmes shall be of five academic years with 10 semesters. The programmes shall be run as per extant BCI norms. Students shall be permitted to complete the program within a maximum period of 7 years from date of admission to the programme/as per BCI norms.
 - 4.2 **Teaching Days**: The number of teaching days per semester shall be as per BCI norms.
 - 4.3 Attendance: The attendance of the candidates shall be as per BCI and University norms from time to time. However minimum 75% attendance is required for appearing in the semester end examination as a regular candidate, unless and otherwise specified.
- 5.0 Intake, Eligibility, Admission Procedure & Fees:
 - 5.1 Intake: As per approval given by BCI in this regard.
 Eligibility:
 - The minimum qualification for B.B.A. LL. B./B.Com. LL.B. will be higher secondary school examination (10+2) or an equivalent examination from a recognized Board / University

- with aggregate marks not less then prescribed by BCI from time to time.
- The minimum qualification for B.Sc. LL.B. shall be passing the higher secondary school examination (10+2) with science subjects or an equivalent examination from a recognized Board / University with aggregate marks not less than prescribed by BCI norms from time to time.
- 5.2 Admission Procedure: As per existing BCI guideline and reservation policy of the state government shall be adhered.
- 5.3 Fees: The course fees will be decided by the Board of Management of the University or as per recommendation of the Government of C.G./CGPURC from time to time.
- 6.0 Medium: The Medium of Instruction and Examination shall be in Hindi and English.
- 7.0 Teaching Session: In general the teaching session of odd semester shall run concurrently from July to December and even semester from January to June.
- 8.0 Scheme of Teaching & Examination: The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by the University for B.B.A. LL. B./ B.Com. LL. B./ B.Sc. LL.B. 5 years integrated program.

9.0 Examination & Evaluation:

- 9.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester to be conducted by the university. The examination shall consist of theory paper, practical and viva-voce as per the scheme of examination of that semester.
- 9.2 The passing percentage in each theory & internship shall be 40% whereas for practical it shall be 50 %. However, a candidate is required to obtain a minimum of 50% marks in aggregate so as to be declared pass in end semester examination.
- 9.3 The duration of examination shall not exceed 25 working days.
- 9.4 Time table of End Semester Examination shall be declared 15 days before commencement of the examination.
- 9.5 Preparation Leave Preparation leave of 10 days shall precede the main examination of each semester.
- 9.6 Carry Over A candidate shall be allowed to carry over all the subjects, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester which he/she shall be required to clear the next ESE only in those subjects (theory/practical) in which he/she was awarded WH (Withheld) or FF (fail) grades.

10.0 Course, Credits, Assessment and Grading

10.1 Courses: The programme shall consist of courses. A 'course' is a

U

O

0

U

U

component (a paper) of a programme. Every course offered by the University department is identified by a unique course code. A course may be designed to involve; lectures /tutorials /laboratory work/seminar/project work/practical training/report writing/vivavoce, etc. or a combination of these, to meet effectively the teaching and learning needs and the credit may be assigned suitably.

Professional Training

A candidate shall have to undergo Professional Training in courts.

The report of the Professional Training shall be submitted by the candidate in triplicate, duly certified by the organization he/she underwent his/her on training.

- 10.2 **Credits**: Credit shall define the quantum of contents/syllabus prescribed for a course and determines the number of hours of instruction required per week.
 - > 1 credit = 1 hour of lecture per week (1 credit course = 15 hours of lectures per semester)

> 3 credit=3 hour of lecture per week (3 credit course=45 hours of lectures per semester)

Instructions shall be given in the form of lecture/tutorials/lab work/field work or in any other form as may be prescribed. In determining the number of hours of instruction required for a course involving laboratory/field work, 2 hours of laboratory/field work is generally considered equivalent to 1 hour of lecture.

10.3 Assessment and Evaluation: Continuous evaluation system shall be followed with Internal Assignment (IA) and End Semester Exam (ESE) as two components. All practicum courses shall be assessed internally and externally .The basis of Internal Assessment shall be as follows:

Theory: Individual/group assignments & Presentation.

Practicum: Individual and group reports experiments on the basis of guidelines of BCI.

There shall be a provision for grievance redressal and removal of biases in the internal assessment as may be prescribed

Grading System

Absolute grading system shall be followed. In every subject, theory or practical, A candidate shall be awarded a letter grade based on one's

combined performance of all the components, e.g., IA and ESE. These grades shall be denoted by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A course is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C or better is obtained in the course.

Letter Grade (LG): A+ A B+ B C+ C F

Grade Point (GP): 10 9 8 7 6 5 0

Grades will be awarded for every subject, theory and practical separately.

10.4 Absolute Grading System

The absolute grading system of the type explained below will be adopted for theory and practical subjects

Grades	Theory	Practical
A+	85 <u><</u> Marks <u><</u> 100%,	90≤Marks≤100%,
A	75 <marks <85%,<="" td=""><td>82<u><</u>Marks <90%,</td></marks>	82 <u><</u> Marks <90%,
B+	65 <marks <75%,<="" td=""><td>74<u><</u>Marks <82%,</td></marks>	74 <u><</u> Marks <82%,
В	55 <u><</u> Marks <65%,	66 <marks <74%,<="" td=""></marks>
C+	45 <u><</u> Marks <55%,	58 <marks <66%,<="" td=""></marks>
С	40 <u><</u> Marks <45%,	50 <marks <58%,<="" td=""></marks>
F	0 <marks <40%,<="" td=""><td>0<u><</u>Marks <50%,</td></marks>	0 <u><</u> Marks <50%,

Thus letter grades A+, A, B+, B, C+, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner

10.5 Semester Performance Index (SPI)

Performance of a student in i^{th} semester (where i indicates the no. of a particular semester) is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is

O

U

U

U

expressed by

 $[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots \dots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots \dots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$ where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without F in any subject, theory or practical.

10.6 Cumulative Performance Index (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 100% weightage. Thus, CPI in i-th will be calculated as follows:

$$[CPI]_{i} = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_{i}}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_{i}}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

11.0 Allocation of Division

The classification of division shall be as here under.

60% and above I Division

50% and above but less than 60% II Division

In each theory paper & practical/training the candidate should obtain at least 40% & 50% marks respectively but total aggregate must be 50%. If any student falls in the category of shortage of aggregate, the student will be permitted to appear in any paper to recover the aggregate.

12.0 Retotaling:

12.1 Any candidate who has appeared in an examination conducted by the University may apply to the University for retotaling of the marks for any one or two theory papers.

- 12.2 Such application must be submitted in the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective head of the department in which the candidate is studying.
- 12.3 Retotalling shall be done with a view to seeing whether there has been any mistake in retotaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer, as the case may be.

13.0 Revaluation:

- 13.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of main examination for maximum two theory papers.
- 13.2 Such application must be made in the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.
- 13.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, then necessary correction shall be notified by the university. In all other cases, the result shall be communicated to the candidate.
- 13.4 No re-totalling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

14.0 Interpretation:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/ parties concerned.

In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of Chhattisgarh High Court, Bilaspur(C.G.)

(

U

Ú

O

U

U

0

U

U

U

U

U

U

Dr.C.V.Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

Ordinance No.-125

Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.) 4 year Degree Programme

1.0 General:

The programme of Bachelor of Pharmacy (in short B. Pharm) shall be a four-year (8 Semester) programme, which aim at providing quality & skill education to produce best pharmacists in the field of Pharmacy and Medical Science. B.Pharm. programme shall be designed according to PCI guidelines and regulations.

2.0 Title:

Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.)

3.0 Faculty:

Faculty of Pharmacy.

4.0 Duration, Teaching Days & Attendance:

- 4.1 Duration: The B.Pharm. Programme shall be of four academic years with eight semesters. The programme shall be run as per extant Pharmacy Council of India (PCI) norms from time to time. Students shall be permitted to complete the program within a maximum period of six years from date of admission to the programme or as per PCI norms from time to time.
- 4.2 **Teaching Days**: The number of teaching days shall be as per PCI norms.

Attendance: The attendance of the candidates will be as per PCI and University norms, However a Minimum 75% attendance is required for unless and other appearing in the examination as a regular candidate unless and otherwise specified.

5.0 Intake, Eligibility, Admission Procedure & Fees:

- 5.1 Intake: As per approval given by PCI in this regard.
- 5.2 Eligibility:
 - > The minimum qualification for admission to first semester of Bachelor of Pharmacy shall be the passing of 10+2 examination or any other equivalent examination with science stream with physics, chemistry and biology or mathematics as subject from a recognized Board of secondary examination or University.
 - A candidate seeking direct admission to second year of B.Pharm. must have passed Diploma in Pharmacy examination with at least first division marks from any institution approved by the Pharmacy Council of India. (P.C.I.).

- The Candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet at the time of admission, failing which he shall not be given admission.
- 5.3 Admission Procedure: Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and in the entrance examination on any other selection process as per the policy of the State Government/Central Government/University. Reservation policy and guideline of the state government shall be adhered to.
- 5.4 Fees: The course fee shall be decided by the Board of Management of the University or as per recommendation of the Government of C.G./CGPURC from time to time.
- 6.0 Medium: The Medium of Instruction and Examination will be in English.
- 7.0 Teaching Session: In general the teaching session of odd semester shall run concurrently from July to December and even semester shall run from January to June.
- 8.0 Scheme of Teaching & Examination: The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by the University for the four-year B.Pharm. programme.

9.0 Examination & Evaluation:

- 9.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester to be conducted by the University. The examination shall consist of theory paper, practical and viva-voce as per the scheme of examination of that semester.
- 9.2 The passing marks in each theory and practical paper will be 40% and 50 % respectively.
- 9.3 The duration of examination period shall not exceed 25 working days.
- 9.4 Time table of End Semester Examination shall be declared 15 days before commencement of the examination.
- 9.5 Preparation Leave Preparation leave of 10 days shall precede the main examination of each semester.
- 9.6 Carry Over A candidate shall be allowed to carry over all the subjects, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester which he/she shall be required to clear in the next ESE only in those subjects (theory/practical) in which he/she was awarded WH or FF grades.

Ú

Ų

10.0 Course, Credits, Assessment and Grading

10.1 Courses: A programme consists of courses. A 'course' is a component (a paper) of a programme. Every course offered by the University department is identified by a unique course code. A course may be designed to involve; lectures /tutorials /laboratory work/seminar/project work/practical training/report writing/vivavoce, etc. or a combination of these, to meet effectively the teaching and learning needs and the credit may be assigned suitably.

Study Tour

For B.Pharm. VI semester students an educational study tour to visit important medicine/Pharmaceutical manufacturing organization is compulsory. All students will have to submit a tour report after the study tour. Marks shall be awarded by the teacher-in-charge of the study tour. If a student is unable to go on Educational Study Tour, he will be awarded "Zero" mark. No minimum passing marks shall be presented for the study tour.

Project Work

For B.Pharm. students, project work shall be compulsory. The project shall be undertaken in any of the areas of Pharmaceutical Sciences. The project shall be made under the supervision and guidance of faculty member(s). The candidate shall present a seminar on his/her project work. Every candidate shall be required to submit the project report in triplicate. The marks shall be awarded by the project supervisor and one external examiner.

Professional Training

A candidate shall have to undergo Professional Training in Industry/Hospital Pharmacy/Community Pharmacy/Pharmaceutics R&D units after the examination of the sixth semester for a period of at least four weeks.

The report of the Professional Training shall be submitted by the candidate in triplicate, duly certified by the organization he/she underwent his/her on training.

The viva-voce examination based on the industrial training shall be carried out by Board of Examiners comprising –

- 1. Chairman The Head of the department.
- 2. The external examiner.
- 3. The internal examiner.

Marks shall be awarded by the Board of Examiners.

10.2 Credits: Credit defines the quantum of contents/syllabus prescribed for a course and determines the number of hours of instruction required per week. > 1 credit = 1 hour of lecture per week (1 credit course = 15 hours of lectures per semester)

> 3 credit=3 hour of lecture per week (3 credit course=45 hours of

lectures per semester)

Instruction shall be given in the form of lecture/tutorials/lab work/field work or in any other form as may be prescribed. In determining the number of hours of instruction required for a course involving laboratory/field work, 2 hours of laboratory/field work is generally considered equivalent to 1 hour of lecture.

10.3 Assessment and Evaluation

Continuous evaluation system shall be followed with Internal Assignment (IA) and End Semester Exam (ESE) as two components. All practicum courses shall be assessed internally and externally. The basis of Internal Assessment shall be as follows:

Theory:

Individual, group assignments and Presentation.

Practicum:

Individual and group reports experiments on the

basis of guidelines of PCI.

There shall be a provision for grievance redressal and removal of biases in the internal assessment as may be prescribed.

Grading System

Absolute grading system shall be followed. In every subject, theory or practical, a candidate shall be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., IA and ESE. These grades will be denoted by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A course is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C or better is obtained in the course.

Letter Grade (LG); A+ A B+ B C+ C F

Grade Point (GP) : 10 9 8 7 6 5 0

Grades will be awarded for every subject, theory and practical separately.

10.4 Absolute Grading System

The absolute grading system of the type explained below will be adopted for theory and practical subjects

Grades	Theory	Practical
A+	90 <u><</u> Marks <u><</u> 100%,	90 <u><</u> Marks <u><</u> 100%,
Α	80 <u><</u> Marks <90%,	82 <u><</u> Marks <90%,
B+	70 <u><</u> Marks <80%,	74 <u><</u> Marks <82%,
В	50 <u><</u> Marks <70%,	66 <u><</u> Marks <74%,
C+	45 <marks <50%,<="" td=""><td>58<u><</u>Marks <66%,</td></marks>	58 <u><</u> Marks <66%,
С	40 <marks <45%,<="" td=""><td>50<u><</u>Marks <58%,</td></marks>	50 <u><</u> Marks <58%,
F	0 <u><</u> Marks <40%,	0 <u><</u> Marks <50%,

Thus letter grades A+, A, B+, B, C+, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner

10.5 Semester Performance Index (SPI)

Performance of a student in ith semester (where i indicates the no. of a particular semester) is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

 $[SPI]_{i} = \frac{[C_{1}G_{1} + C_{2}G_{2} + \cdots]_{i}}{[C_{1} + C_{2} + \cdots]_{i}} = \frac{[\Sigma CG]_{i}}{[\Sigma C]_{i}} = \frac{N_{i}}{D_{i}}$

where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without F in any subject, theory or practical.

10.6 Cumulative Performance Index (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 100% weightage. Thus, CPI in *i*-th will be calculated as follows:

$$[CPI]_i = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_i}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_i}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

11.0 Allocation of Division

The classification of division shall be as here under.

I Division - 60% and above

II Division - 50% and above but less than 60%

III Division - 40% and above but less than 50%

Below 40% will be declared as failed.

In each theory paper& practical/training the candidate should obtain at least 40% & 50%marks respectively so as to be declared as having passed in that paper.

12.0 Retotaling:

- 12.1 Any candidate who has appeared in an examination conducted by the University may apply to the University for retotaling of the marks for any one or two theory papers.
- 12.2 Such application must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective head of the department in which the candidate is studying.
- 12.3 Re-totalling shall be done with a view to seeing whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to

C C 1C

U

O

O

Ú

U

Ų

individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer, as the case may be.

13.0 Revaluation:

- 13.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of end semester examination for maximum two theory papers.
- 13.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.
- 13.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, Then necessary correction shall be notified by the university. In every case, the result of revaluation shall be notified.
- 13.4 No re-totalling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

14.0 Interpretation:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/ parties concerned.

In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of chhattisgarh High Court, Bilaspur(C.G.)

Dr.C.V.Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

Ordinance No.-126

Two-Year Diploma in Pharmacy (D.Pharm.) Programme 2 years Degree Programme

1.0 General:

The programme Diploma in Pharmacy in short D.Pharm. shall be a two year (4 Semesters) programme, which shall aim at providing quality & skill education to produce best pharmacists in the field of Pharmacy and Medical Science. D.Pharm. Programme shall be designed according to pharmacy council of India (PCI) guidelines and regulations.

- 2.0 Title: Diploma in Pharmacy (D.Pharm.)
- 3.0 Faculty: Faculty of Pharmacy.
- 4.0 Duration, Teaching Days & Attendance:
 - 4.1 **Duration**: The D.Pharm. Programme shall be of two academic years with 4 semesters. The programme shall be run as per extant PCI norms. Students shall be permitted to complete the program within a maximum period of 3 years from date of admission to the programme or as per PCI norms.
 - 4.2 **Teaching Days**: The number of teaching days shall be as per PCI norms.

Attendance: The attendance of the candidates will be as per PCI and University norms. However a Minimum 75% attendance is required for appearing in the examination as regular candidate, unless and otherwise specified.

5.0 Intake, Eligibility, Admission Procedure & Fees:

5.1 Intake: As per approval given by appropriate regulatory body in this regard.

Eligibility: The minimum qualification for admission to Diploma in Pharmacy 2 year programme shall be passing of class XII examination in science stream with physics chemistry and biology or mathematics as subject from a recognized Board of Secondary Examination or an equivalent examination.

> The Candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet at

- the time of admission, failing which he shall not be given admission.
- 5.2 Admission Procedure: Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and in the entrance examination on any other selection process as per the policy of the State Government/Central Government/University. Reservation policy and the guideline of the state government shall be adhered to..
- 5.3 **Fees:** The course fee will be decided by the Board of Management of the University or as per recommendation of the Government of C.G./CGPURC from time to time.
- 6.0 Medium: The Medium of Instruction and Examination will be English.
- 7.0 Teaching Session: In general the teaching session of odd semester shall run concurrently from July to December and even semester shall run from January to June.
- 8.0 Scheme of Teaching & Examination: The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by the University for the two year D.Pharm programme.

9.0 Examination & Evaluation:

- 9.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester to be conducted by the University. The examination shall consist of theory paper, practical and viva-voce as per the scheme of examination of that semester.
- 9.2 The passing marks in each theory and practical paper will be 40 % and 50 % respectively.
- 9.3 The duration of examination period shall not exceed 25 working days.
- 9.4 Time table of End Semester Examination shall be declared 15 days before commencement of the examination.
- 9.5 Preparation Leave Preparation leave of 10 days shall precede the main examination of each semester.
- 9.6 Carry Over A candidate shall be allowed to carry over all the subjects, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester which he/she shall be required to clear in the next ESE only in those subjects (theory/practical) in which he/she was awarded WH or FF grades.

10.0 Course, Credits, Assessment and Grading

10.1 Courses: A programme consists of courses. A 'course' is a component (a paper) of a programme. Every course offered by the University

department is identified by a unique course code. A course may be designed to involve; lectures /tutorials /laboratory work/seminar/project work/practical training/report writing/vivavoce, etc. or a combination of these, to meet effectively the teaching and learning needs and the credit may be assigned suitably.

Study Tour

For D.Pharm. 4th semester students an educational study tour to visit important medicine/Pharmaceutical manufacturing organization is compulsory. All students will have to submit a tour report after the study tour. The marks shall be awarded by the concerned teacher-in-charge of the study tour. If a student is unable to go on Educational Study Tour, he shall be awarded "Zero" mark. No minimum passing shall be prescribed for the study tour.

Project Work

For D.Pharm. students, project work shall be compulsory. The project shall be undertaken in any of the areas of Pharmaceutical Sciences. The project shall be made under the supervision and guidance of faculty member(s). The candidate shall present a seminar on his/her project work. Every candidate shall be required to submit the project report in triplicate. The marks shall be awarded by the project supervisor and one external examiner.

Professional Training

A candidate shall have to undergo Professional Training in Industry/Hospital Pharmacy/Community Pharmacy/Pharmaceutics R&D units after the examination of the second semester for a period of at least four weeks.

The report of the Professional Training shall be submitted by the candidate in triplicate, duly certified by the organization he/she underwent his/her on training.

The viva-voce examination based on the industrial training shall be carried out by Board of Examiners comprising: –

- 1. The Head of the concerned department- Chairman
- 2. External examiner Member
- 3. Internal examiner Member

The marks shall be awarded by the Board of Examiners.

- 10.2 Credits: Credit defines the quantum of contents/syllabus prescribed for a course and determines the number of hours of instruction required per week.
 - > 1 credit = 1 hour of lecture per week (1 credit course = 15 hours of lectures per semester)

3 credit=3 hour of lecture per week (3 credit course=45 hours of lectures per semester)

Instruction shall be given in the form of lecture/tutorials/lab work/field work or in any other form as may be prescribed. In determining the number of hours of instruction required for a course involving laboratory/field work, 2 hours of laboratory/field work shall generally be considered as equivalent to 1 hour of lecture.

10.3 Assessment and Evaluation

Continuous evaluation system shall be followed with as two components Internal Assignment (IA) and End Semester Exam (ESE). All practicum courses shall be assessed internally and externally. The basis of Internal Assessment shall be as follows:

Theory: Individu

Individual, group assignments & Presentation.

Practicum: Individual and group reports experiments on the basis of

guidelines of PCI.

There shall be a provision for grievance redressal and removal of biases in the internal assessment, as may be prescribed.

Grading System

Absolute grading system shall be followed. In every subject, theory or practical, a candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., IA and ESE. These grades will be denoted by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A course iscompleted successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C orbetter is obtained in the course.

Letter Grade (LG):

A+ A B+ B

C+ C F

Grade Point (GP) :

10

9

7

6

5

0

Grades will be awarded for every subject, theory and practical separately.

8

10.4 Absolute Grading System

The absolute grading system of the type explained below will be adopted for theory and practical subjects

Grades	Theory	Practical
A+	90 <marks<100%,< td=""><td>90<u><</u>Marks<u>≤</u>100%,</td></marks<100%,<>	90 <u><</u> Marks <u>≤</u> 100%,
Α	80 <marks <90%,<="" td=""><td>82<u><</u>Marks <90%,</td></marks>	82 <u><</u> Marks <90%,
B+	70≤Marks <80%,	74 <u><</u> Marks <82%,
В	60 <u><</u> Marks <70%,	66 <u><</u> Marks <74%,
C+	50 <u><</u> Marks <60%,	58 <u><</u> Marks <66%,
С	40 <u><</u> Marks <50%,	50 <u><</u> Marks <58%,
F	0 <marks <40%,<="" td=""><td>0<u><</u>Marks <50%,</td></marks>	0 <u><</u> Marks <50%,

Thus letter grades A+, A, B+, B, C+, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner

10.5 Semester Performance Index (SPI)

Performance of a student in ith semester (where i indicates the no. of a particular semester) is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

 $[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots \dots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots \dots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$

where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without F in any subject, theory or practical.

Cumulative Performance Index (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 100% weightage. Thus, CPI in i-th will be calculated as follows:

$$[CPI]_{i} = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_{i}}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_{i}}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

11.0 Allocation of Division

The classification of division shall be as here under.

I Division - 60% and above

II Division - 50% and above but less than 60%

III Division - 40% and above but less than 50%

Below 40% will be failed.

In each theory paper& practical/training the candidate should obtain at least 40% & 50% marks respectively so as to be declared as having pass in that paper.

12.0 Retotaling:

- 12.1 Any candidate who has appeared in an examination conducted by the University may apply to the University for retotaling of the marks for any one or two theory papers.
- 12.2 Such application must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective head of the department in which the candidate is studying.
- 12.3 The work of retotaling shall be done with a view to seeing whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer, as the case may be.

13.0 Revaluation:

- 13.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of end semester examination for maximum two theory papers.
- 13.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.
- 13.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, then necessary correction shall be notified by the university. In every case, the result of revaluation shall be notified.
- 13.4 No re-totalling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

14.0 Interpretation:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/ parties concerned.

In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of Chhattisgarh High Court, Bilaspur(C.G.)

Dr.C.V.Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.)

Ordinance No.-127

Post Graduation in Pharmacy (M.Pharm.) Programme 2 year Programme

1.0 General:

The programme of Master of Pharmacy M.Pharm. shall be a two year programme of four semester, with an aim to providing quality & skill education to produce best pharmacists in the field of Pharmacy and Medical Science. M.Pharm. Programme shall be designed according to Pharmacy Council of India (PCI) guidelines and regulations.

2.0 Title: Master of Pharmacy (M.Pharm.)

3.0 Faculty: Faculty of Pharmacy.

4.0 Duration, Teaching Days & Attendance:

- 4.1 Duration: The M.Pharm. Programmes shall be of two academic years with 4 semesters. The programme shall be run as per extant PCI norms. Students shall be permitted to complete the program within a maximum period of 3 years from date of admission to the programme as per PCI norms.
- 4.2 Teaching Days: The number of teaching days shall be as per PCI norms.

Attendance: The attendance of the candidates will be as per PCI and University norms. However a minimum 75% attendance is required for appearing in the examination as regular candidate, unless and otherwise specified.

5.0 Intake, Eligibility, Admission Procedure & Fees:

5.1 Intake: As per approval given by appropriate regulatory body.

Eligibility:

- The minimum qualification for admission to first semester of Masters of Pharmacy 2 years programme shall be passing of B.Pharm. Degree examination from a recognized Indian university and from an institution approved by Pharmacy Council of India with not less than 55 % marks (aggregate of 4 years of B.Pharm.)
- Every candidate, selected for admission to post graduate pharmacy program in any PCI approved institution should have obtained registration with the State Pharmacy Council or

should obtain the same within one month from the date of his/her admission or should obtain the same before the commencement of the first semester examination, failing which the admission of the candidate shall be cancelled.

It is mandatory to submit a migration certificate obtained from the respective university where the candidate had passed his/her qualifying degree (B.Pharm.) The Candidates whose results are awaited may also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet at the time of admission.

5.2 Admission Procedure: Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and in the entrance examination on any other selection process as per the policy of the State Government/Central Government/University. Reservation policy and the guideline of the state government shall be adhered to.

5.3 Fees: The course fees will be decided by the Board of Management of the University or as per recommendation of the Government of C.G./CGPURC from time to time.

6.0 Medium: The Medium of Instruction and Examination will be in English.

7.0 Teaching Session: In general the teaching session of odd semester shall run concurrently from July to December and even semester from January to June.

8.0 Scheme of Teaching & Examination: The scheme of teaching and examination for various semesters along with the syllabus shall be followed as notified by the University for the two year M.Pharm. programme.

9.0 Examination & Evaluation:

- 9.1 There shall be end semester examination (ESE) in each semester to be conducted by the University. The examination shall consist of theory paper, practical and viva-voce as per the scheme of examination of that semester.
- 9.2 The passing marks in each theory and practical paper shall be 40 % and 50 % respectively.
- 9.3 The duration of examination period shall not exceed 25 working days.
- 9.4 Time table of End Semester Examination shall be declared 15 days before commencement of the examination.
- 9.5 Preparation Leave A preparation leave of 10 days shall precede the main examination of each semester.
- 9.6 Carry Over A candidate shall be allowed to carry over all the subjects, i.e. theory and practical of a semester in the higher semester which he/she shall be required to clear in the next

ESE only in those subjects (theory/practical) in which he/she was awarded WH or FF grades.

10.0 Course, Credits, Assessment and Grading

10.1 Courses: A programme consists of courses. A 'course' is a component (a paper) of a programme. Every course offered by the University department is identified by a unique course code. A course may be designed to involve; lectures /tutorials /laboratory work/seminar/project work/practical training/report writing/vivavoce, etc. or a combination of these, to meet effectively the teaching and learning needs and the credit may be assigned suitably.

Study Tour

For M.Pharm. 4th semester students, an educational study tour to visit important medicine/Pharmaceutical manufacturing organization is compulsory. All students will have to submit a tour report after the study tour. The marks shall be awarded by the concerned teacher-in-charge of the study tour. If a student is unable to go on Educational Study Tour, he shall be awarded "Zero" mark. No minimum passing marks shall be prescribed for the study tour.

Project Work

For M.Pharm. students, project work shall be compulsory. The project shall be undertaken in any of the areas of Pharmaceutical Sciences. The project shall be made under the supervision and guidance of faculty member(s). The candidate shall present a seminar on his/her project work. Every candidate shall be required to submit the project report in triplicate. The marks shall be awarded by the project supervisor and one external examiner.

Professional Training

A candidate shall have to undergo Professional Training in Industry/Hospital Pharmacy/Community Pharmacy/Pharmaceutics R&D units after the examination of the 2nd semester for a period of at least four weeks.

The report of the Professional Training shall be submitted by the candidate in triplicate, duly certified by the organization he/she underwent his/her on training.

The viva-voce examination based on the industrial training shall be carried out by Board of Examiners comprising –

- 1. The Head of the concerned department Chairman
- 2. External examiner Member
- 3. Internal examiner Member

The marks shall be awarded by the Board of Examiners.

- 10.2 Credits: Credit defines the quantum of contents/syllabus prescribed for a course and determines the number of hours of instruction required per week.
 - > 1 credit = 1 hour of lecture per week (1 credit course = 15 hours of lectures per semester)

> 3 credit=3 hour of lecture per week (3 credit course=45 hours of lectures per semester)

Instruction shall be given in the form of lecture/tutorials/lab work/field work or in any other forms, as may be prescribed. In determining the number of hours of instruction required for a course involving laboratory/field work, 2 hours of laboratory/field work shall generally be considered as equivalent to 1 hour of lecture.

10.3 Assessment and Evaluation

Continuous evaluation system shall be followed with Internal Assignment(IA) and End Semester Exam (ESE) as two component. All practicum courses shall be assessed internally and externally .The basis of Internal Assessment shall be as follows:

Theory:

Individual, group assignments & Presentation.

Practicum:

Individual and group reports experiments on the

basis of guidelines of PCI.

There shall be a provision for grievance redressal and removal of biases in the internal assessment, as may be prescribed.

Grading System

Absolute grading system will be followed. In every subject, theory or practical, a candidate will be awarded a letter grade based on one's combined performance of all the components, e.g., IA and ESE. These grades will be denoted by letters indicating a qualitative assessment of the candidate's performance through a number equivalent called "Grade Point" (GP) as given below. A course is completed successfully, or a credit is earned for a course when letter grade C or better is obtained in the course.

Letter Grade (LG): A+ A B+ B C+ C F

Grade Point (GP) : 10 9 8 7 6 5 0

Grades will be awarded for every subject, theory and practical separately.

10.4 Absolute Grading System

The absolute grading system of the type explained below will be adopted for theory and practical subjects

Grades	Theory	Practical
A+	90 <u><</u> Marks <u><</u> 100%,	90 <u><</u> Marks <u><</u> 100%,
Α	80 <u><</u> Marks <90%,	82 <u><</u> Marks <90%,
B+	70 <u><</u> Marks <80%,	74 <u><</u> Marks <82%,
В	60 <marks <70%,<="" td=""><td>66<marks <74%,<="" td=""></marks></td></marks>	66 <marks <74%,<="" td=""></marks>
C+	50 <marks <60%,<="" td=""><td>58<u><</u>Marks <66%,</td></marks>	58 <u><</u> Marks <66%,
С	40 <u><</u> Marks <50%,	50 <u><</u> Marks <58%,
F	0 <u><</u> Marks <40%,	0 <u><</u> Marks <50%,

Thus letter grades A+, A, B+, B, C+, C, and F and the corresponding Grade Point will be available for each subject evaluated by the examiner

10.5 Semester Performance Index (SPI)

Performance of a student in i^{th} semester (where i indicates the no. of a particular semester) is expressed by SPI which is a weighted average of course grade points obtained by a student in the semester and is expressed by

$$[SPI]_i = \frac{[C_1G_1 + C_2G_2 + \cdots \dots]_i}{[C_1 + C_2 + \cdots \dots]_i} = \frac{[\Sigma CG]_i}{[\Sigma C]_i} = \frac{N_i}{D_i}$$

where C and G stand for Credit and Grade, respectively. SPIs will be calculated up to two places of decimal without rounding off. SPI will be calculated only when a student clears a semester without F in any subject, theory or practical.

Cumulative Performance Index (CPI)

This is a weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the degree program with 100% weightage. Thus, CPI in *i*-th will be calculated as follows:

$$[CPI]_{i} = \frac{\sum_{i=1}^{i \ge 1} N_{i}}{\sum_{i=1}^{i \ge 1} D_{i}}$$

If a student repeats a course or is declared fail in a subject, then only the grade points obtained in the latest attempts are counted towards CPI. CPI will be calculated in every semester with SPI, so that a student knows how his CPI is changing.

11.0 Allocation of Division

The classification of division shall be as here under.

I Division - 60% and above

II Division - 50% and above but less than 60%

III Division - 40% and above but less than 50%

Below 40% will be declared as failed.

In each theory paper & practical/training the candidate should obtain at least 40% & 50% marks respectively so as to be declared as having passed in that paper.

12.0 Retottling:

- 12.1 Any candidate who has appeared in an examination conducted by the University may apply to the University for retotalling of the marks for any one or two theory papers.
- 12.2 Such application must be made on the prescribed forms along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of result to the respective head of the department in which the candidate is studying.
- 12.3 The work of retotalling shall be done with a view to seeing whether there has been any mistake in totaling of the marks assigned to individual answers or in the form of omitting the marks assigned to any answer, as the case may be.

13.0 Revaluation:

- 13.1 The candidate may apply for Revaluation of his/her answer scripts only of end semester examination for maximum two theory papers.
- 13.2 Such application must be made on the prescribed form along with the requisite fee within 15 days from the date of declaration of the result.
- 13.3 If, on revaluation a mistake in the result originally published is detected, then necessary correction shall be notified by the

university. In every cases, the result of revaluation shall be communicated to the candidate.

13.4 No re-totalling or revaluation shall be allowed in case of practicals.

14.0 Interpretation:

In case of doubt, dispute or ambiguity in the matter of interpretation of this ordinance, the decision of Vice-Chancellor shall be final and binding on the student/candidate/ parties concerned.

In case of any dispute, the matter shall be decided under jurisdiction of chhattisgarh High Court, Bilaspur(C.G.)